


**DIRECTORATE OF DISTANCE & ONLINE EDUCATION
UNIVERSITY OF JAMMU
JAMMU**



**SELF LEARNING MATERIAL
SEMESTER-II**

SUBJECT : Teaching of Hindi	UNIT : I-IV
Course No. : 204	LESSON NO. : 1 to 11

Programme Coordinator
Dr. Jaspal Singh

<http://www.distanceeducationju.in>
Printed and Published on behalf of the Directorate of Distance & Online Education, University of Jammu, Jammu by the Director, DD&OE, University of Jammu, Jammu.

TEACHING OF HINDI

Course Contributors

Dr. JASPAL SINGH

DD&OE, University of Jammu.
Jammu

Format Editing / Course Editor

Dr. JASPAL SINGH

DD&OE, University of Jammu.
Jammu

© Directorate of Distance & Online Education, University of Jammu, Jammu-2023

- All rights reserved. No part of this work may be reproduced in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from the DD&OE, University of Jammu.
- The script writer shall be responsible for the lesson/script submitted to the DD&OE and any plagiarism shall be his/her entire responsibility.

Printed By : Sushil Printers, Jammu / 23/ 50 Books

BACHELOR OF EDUCATION (B.Ed)

SEMESTER-II

(For the examination to be held in the year 2018, 2019 & 2020)

Course No. : 205 (Theory)
Credit : 4

Title : Teaching in Hindi
Total Marks : 100
Maximum Marks Internal : 40
Maximum Marks External : 60
Duration of Exam. : 3 Hrs.

हिन्दी शिक्षण

उद्देश्यः—

हिन्दी शिक्षण के लिए सम्बन्धी योग्यताओं का विकास करना।

भावी शिक्षकों में हिन्दी भाषा शिक्षण की कुशलताओं का विकास करना।

भावी शिक्षकों में भाषायी कौशलों का विकास करना।

भावी हिन्दी शिक्षकों हिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों से परिचित कराना।

प्रथम इकाई

हिन्दी भाषा का उद्भव तथा विकास

- भाषा – परिभाषा, महत्व तथा विविध रूप (मातभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, सम्पर्क भाषा, माध्यम भाषा, साहित्यिक भाषा तथा संचार भाषा)। भाषा शिक्षण की सामान्य विशेषताएं एंवं महत्व।
- हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (संस्कृत से लेकर अपब्रंश तक)
- हिन्दी भाषा की उपभाषाएं एंवं बोलियाँ।
- जम्मू तथा कश्मीर में हिन्दी भाषा के उद्देश्य एंवं महत्व।

द्वितीय इकाई

भाषा तत्त्व

- ध्वनि – हिन्दी की ध्वनियाँ, मुख विवर में स्थान, तथा प्रयत्न के आधार पर उनका वर्गीकरण स्वर तथा व्यजंन की परिभाषा तथा वर्गीकरण।

- शब्द रचना – शब्द तथा उके अर्थ, प्रयोग एवं इतिहास की दृष्टि से भेद। उपसर्ग, प्रत्यय, संधि तथा समास की अवधारणाएं तथा शब्द रचना में उनकी भूमिका / शब्द शक्तियों का भाषा शिक्षण में महत्व।
- वाक्य रचना – हिन्दी वाक्यों का रचना विधान तथा वाक्यों के भेद।

तृतीय इकाई

भाषायी कौशलों का विकास

- श्रवण कौशल – अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य / श्रवण कौशल शिक्षण की विधियाँ।
- भाषण कौशल – अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य / भाषण कौशल शिक्षण की विधियाँ।
- वाचन कौशल – अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य / वाचन कौशल शिक्षण की विधियाँ।
- लेखन कौशल – अर्थ, महत्व तथा उद्देश्य / लेखन कौशल शिक्षण की विधियाँ। तथा सुलेख की विशेषताएं

चतुर्थ इकाई

हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

- हिन्दी शिक्षण के सामान्य तथा व्यवहारपरक उद्देश्य (अर्थ तथा महत्व)
- सामान्य तथा व्यवहारपरक उद्देश्यों में अन्तर
- हिन्दी गद्य, पद्य एवं निबन्ध शिक्षण के लिये व्यवहारपरक उद्देश्यों के लिखने की विधियाँ एवं आवश्यकता।
- हिन्दी अध्यापक के गुण, कर्तव्य तथा वर्तमान स्वरूप।

सत्रीय कार्य

- 1) विभिन्न हिन्दी न्यूज चैनल पर समाचार सुनना तथा कक्षा में बोलना।
- 2) लेखन – लघु कथाएं, पत्र लेखन, नोटिस, कविता

Note for Paper Setters

The Question paper consists of 9 questions having Q no 1 as Compulsory having four parts spread over the entire Syllabus, with a weightage of 12 marks .The rest of Question paper is divided into four Units and the students are to attend four Questions from these units with the internal choice. The essay type Question carries 12 marks each. Unit IV having the sessional work/field work(section) could also be a part of the theory paper.

Internship/field work Unit IV having the components/activities of the internship are to be to be developed in the form of the Reflective Journal. All the activities under the internship are to be evaluated for credits and hence all the activities are to be showcased by the trainee and are to be fully recorded with the complete certification of its genuineness.

The Theory paper is to have 60 marks (external). 40 Marks are for the In House activities

सहायक पुस्तक सूची :-

नायक सुरेश, "हिन्दी भाषा शिक्षण," टवंटी फार्स्ट सेचुरी पब्लिकेशन्स, पटियाला।

बराड़ सर्वजीत कौर, "हिन्दी अध्यापन", कल्याणी पब्लिकेशन्स, देहली।

खन्ना ज्योति, "हिन्दी शिक्षण", धनपत राय एंड सन्ज, देहली।

गोयल ए.के., "हिन्दी शिक्षण", हरीश प्रकाशन मनिदर, आगरा।

मक्कड़ नरिन्द, "हिन्दी शिक्षण", गुलनाज़ पब्लिकेशन्स, जालम्बर।

भाषा-परिभाषा, महत्व तथा विविध रूप

- | | |
|------|----------------------------------|
| 1.0 | संरचना |
| 1.1 | परिचय |
| 1.2 | उद्देश्य |
| 1.3 | भाषा की परिभाषा |
| 1.4 | भाषा का महत्व |
| 1.5 | विविध रूप |
| 1.6 | भाषा शिक्षण की सामान्य विशेषताएँ |
| 1.7 | भाषा शिक्षण का महत्व |
| 1.8 | निष्कर्ष |
| 1.9 | आत्मजांच और परीक्षण |
| 1.10 | अध्ययन हेतु पुस्तकें |
-

1.1 परिचय

प्रत्येक भाषा का सम्बन्ध उस माया को बोलने वाले समाज की प्राचीन भाषा (मूल भाषा) के साथ अवश्य होता है। उस प्राचीन भाषा में व्यक्ति भेद, स्थान और काल भेद के कारण भेद उपभेद पैदा होते रहते हैं। कालावृत्तिर भाषा में परिवर्तन होते रहने से अनेक भाषाओं का विकास हो जाता है परन्तु उनका मूल उदगम स्रोत एक ही रहता है।

1.2 उद्देश्य

प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अध्ययन के उपरान्त आप जान पाएंगे कि :

1. भाषा की परिभाषा क्या है ?

2. भाषा के विविध रूप क्या हैं ?

3. भाषा शिक्षण का महत्व क्या है ?

1.3 भाषा की परिभाषा

भाषा के उद्गम और विकास से पहले मनुष्य अपनी बातें समझाने के लिए 'संकेतों' का प्रयोग किया करते थे। परन्तु 'संकेतों' के माध्यम से कहीं गई बातें अधूरी, अस्पष्ट तथा दुर्बोध होती हैं।

आदिम युग में मनुष्य जब संकेतों के माध्यम से अपनी बात कहता होगा तो उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही दबी रहती होगी। परन्तु आज ऐसा नहीं है क्योंकि आज मनुष्य के पास अभिव्यक्ति के लिए 'भाषा' है जिसके प्रयोग से वह अपने मन की गूढ़मत भावनाओं और गहनतम विचारों को भी प्रकट करने में सक्षम है। अभिव्यक्ति की इस अद्भुत क्षमता ने सभ्यता और संस्कृति के विकास को सम्भव बनाया है।

भाषा का इतिहास मानव जाति की सभ्यता का इतिहास है।

1. **स्वीट का विचार** :- भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने कहा है, भाषा वह व्यवहार है जिससे ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है।

2. **श्री रामचन्द्र वर्मा के विचार** :- श्री रामचन्द्र वर्मा ने भाषा की परिभाषा करते हुए कहा है, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों एवं वाक्यों का वह समूह भाषा कहलाता है जिसके द्वारा मन की बात बतलाई जाती है।

भाषा ध्वनियों का ऐसा समूह है जिसे बोल कर अथवा लिखकर मनुष्य एक दूसरे के साथ अपने भावों या विचारों का आदान प्रदान करते हैं।

1.4 भाषा का महत्व

मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में जो भी विकास एवं प्रगति की है उसका से भाषा को ही जाता है इस दृष्टि से मानव जीवन में भाषा का महत्व सबसे अधिक है जो समाज के विकास की मूल आधारशिला है। भाषा के प्रमुख महत्व निम्न प्रकार से हैं।

1. **भाषा भावाभिव्यक्ति का साधन है-**

भाषा विचार विनिमय का एक साधन है। मनोभावों की अभिव्यक्ति के प्रयत्न ने भाषा को जन्म दिया जिसके माध्यम से मानव अपने विचारों अपने सुख-दुख को एक दूसरे व्यक्ति से कहता है तथा सुनता है। इसी भाषा के माध्यम से आज मनुष्य अपने भावाभिव्यक्ति के साथ-साथ विचार-विनिमय करता है।

2. **भाषा मानव विकास का मूलाधार है-**

भाषा की शक्ति के माध्यम से ही मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है वैसे तो संसार के अंय

प्राणियों के पास भी अपनी अपनी भाषाएं हैं परंतु विचार प्रधान भाषा मनुष्य के पास ही है। भाषा के अभाव में मनुष्य विचार नहीं कर सकता और विचार के अभाव में वह अपने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सकता।

3. भाषा मानव सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है-

जैसे-जैसे मानव समाज ने अपनी भाषा में प्रगति की, वैसे-वैसे उन की सभ्यता एवं संस्कृति में विकास हुआ। ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति हुई और श्रेष्ठ साहित्य का सृजन हुआ। तब ही किसी जाति समाज व राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति का आकलन उसके साहित्य से किया जाता है। अतः भाषा की कहानी ही मानव सभ्यता एवं संस्कृति की कहानी है।

4. विचार शक्ति का विकास

भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है व मनन शक्ति और विचार शक्ति का विकास भी असंभव ही है।

5. ज्ञान प्राप्ति का प्रमुख साधन है-

भाषा के माध्यम से ही पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को सामाजिक विरासत के रूप में अब तक का समस्त संक्षिप्त ज्ञान भावी पीढ़ी को सौंप दी है और यही क्रम निरंतर चलता रहता है तथा भाषा का विकास होता रहता है।

6. भाषा मानव के भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखती है-

भाषा के माध्यम से हम अपने भाव, विचार, अनुभव एवं आकांक्षाओं को सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक आने वाली पीढ़ी उसमें अपने भाव-विचार, अनुभव एवं आकांक्षाएं जोड़कर अपने से आगे की पीढ़ी को स्थानांतरित कर देती है। भाषा के अभाव में यह सब असंभव है।

1.5 विविध रूप

भाषा का सर्जनात्मक आचरण के समानान्तर जीवन के विभिन्न व्यवहारों के अनुरूप भाषिक प्रयोजनों की तलाश हमारे दौर की अपरिहार्यता है। इसका कारण यही है कि भाषाओं को सम्बोधनप्रकरण कई स्तरों पर और कई सन्दर्भों में पूरी तरह प्रयुक्ति सापेक्ष होता गया है। प्रयुक्ति और प्रयोजन से रहित भाषा अब भाषा ही नहीं रह गई है।

भाषा की पहचान केवल यही नहीं कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी सप्राणता के साथ हुआ है, बल्कि भाषा की व्यापकतर संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक सन्दर्भों और नये प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे-धीरे विकसित हुई है और रोजी-रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का

नया आयाम सामने आया है : वर्गीभाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, सम्पर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक भाषा आदि।

मातृभाषा

जन्म से हम जो भाषा का प्रयोग करते हैं वही हमारी मातृभाषा है। सभी संस्कार एवं व्यवहार इसी के द्वारा हम पाते हैं। इसी भाषा से हम अपनी संस्कृति के साथ जुड़कर उसकी धरोहर को आगे बढ़ाते हैं।

सभी राज्यों के लोगों का मातृभाषा दिवस पर अभिनन्दन – हर वो कोई जो उत्सव मना रहा है। उत्सव के लिए कोई भी कारण उत्तम है। भारत वर्ष में हर प्रांत की अलग संस्कृति है, एक अलग पहचान है। उनका अपना एक विशिष्ट भोजन, संगीत और लोकगीत हैं। इस विशिष्टता को बनाये रखना, इसे प्रोत्साहित करना अति आवश्यक है। आज बच्चे अपनी मातृभाषा में गिनती करना भूल चुके हैं। मैं उन्हें प्रोत्साहित करता हूँ कि वे अपनी मातृभाषा सीखें, प्रयोग करें और इस धरोहर के संभाल के रखें।

आप जितनी अधिक भाषाएँ जानेंगे, सीखेंगे वह आपके लिए ही उत्तम होगा। आप जिस किसी भी प्रांत, राज्य से हैं कम से कम आपको वहां की बोली तो अवश्य आनी चाहिए। आपको वहां की बोली सीखने का कोई भी मौका नहीं गवाना चाहिए। कम से कम वहां की गिनती, बाल कविताएँ और लोकगीत। पूरी दुनिया को ट्रिवंकल ट्रिवंकल लिटिल स्टार (Twinkle Twinkle Little Star) या बा – बा ब्लैक शीप (Baba black sheep) गुनगुनाने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपकी लोकभाषा में कितने अच्छे और गूढ़ अर्थ के लोकगीत, बाल कविताएँ, दोहे, छंद चौपाइयाँ हैं जिन्हें हम प्रायः भूलते जा रहे हैं।

भारत के हर प्रांत में बेहद सुन्दर दोहावली उपलब्ध है और यही बात विश्व भर के लिए भी सत्य है। उदाहरण के लिए एक जर्मन बच्चा अपनी मातृभाषा जर्मन (German) में ही गणित सीखता है न कि अंग्रेजी में क्योंकि जर्मन उसकी मातृभाषा है। इसी प्रकार एक इटली में रहने वाला बच्चा भी गिनती इटैलियन (Italian) भाषा में और स्पेन का बालक स्पैनिश (spanish) भाषा में सीखता है।

राष्ट्रभाषा

देश के विभिन्न भाषा-भाषियों में पारस्परिक विचार-विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है ये जैसे अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैण्ड तथा कनाडा इत्यादि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिन्दी, अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। वह हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम

होय जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हों और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिन्दी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है।

राजभाषा

जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अन्तर नहीं करते और दोनों को समानार्थी मानते हैं। लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न-भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की सम्पर्क भाषा होती है जबकि राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिन्दी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी-अपनी राज्य भाषाएँ हैं। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएँ राजभाषा हैं। आज हिन्दी हमारी राजभाषा है।

सम्पर्क भाषा

अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति-व्यक्ति, राज्य-राज्य तथा देश-विदेश के बीच सम्पर्क स्थापित किया जाता है उसे सम्पर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और सम्पर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में सम्पर्क भाषा के तौर पर हिन्दी प्रतिष्ठित होती जा रही है जबकि अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। सम्पर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएँ भी रखी जाती हैं।

जब कोई भाषा 'lingua franca' के रूप में उभरती है तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुतासम्पन्न भाषा बन जाती है। यह तो जरूरी नहीं कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो पर द्वितीय भाषा के रूप में इसके बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं।

माध्यम भाषा

बोलने वाली भाषा शब्दों से बनती है। शब्द अर्थ से युक्त हों तो भाषा बन जाती है। अतः बोलने वाली भाषा अर्थयुक्त वाक्य है। भाषा की श्रेष्ठता भावों को सुगमता से व्यक्त करने की सामर्थ्य है। भावों को व्यक्त करने की सामर्थ्य को ही भाषा की शक्ति माना जाता है। यह वैदिक संस्कृत में सर्वश्रेष्ठ है। भाषाविदों और वैदिक विद्वानों के अनुसार आदि मनुष्य और आदि भाषा अति श्रेष्ठ थी। भाषा जो आरम्भ में बनी, वह अति अर्थयुक्त थी। वैदिक संस्कृत, मध्यकालीन संस्कृत अर्थात् रामायण व महाभारत की भाषा, प्राकृत, और फिर बंगला, तमिल, गुजराती, कन्नड़, पंजाबी, राजस्थानी इत्यादि भाषाओं के गहराई से अध्ययन करने से इस सत्य का सत्यापन होता है कि सर्वाधिक प्राचीन वैदिक भाषा बाद की अर्थात् वर्तमान भाषाओं से अधिक श्रेष्ठ थी और देवनागरी लिपि स्वाभाविक क्रम और वैज्ञानिक ढंग से प्रवृद्ध, निवृद्ध और नियत किये जाने के कारण सभी लिपियों में सर्वश्रेष्ठ। इस समय संस्कृत निष्ठ हिन्दी ही वेद भाषा के सर्वथा समीप है और यदि विभाजन

पश्चात देश ने हिन्दी और देवनागरी लिपि को स्वीकार किया होता तो हम अब तक वेद की संस्कृत भाषा और उसकी लिपि देवनागरी के साथ ही ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति कर चुके होते।

शिक्षा और भाषा का वही सम्बन्ध है जो हथ और दस्ताने का है। दोनों में सामंजस्य होना ही चाहिये। वस्तुतः शिक्षा के अन्तर्गत ही भाषा है। कारण यह है कि भाषा माध्यम है वास्तविक शिक्षा का। यही कारण है कि देश की भाषा का प्रश्न उत्पन्न होता है। भाषा के सम्बन्ध में कुछ विद्वानों ने भ्रम उत्पन्न कर रखा है कि भाषा का लोगों की सभ्यता और संस्कृति से सम्बन्ध है। यह विचार मिथ्यावाद है। सभ्यता वह व्यवहार है जो सभा, समाज में, परिवार में, मुहल्ले में अथवा नगर में शान्ति, सुख और प्रसन्नता पूर्वक रहने में सहायक हो। इसका सम्बन्ध व्यवहार से है। भाषा बोलने अथवा लिखने से इसका सम्बन्ध नहीं। अभिप्राय यह है कि भिन्न-भिन्न भाषा बोलने वाले समान व्यवहार अर्थात् समान सभ्यता रखने वाले हो सकते हैं। इसी प्रकार संस्कृति- संस्कृति में भेद-भाव भाषा के आधार पर नहीं होता। उदाहरणार्थ हिन्दू संस्कृति है— परमात्मा, जीवात्मा, कर्मफल, पुनर्जन्म, सनातन धर्मों को मानना और उनके अनुकूल व्यवहार रखना। कोई भी भाषा बोलने अथवा लिखने वाला हो, ये लक्षण सबमें समान होंगे।

दरअसल भाषा के दो उपयोग हैं। एक यह कि जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो कोई मध्यम ऐसा होना चाहिए जिससे एक दुसरे को अपने मन की भाव अथवा अनुभवों को बतला सकें। इसका दूसरा उपयोग तब होता है जब हम अपने विचार और अनुभव अपने स्मरण रखने के लिए तथा भविष्य में आने वाले मनुष्यों के लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं। इसके लिए बोली और लिपि दोनों का आविष्कार किया गया। इन दोनों के संयोग को भाषा कहते हैं। शब्द और लिपि दोनों के ही सहयोग से हम अपने विचार दूसरों को बता सकते हैं। वे दूसरे समकालीन भी हो सकते हैं और भविष्य में उत्पन्न होने वाले भी हो सकते हैं। इसी कारण भाषा को ज्ञान का वाहन भी कहा जाता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाषा परस्पर विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम है। एक देश के नागरिकों को एवं भूमण्डल के नागरिकों को परस्पर बात-चीत करने अथवा विचार बतलाने में माध्यम भाषा ही है। मानव-कल्याण के हित में हमें कोई ऐसा माध्यम चाहिए कि जिसमें हम एक-दूसरे की बात को समझ-समझा सकें। होना तो यह चाहिए और इस बात से सभी सहमत भी होंगे कि भूमण्डल के सभी देशों के रहने वालों में, जिन्होंने अपने भाग्य को एक दूसरे से सम्बद्ध कर रखा है, एक साँझी भाषा हो। तभी वे परस्पर सहचारिता से रह सकेंगे और विचारों का आदान-प्रदान कर सकेंगे।

साहित्यिक भाषा

एक साहित्यिक भाषा भाषा के लेखन में उपयोग की जाने वाली भाषा का रूप है। यह आम तौर पर भाषा का एक बोली या मानकीकृत रूप है। यह कभी-कभी भाषा के विभिन्न बोले गए रूपों से अलग-अलग भिन्न हो सकता है, लेकिन कुछ भाषाओं में साहित्यिक और गैर-साहित्यिक रूपों के बीच अंतर कुछ भाषाओं में अधिक है। जहां एक लिखित रूप और बोली जाने वाली स्थानीय भाषा के बीच एक मजबूत विचलन होता है, तो भाषा को डिग्लोसिया प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है।

एक संबंधित अवधारणा सप्तजनतहप्रबंस लेखन है, जो कुछ धर्मों की पूजा में भाषा की भाषा या रूप है।

बोले गए शब्दों के लिए लिखित शब्द, यानी वाक्यों में लिखे गए शब्द। चरित्र के माध्यम से प्रतिबिंब द्वारा लिखे गए लिखित शब्द हमेशा तात्कालिक सहज भाषण से कुछ अलग होते हैं लेकिन इस तथ्य के बावजूद कि बोली जाने वाली भाषा लगातार लिखित भाषा के रूप में बदलती है, एक रूढिवादी प्रवृत्ति है, उनके बीच का अंतर यह और अधिक फैलता है। विशेष रूप से एक लिखित भाषा जापान में एक अद्वितीय विकास किया, मुख्य रूप से शांति माध्यमिक अवधि की भाषा प्रणाली के आधार पर साहित्यिक मानक स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, जिसके परिणामस्वरूप जेन्बुन मैच आंदोलन के बाद बोली जाने वाली, लिखित भाषा और मेजी द्वारा बोली जाने वाली बड़ी केनकाकू उनके बीच का अंतर कम हो गया है। इसके अलावा, आधुनिक मौखिक शब्दों के आधार पर शास्त्रिक शब्द को बोलचाल कहा जाता है, जबकि हेनियन के बीच में जापानी पर आधारित वाक्यों को शास्त्रिक शब्दों के रूप में जाना जा सकता है।

संचार भाषा

अन्य देशों की तुलना में भारत में संचार प्रक्रिया पर ध्यानाकर्षण अन्य देशों की तुलना में देर से जरूर गया, लेकिन आज स्थिति देश में बहुत अलग है। हमारा देश विविधताओं का देश हैं। बीस से अधिक भाषायें और न जाने कितनी बोलियाँ प्रचलित हैं। ऐसे में देश में संचार प्रक्रिया को समझना बहुत जटिल हो जाता है। आधारित तौर पर तो संचार प्रक्रिया सामान्य है। अन्य देशों की तरह भारत में भी सामान्य संचार प्रक्रिया के तहत हम संचार कर सकते हैं। लेकिन जब बात भारत देश की हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है।

प्रेषक – सन्देश – माध्यम – प्राप्त कर्ता यह तो सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन भारत में बहुत अधिक बोलियाँ हैं.. कई भाषाएँ हैं। ऐसे में हम चाहे कि एक ही बार में एक ही भाषा में सभी भारतियों को सन्देश भेज दिया जाए तो शायद ये मेरे अनुसार संभव नहीं है।

एक कहावत तो सुनी होगी आपने, "कोस-कोस पर पानी बदले तीन कोस पर बानी" ये यूं ही प्रसिद्ध युक्ति नहीं है। असल में यह बहुत गंभीर कथन है संचार शास्त्रियों के लिए।

चाहे सरकार चाहे या कोई विज्ञापन जारी करने वाली कंपनी या कोई भी बड़ा आदमी, एक सन्देश को भारत में एक ही भाषा में जारी नहीं कर पाते। इसे चाहे समस्या कहा जाए या मजबूरी, होता तो ऐसा ही है। ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि एक क्षेत्र का व्यक्ति दुसरे क्षेत्र के व्यक्ति की भाषा नहीं समझ पाता।

21वीं शताब्दी के 15 वर्ष बीत जाने के बाद भी, जबकि लाखों लोग एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में रहते हैं, फिर भी एक क्षेत्र का रहवासी दुसरे क्षेत्र के रहवासी की भाषा नहीं समझ पाता।

अब बात आती है कि संचार कैसे किया जाए कि भारत में एक प्रेषक एक ही बार में अधिक से अधिक संख्या में भारतियों से जुड़ सके???

ये सवाल ज्यादातर बहु-राष्ट्रीय उद्योगों के होते हैं, जैसे वाहन निर्माता, बिल्डर्स, मार्केटिंग कंपनी, सॉफ्टवेयर कंपनी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर या इसके अलावा और भी।

दोष- भारत में वर्चस्व की भी लड़ाई है, चाहे वह धर्म की हो या भाषा या धन की। हर कोई अपनी चीज से लोगों को जोड़कर अपने को मजबूत साबित करना चाहता है। पूरे देश में हिंदी बोले जाने को लेकर बहस चल रही है कि देश में एक भाषा हिंदी को संचार की प्रमुख भाषा के तौर पर होना चाहिए। वही दूसरी और राजनीति करते हुए हिंदी को दक्षिण क्षेत्र में फैलने नहीं दिया जाता है। दक्षिण भारत में तो यह स्थिति है कि हिंदी भाषा को न फैलने देने पर राजनीति होती है, दक्षिण अपनी भाषा को पूरे देश में फैलाना चाहते हैं, और हिंदी भाषी हिंदी को देश में प्रमुख भाषा बनाना चाहते हैं। भाषाओं के प्रसार के लिए फ़िल्म, गानों के एल्बम, नाटक, अखबार, समाचार चैनल जैसे माध्यमों का सहारा लिया जाता है। इस तरह के प्रयासों में हिंदी, उर्दू, तमिल, पंजाबी, बंगाली, मराठी, कन्नड़, मलयालम, आसामी, गुजराती आदि भाषाएँ शामिल हैं।

यही कारण है कि देश में एक भाषा में संचार करना मुश्किल हो जाता है। हर कोई उद्यमी या सरकार किसी योजना या उत्पात को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक भाषा का उपयोग न करके क्षेत्र विशेष कि भाषा को अपनाता है। कई विद्यार्थी ने तो प्रभावी संचार के लिए क्षेत्रीय भाषा को मत्त्वपूर्ण माना है। यही कारण है कि विभिन्न टीवी चैनलों ने अपने अपने क्षेत्रीय चैनल शुरू किये। इससे उन्हें न केवल ज्यादा मुनाफा हुआ, बल्कि क्षेत्रीय भाषा होने के कारण लोग जुड़ने भी लगे।

हमारे देश में प्रभावी संचार में भाषा बहुत बड़ा अवरोधक रही है। तमाम संचार शास्त्री इस बात से सहमत हैं।

1.6 भाषा शिक्षण की सामान्य विशेषताएँ

1. व्यक्तित्व के विकास में सहायक :- मनुष्य अपनी भावनाओं व विचारों को व्यक्त करना चाहता है, उसी आत्मअभिव्यक्ति पर उसके व्यक्तित्व का विकास निर्भर करता है और भाषा आत्म अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण साधन है।

भाषा के बिना बौद्धिक विकास ज्ञान-विधि, आत्माअभिव्यक्ति और रचनात्मक शक्ति का विकास सम्भव नहीं है। सभी शिक्षाशास्त्री इस बात पर सहमत हैं कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का विकास करना है और उस उद्देश्य की पूर्ति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भाषा निभाती है।

2. विचार विनिमय का सर्वोत्तम साधन :- विचार विनिमय विकास को प्रेरणा प्रदान करता है और इस प्रेरणा का सूत्र भाषा है। विचारों का आदान-प्रदान संकेतों द्वारा ही नहीं किया जा सकता उसके लिए भाषा का प्रयोग अत्यन्त अनिवार्य है। भाषा और विचार का चोली दामन का साथ है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम बोलकर, लिखकर, सुनकर या पढ़कर विचारों का जितनी सुगमता से आदान-प्रदान कर सकते हैं। वह किसी अन्य भाषा से संभव नहीं है।

3. लोकतांत्रिक विकास में सहायक :- मनुष्य का बौद्धिक विकास कितना ही क्यों न हो परन्तु यह भी सच है कि यदि वह अच्छा नागरिक नहीं है तो उसका बौद्धिक विकास उसके अपने लिए और समाज के लिए विनाशकारी सिद्ध होगा।

भाषा मनुष्य के केवल बौद्धिक विकास में ही सहायता प्रदान नहीं करती बल्कि उसका नैतिक, चारित्रिक और उसका सामाजिक विकास करके उसे अच्छा नागरिक भी बनाती है। भाषा के माध्यम से मनुष्य दूसरों के भावों और विचारों को अच्छी तरह समझ सकता है और दूसरों को समझना नागरिकता का एक महत्वपूर्ण लक्षण है।

माईकल वैस्ट ने अपनी पुस्तक *Language of Education* में कहा है :

भाषा का महत्व केवल बौद्धिक विकास में नहीं बल्कि चारित्रिक विकास में भी है।

अतः इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि भाषा लोकतांत्रिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

4. ज्ञान के संरक्षण में सहायक :- संसार के जिस कोने में ज्ञान का प्रकाश होता है वह हमें भाषा के माध्यम से पुस्तकों के रूप में उपलब्ध हो जाता है। इमरसन ने ठीक ही कहा है कि भाषा एक नगर के समान है जिसके निर्माण में प्रत्येक मानव ने एक पथर रखा है। अतः ज्ञान को सुरक्षित रखने में जितनी क्षमता भाषा में है अन्य किसी साधन में नहीं है।

भाषा में ज्ञान को केवल सुरक्षित रखने की क्षमता ही नहीं है बल्कि ज्ञान के विकास का भी अद्भुत सामर्थ्य है भाषा के माध्यम से हम केवल सुरक्षित ज्ञान का ही उपयोग नहीं करते बल्कि उसका निरन्तर विकास भी करते रहते हैं।

अतः भाषा ज्ञान के केवल संरक्षण में ही नहीं बल्कि उसके विकास में भी सर्वोत्तम सहयोग प्रदान कर रही है।

5. शिक्षा का सर्वोत्तम साधन :- प्रकृति ने मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए ज्ञानेन्द्रियाँ प्रदान की हैं परन्तु ज्ञानेन्द्रियों का ज्ञान सीमित होता है। इसी प्रकार मनुष्य विभिन्न प्रकार के साधनों से शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जैसे कि शिक्षण में श्रव्य साधनों का प्रयोग किया जाता है। ये साधन शिक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं परन्तु वास्तविक शिक्षा तो भाषा के माध्यम से ही ही दी जाती है।

6. राष्ट्रीय एकता में सहायक :- किसी क्षेत्र विशेष की भाषा वहां के लोगों की इच्छाओं, आकंक्षाओं तथा भावनाओं को व्यक्त करती है। वह उस देश की क्षेत्री भाषा होती है। परन्तु सभी क्षेत्रों को राष्ट्रीय सूत्र में पिरोने का कार्य राष्ट्रीय भाषा की ही करती है। ऐसी भाषा को ही राष्ट्रीय भाषा या सम्पर्क भाषा कहा जाता है।

सभी प्रदेशों के लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं परन्तु जब भिन्न-भिन्न भाषा भाषी लोगों

को विचार विनिमय करना होना होता है तथा राष्ट्रीय कार्य में सहयोग देना होता है तो वे राष्ट्रीय भाषा का प्रयोग करते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि सामाजिक, व्यापारिक, औद्योगिक एवं साहित्यिक उन्नति का सशक्त माध्यम राष्ट्र भाषा ही है। अतः राष्ट्र की भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है जो राष्ट्रीय एकता के विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

7. अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना में सहायक :- जिस प्रकार राष्ट्र भाषा सभी प्रांतों को एकता के सूत्र में पिरो कर उनमें राष्ट्रीय भावना विकसित करती है। उसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय भाषा विश्व के लोगों के अन्तर्राष्ट्रीय भावना को विकसित कर सकती है।

8. आनन्द एवं मनोरंजन का साधन :- साहित्यिक ग्रंथ पढ़कर व्यक्ति का मन भाव विभोर होता है। गीत के मधुर बोलों पर मन झूम उठता है। कहानी, उपन्यास के पन्नों में व्यक्ति घंटों ढूबा रहता है ये सब भाषा का ही चमत्कार है। यदि भाषा न होती तो मनुष्य इस अलौकिक आनन्द की अनुभूति से वंचित रहता। जीवन को सरस बनाने की मानवीय इच्छा को पूरा करने में भी भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

1.7 भाषा शिक्षण का महत्व

- o भाषा शिक्षण का महत्व भाषा की समझ और अभिव्यक्ति को विकसित करना है।
- o इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए ऐसा आत्मीय परिवेश जरूरी है जिसमें हर बच्चा अपनी सोच और भावनाओं को बगैर डर और संकोच के व्यक्त कर सके।
- o इसके लिए नीचे दिए गए तीन बिंदुओं पर एक अध्यापक का संवेदनशील होना जरूरी है—
सभी बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती।
बच्चे के घर की भाषा और संस्कृति को सहज रूप से स्वीकार करें तथा बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें।
त्रुटियाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थायी चरण होती हैं।
- o इन तीनों बिंदुओं का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है—
सभी बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती—
बच्चों की सीखने की गति समान नहीं होती (यह विकास के व्यक्तिगत भिन्नता के सिद्धांत पर आधारित है)।
- o सीखने में बच्चों का उत्साह पैदा करने और उसे बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि उन्हें अपनी गति से सीखने की छूट मिले।

- इसके लिए अध्यापक को धैर्यवान होना चाहिए ताकि वह ऐसे अवसरों पर धैर्य रख सके।
बच्चे के घर की भाषा (बहुभाषिकता) और संस्कृति को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करें—
- बच्चे का परिवेश उसकी भाषा को गढ़ता है। इसलिए उच्चारण और शब्दावली परिवेश का प्रभाव होना स्वाभाविक है।
- यह बहुत जरूरी है कि अध्यापक बच्चे के घर की भाषा और संस्कृति को सहज रूप से स्वीकार करें ताकि बच्चे में सीखने का आत्मविश्वास और उत्साह पैदा हो सके।
- रिमझिम और मैरीगोल्ड (Marigold) में भाषा के कई प्रश्न दिए गए हैं जो एन.सी.एफ. (2005) में दिए गए सुझाव के अनुरूप बहुभाषिकता को एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
- बहुभाषिकता हमारे देश की एक सांस्कृतिक विशेषता है जो किसी ना किसी रूप में हर कक्षा में देखी जा सकती है।
- विभिन्न शोधों के माध्यम से यह बात पूरे विश्व में सिद्ध हो चुकी है कि कक्षा में मौजूद भाषायी विविधता सोचने, समझने और व्यक्त करने के तरीकों का विस्तार करती है।
- त्रुटियाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थायी चरण—
 - किसी भी भाषा की समृद्धि तथा जीवंतता की पहचान उसके विभिन्न रूपों, शब्दों तथा शैली की विविधता से होती है।
 - कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका अर्थ अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग होता है।
 - बच्चों से इस बारे में चर्चा करें, इस दौरान बहुत से शब्द निकल कर आएँगे।
 - बच्चों के उत्तरों और उनमें निहित सोच एवं कल्पना को स्वीकार करना जरूरी है।
 - शुरू से ही बच्चों की त्रुटियाँ निकालना, उनकी अलोचना करना और दंडित करना शिक्षा के बुनियादी उद्देशयों को खंडित और ध्वस्त कर देना है।
 - प्रारंभिक स्तर में की गई त्रुटियाँ बच्चों की सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक और अस्थायी चरण होती हैं।
 - त्रुटियों से आपको यह जानने में मदद मिलेगी कि उन पर कब और कैसे ध्यान दिया जाना उपयोगी होगा।
 - अध्यापक को बच्चों की आँचलिक रंगतों को उनकी त्रुटियाँ समझने से बचना चाहिए।
 - अध्यापक बच्चों की उन्हीं त्रुटियों पर ध्यान दें जो बातचीत तथा समझ में बाधा बन रहीं हो।

- o जब बच्चा कोई त्रुटि करता है तो अध्यापक को बीच में ही उसे ठीक नहीं करना चाहिए। बच्चे को उसकी बात पूरी करने पर ही सहजता के साथ ठीक करना चाहिए।
- o अध्यापक यह प्रयास करे कि बच्चा स्वयं अपनी त्रुटि को अपनी समझ और कोशिश से दूर कर सके।
- o जहाँ तक परीक्षा की बात है, परीक्षा में त्रुटियों पर ध्यान देने के बदले बच्चे द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखना अधिक उपयोगी रहेगा।

1.8 निष्कर्ष

आप ने इस पाठ में भाषा की परिभाषा के साथ साथ उसके महत्व और विविध रूपों को जान लिया है।

1.9 आत्मजांच और परीक्षण

1. भाषा की परिभाषा स्पष्ट करें।

2. राष्ट्रभाषा का अभिप्राय बताओ।

3. मातृभाषा क्या होती है ?

1.10 अध्ययन हेतु पुस्तकें

1. वरवाल, जसपाल सिंह (2005) हिन्दी भाषा शिक्षण, गुरुसर बुक डिपो, सुधार (लुधियाना)।
2. शर्मा व भाटिया (2004) हिन्दी शिक्षण विधियां, टण्डन पब्लिकेशन्ज, लुधियाना।
3. सफाया, रघुनाथ, हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताबघर, जालम्बर।



हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

- 2.0 संरचना**
- 2.1 परिचय**
- 2.2 उद्देश्य**
- 2.3 हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
- 2.4 हिन्दी की उपभाषाएं व बोलियां**
- 2.5 निष्कर्ष**
- 2.6 आत्मजाँच और परीक्षण**
- 2.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें**

2.1 परिचय

किसी भी व्यक्ति के जीवन में भाषा बहुत पञ्चवतजंदज है भाषा का क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत एवं व्यापक है। लैंगेज के असीमित कपउमदेपवदे हैं जो आपस में अंतर संबंधित हैं। विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने का एक सांकेतिक साधन है। भाषा अपने भावों, भाव को प्रदर्शित करने के अनेक प्रकार हैं यह शास्त्रिक व अशास्त्रिक दोनों प्रकार का हो सकता है या लिखित और मौखिक हो सकता है। लिखित भाषा में सूचना लिख कर दी जाती है जिसमें निर्देश, आदेश, पत्र-पत्रिकाएं, पुस्तके, जनरल, बुलेटिन, हैंडबुक्स, पोस्टर, होर्डिंग, साइन बोर्ड, शिलालेख आदि आते हैं।

जबकि मौखिक भाषा में मौखिक शब्दों द्वारा पारंपरिक स्वरूप या वार्तालाप जैसे वाद-विवाद, सिंपोजियम, संगोष्ठी, पैनल चर्चा, टेलीफोन वार्ता, वार्तालाप आदि सम्मिलित है।

मोटे तौर पर भाषा का विषय क्षेत्र संचार ही है चाहे वह किसी भी रूप में हो। आज शिक्षा के क्षेत्र में भाषा माध्यमों के रूप में केवल पुस्तकों, जनरल आदि का ही उपयोग नहीं हो रहा, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक संचार तकनीक ने विभिन्न शैक्षिक बैंकप्राउंड से आए हुए अधिगमकर्ता को सीखने के नए आयाम एवं नए अवसर प्रदान किए हैं। उच्च स्तरीय शैक्षिक योजनाएं शिक्षा के क्षेत्र में काफी कारगर सिद्ध हुई हैं।

प्रत्येक भाषा का सम्बन्ध उस भाषा को बोलने वाले समाज की प्राचीन भाषा (मूल भाषा) के साथ अवश्य होता है। उस प्राचीन भाषा में व्यक्ति भेद, स्थान और काल भेद के कारण भेद उपभेद पैदा होते रहते हैं। कालानुसार भाषा में परिवर्तन होते रहने से अनेक भाषाओं का विकास हो जाता है परन्तु उनका मूल उद्गम स्रोत एक ही रहता है। इस समान स्रोत वाली भाषाओं को एक ही परिवार की भाषाएं कहते हैं।

यह प्राचीन भाषा जिस के साथ हम हिन्दी भाषा का सम्बन्ध स्थापित करते हैं, भारत-यूरोपीय भाषा है। संसार की समस्त भाषाएं एक दर्जन के लगभग प्राचीन भाषा परिवारों के साथ सम्बन्ध रखती है। अंग्रेजी, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, फारसी और संस्कृत की मूल-भाषा प्राचीन भारत यूरोपीय भाषा (Indo-European Language) है।

2.2 उद्देश्य

बच्चो! आप इस पाठ के अध्ययन के उपरान्त जान पाएँगे कि :

1. हिन्दी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है ?
2. हिन्दी की उपभाषाएं कौन-कौन सी हैं ?

2.3 हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तरी भारत की आर्य भाषाओं की मूल-भाषा प्राचीन संस्कृत है।

भारतीय आर्य भाषाओं का प्राचीनतम रूप वेदों में पाया जाता है। वेदों के समय से आज तक परिवर्तन के कारण एक ही वैदिक भाषा की अनेक ही शाखाएं बन गई हैं। उत्तरी भारत की सभी भाषाएं वैदिक संस्कृत से निकली हैं। जिन्हें वैदिक युग से आज तक तीन उपकालों में विभक्त किया जाता है जैसे : प्राचीनकाल, मध्यकाल और आधुनिककाल। जिनका वर्णन निम्नलिखित है :

प्राचीन भारतीय आर्य भाषा :- प्राचीन भारतीय आर्य भाषा सर्वप्रथम हम वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ और उपनिषदों में पाते हैं। वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है और उसकी भाषा प्राचीनतम है, जो प्राचीन ईरानी भाषा अवेस्ता के निकट है।

उपनिषदों के बाद वेदांग साहित्य और तत्पश्चात् सूत्र साहित्य की रचना हुई।

तब तक वैदिक भाषा में इतना परिवर्तन हुआ था कि पाणिनी के बाद यही भाषा नियमबद्ध और परिमार्जित होने के कारण संस्कृत भाषा कहलायी। रामायण और महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई।

संस्कृत भाषा एक समय उत्तरी भारत की बोलचाल की भाषा थी परन्तु कालानुसार यह भी बिगड़ गई। गौतमबुद्ध के समय में जनसाधारण की बोली और साहित्यिक संस्कृत में पर्याप्य अन्तर उत्पन्न हो गया था।

मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा :- गौतमबुद्ध के समय से भारतीय आर्य भाषा का मध्यकाल आरम्भ होता

है। यह काल ई. पू. 500 से 1000 ई. तक माना जाता है। इस काल मे सर्वप्रथम पाली भाषा और अशोक की धर्मलिपि की भाषा आती है। अशोक की धर्मलिपियों में उत्तरी भारत की भाषा के तीन रूप पूर्वी, पश्चिमी और पश्चिमोत्तरी थे। अशोक की धर्मलिपियों की भाषाएं ही बाद की 'प्राकृत' के नाम से प्रसिद्ध हुईं।

500 ई. पू. में संस्कृत के साथ-साथ साहित्य में इन प्राकृतों का भी व्यवहार होने लगा। इस समय की बोलियों के चार रूप मिलते हैं। पश्चिमी भाषा का मुख्य रूप शौरसेनी प्राकृत था, पूर्वी का मागधी प्राकृत इन दोनों के बीच में अर्ध-मागधी और चौथी दक्षिण रूप महाराष्ट्री प्राकृत थी।

प्राकृत भाषाओं का समय 500 ई. तक है। 500 ई. तक इन भाषाओं में इतने परिवर्तन आ चुके थे कि साहित्य में प्रयुक्त होने वाली नियमबद्ध प्राकृत और जनसाधारण की प्राकृत में पर्याप्त अन्तर दिखने लगा और इन बिंगड़ी हुई प्राकृत बोलियों का नाम अपभ्रंश पड़ा। अपभ्रंश भाषाओं का काल 500 ई. से 1000 ई. तक है। प्रत्येक प्राकृत का एक अपभ्रंश रूप रहा है।

आधुनिक भारतीय आर्य-भाषा :- 1000 ई. से वर्तमान समय तक का काल भारत की वर्तमान अपभ्रंश भाषाओं का काल है। इसी काल में शौरसेनी अपभ्रंश से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी और पहाड़ी भाषाओं का सम्बन्ध है। अर्धमागधी अपभ्रंश के साथ पूर्वी हिन्दी का सम्बन्ध है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगला, असामी और उड़िया का सम्बन्ध है और महाराष्ट्री अपभ्रंश के साथ मराठी का सम्बन्ध है।

इस प्रकार हिन्दी भाषा का जन्म शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। आरम्भ काल से वर्तमान काल तक हिन्दी भाषा के रूप में अनेक परिवर्तन हुए तथा उस के कई भेद-उपभेद बने।

हिन्दी के प्रमुख भेद हैं : पूर्वी और पश्चिमी हिन्दी। मेरठ तथा दिल्ली के निकट बोली जाने वाली पश्चिमी हिन्दी के ही एक रूप खड़ी बोली से वर्तमान उर्दू तथा हिन्दी की उत्पत्ति हुई। इसकी एक दूसरी बोली ब्रजभाषा मथुरा के आस-पास बोली जाती है। इन दो बोलियों के अतिरिक्त पश्चिमी हिन्दी में बांगरू, कन्नौजी और बुन्देली बोलियां भी सम्मिलित हैं। हमारी राष्ट्रीयभाषा का वर्तमान साहित्यिक रूप खड़ी बोली का ही वर्तमान रूप है।

पूर्वी हिन्दी में अवधी प्रमुख है, जो अवध के आस-पास जन-साधारण की बोली है। वास्तव में इन 2000 वर्षों के हिन्दी-विकास के दौरान हिन्दी ने नया रूप धारण किया है, नया व्याकरण ग्रहण कर लिया है जो इसकी जननी संस्कृत और पाली से भिन्न है। अतः हिन्दी एक नवीन भाषा के रूप में विकसित हो गई है।

हिन्दी भाषा का स्वरूप एवं विकास

वैदिक भाषा को समस्त आर्य भाषाओं का मूल उत्स स्वीकार किया जाता है। किसी भी भाषा का उद्भव और विकास काल का आरम्भ वहीं से मानना चाहिए, जहाँ से वह बहुलता के साथ प्रयोग में आने लगे। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा का उद्भव 1000 ई. के आस-पास से ही माना जाता है।

महापण्डित राहुल साँकृत्यायन के अनुसार हिन्दी का पहला कवि यदि सरहपाद है तो हिन्दी भाषा का उद्भव-काल आठवीं सदी से स्वीकार करना होगा क्योंकि सरहपाद का रचनाकाल आठवीं शताब्दी ही है। राहुल जी ने इसी काल की अवहट्ट या अपभ्रंश को 'पुरानी हिन्दी' कहा है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने पुष्प नामक हिन्दी-कवि का नामोल्लेख अपने इतिहास में किया है, जिसका रचना काल 1000 ई० का है, पर भाषावैज्ञानिक हिन्दी का उद्भव ग्यारहवीं शती से मानते हैं। यहाँ से हिन्दी का प्रचलित स्वरूप उपलब्ध होने लगता है और अपभ्रंशों से भी उसकी मुक्ति होने लगती है।

हिन्दी :- व्युत्पत्ति की दृष्टि से हिन्दी शब्द का सम्बन्ध संस्कृत के 'सिन्धु' शब्द से माना गया है। 'सिन्धु' शब्द का प्रयोग तब से अब तक सिन्धु नामक नदी के लिए होता है। इसी आधार पर सिन्धु नदी के आस-पास के प्रदेश को सिन्ध या सिन्धु कहा जाने लगा।

फारसी या ईरानी में 'स' को 'ह' बोला जाता है, अतः वहाँ पहुँचकर 'सिन्धु' शब्द 'हिन्दु' हो गया और 'सिन्ध' शब्द 'हिन्द' : यानि एक प्रदेश या भूभाग-विशेष का सूचक बन गया। अतः स्वरूप एवं प्रयोग की दृष्टि से 'हिन्दी शब्द' फारसी-मूल का है, जहाँ इसका अर्थ होता है : हिन्द का।

'हिन्दवी' शब्द भी हिन्दी के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। हिन्दी-हिन्दवी का प्रयोग फारसी में हिन्द-देश का रहने वाला और हिन्दी-भाषा दोनों अर्थों में होने लगा। मुसलमानों का सातवीं शताब्दी में सर्वप्रथम आक्रमण सिन्ध के हिन्दू राजा दाहर पर ही हुआ था। सर्वप्रथम 'सिन्धु' से परिचित होने के कारण ही वे 'स' के स्थान पर 'ह' ध्वनि का प्रयोग कर हिन्दु, हिन्द, हिन्दी जैसे शब्दों का प्रयोग करने लगे। बाद में उनका परिचय भारत के अन्य भागों से भी होता गया और इस मूल शब्द और उसके अर्थ का भी क्रमशः विस्तार होता गया। अर्थात् 'हिन्द' समूचे भारत का वाचक या धोतक बन गया।

इसी शब्द के पीछे ईरानी का 'ईक' प्रत्यय लगने से क्रमशः हिन्दीक (ईरानी) = इन्दिका (यूनानी) = इण्डिया (अंग्रेजी) रूप विकसित होते गए। 'हिन्दी' का परिवर्तित रूप हिन्दी माना गया है। विशेषण होते हुए भी भाषा के क्षेत्र में यह शब्द संज्ञा मान लिया गया है : एक वृहद् देश के नाम और उसकी भाषा की सूचक संज्ञा।

विकास क्रम की दृष्टि से 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग पहले-पहल 'सिन्धी' के अर्थ में हुआ था, फिर मुसलमानों के शासन-विस्तार के साथ मध्यदेश की भाषा के लिए होने लगा। फिर क्रमशः इसका विस्तार उत्तर भारत की ओर होता गया। इस भाषा का न्यूनाधिक परिवर्तन के साथ सिन्धु से लेकर बिहार तक विस्तार-प्रसार रहा और आज भी है, इसी कारण यह समूचा भाषा-क्षेत्र 'हिन्दी' कहा जाने लगा।

2.3.1 हिन्दी शब्द का प्राचीनतम प्रयोग :- डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिन्दी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरपुफद्दीन यज्जी के जफरनामा (1424 ई०) में मिलता है। सम्मिलित रूप में हिन्दी भाषा की उत्पत्ति शौरसनी, अर्द्ध-मागधी और मागधी से मानी जाती है। ऐसा मानकर ही आज 'हिन्दी' शब्द के जो अनेक प्रकार के अर्थ लिए जाते हैं, उन पर विचार किया जा सकता है।

आरम्भ में 'हिन्दी' शब्द का अर्थ उर्दू और हिन्दी दोनों भाषाएँ था, जो कि बाद में अंग्रेज़ों की भाषा-नीति के परिणामस्वरूप अलग हो गया। परन्तु भाषावैज्ञानिकों की दृष्टि में ये दोनों आज भी मूलतः एक ही हैं।

2.3.2 हिन्दी शब्द का स्वीकृत अर्थ :- आज 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग अनेक स्वीकृत अर्थों में होता है। एक अर्थ का सम्बन्ध 'हिन्दी' भाषा और उसमें रचे जा रहे साहित्य से है, जिसमें हिन्दी भाषी प्रदेशों में प्रयुक्त होने वाली बोलियाँ भी आ जाती हैं। इस प्रकार साहित्यिक अर्थों में 17 बोलियाँ और उनका साहित्य उसमें समाविष्ट हो जाता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से इसका प्रयोग मुख्यतः तीन अर्थों में माना है। उनमें से विस्तृत अर्थ में समूचे हिन्दी प्रदेश में बोली जाने वाले 17 भाषाएं आ जाती हैं। 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में यही व्यापक अर्थ ग्रहण किया गया है।

भाषा विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी का अर्थ है : पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी। ग्रियर्सन आदि विद्वानों ने हिन्दी प्रदेश की अन्य उपभाषाओं या विभाषाओं को राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी आदि नामों से अभिहित किया। पश्चिमी हिन्दी-पूर्वी हिन्दी के अर्थ में मात्रा आठ बोलियाँ ही 'हिन्दी' के अन्तर्गत आती हैं, जिनके नाम हैं : ब्रज, खड़ी बोली, बुन्देली, हरियानवी, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी।

तीसरा अर्थ अधिक संवुफ्फित है। वह अर्थ है : आज की खड़ी बोली या साहित्यिक हिन्दी। यह हिन्दी-प्रदेश की सरकारी भाषा, पूरे भारत की राजभाषा है। जिसका प्रयोग अनेक समाचार पत्र और फिल्में आदि करते हैं। वह हिन्दी प्रदेश में शिक्षा का माध्यम भी है। आज उसे मानक हिन्दी या परिनिष्ठित हिन्दी भी कहा जाता है। इस अर्थ में हिन्दी का प्रयोग बस कहने भर के लिए, या नाम मात्र के लिए ही हो रहा है।

2.3.3 'हिन्दी' शब्द उत्पत्ति सम्बंधी विचार-भिन्नता :-—महावीरप्रसाद द्विवेदी जी हिन्दी शब्द की उत्पत्ति पर विचार करते हुए लिखते हैं : हिन्दी के दो अर्थ हैं। एक हिन्दुओं की भाषा, दूसरा हिंद (हिंदुस्थान) की भाषा। ये दोनों अर्थ बहुत व्यापक हैं। दोनों ही यह सूचित करते हैं कि इस देश की प्रधान भाषा हिन्दी ही है। यदि इसे हिंद की भाषा मानें तो यह सारे देश की भाषा हुई और यदि हिन्दुओं की भाषा माने तो सारे हिंदुओं की भाषा हुई।

वह आगे लिखते हैं : हिंद शब्द फारसी भाषा का है। फारसी शब्द हिंद बहुत पुराना है। उसका प्रचार, इस देश में, मुसलमानों के द्वारा हुआ। संभव है, इस देश के निवासी हिन्दुओं के ही नामानुवूफल फारसवालों ने हिंद शब्द की उत्पत्ति की हो। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार 'हिंदी' शब्द की उत्पत्ति सिद्ध करने से पहले हिंदू शब्द को सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुओं ही की भाषा का नाम हिंदी है।

द्विवेदी जी लिखते हैं, संस्कृत में एक धातु 'हिसि' है। उसका अर्थ हिंसा करना है। इस 'हिसि' धातु से कर्तार्थक प्रत्यय करने से 'हिन्' और 'हिंसक' आदि शब्द सिद्ध होते हैं। इन शब्दों में 'खंडन' और 'परिताप' अर्थ के बोधक 'दो' और 'दूध' धातुओं के योग से क्रमशः हिंदु और हिंदू शब्द सिद्ध होते हैं। अतएव हिंदू शब्द का धात्वर्थ हिंसा करने वालों का खंडन करने अथवा संताप पहुंचाने वाला हुआ।

वैदांत आदि षड्दर्शन तथा वैदिक, बौद्ध और जैन सिद्धांतों के अनुयायी, सभी, वर्थ हिंसा न करना अपने मत का एक प्रधान अंग मानते हैं। अतएव हिंसा करने वालों से प्रतिवूफलता करना हिन्दू के लिए स्वाभाविक

ही है। हिन्दू शब्द का प्रयोग संस्कृत के प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। वह आगे लिखते हैं वहाँ हिन्दू शब्द से, स्त्रीलिंग में तद्वित प्रत्यय करने से हैंदवी शब्द हुआ। उसके अपभ्रंश हिंदवी, हिंदुई। होते-होते इसी हिंदुई का हिंदी हो गया।

वहाँ उनका कहना है कि इस देश में बोली जाने वाली भाषाएं दो बड़े-बड़े भागों में विभक्त हैं : एक आर्य भाषा, दूसरी द्राविड़ भाषा। जहां से आर्य भाषा की उत्पत्ति है वहां से, द्राविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं, इसलिए आर्य और द्राविड़ ये दो विभाग करने पड़े। आर्य भाषा के मुख्य सात विभाग हो सकते हैं। यथा : हिंदी, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, मराठी, उडिया और बंगला। इन सातों भाषाओं में हिंदी सबसे प्रधान है। पूर्व में गण्डक नदी से होकर पश्चिम में पंजाब तक और उत्तर में वुफमायू से लेकर दक्षिण में किंच्याचल पर्वत के भी उस पर तक की प्रचलित भाषा हिंदी है।

2.4 हिन्दी की उपभाषाएं व बोलियां

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं आदि में इस देश की भाषा संस्कृत थी। विद्वानों का अनुमान है कि आज से कोई 2500 वर्ष पहले सर्वसाधारण के बोलचाल में इस भाषा का प्रयोग उठ गया। उसके अन्तर प्राकृत भाषाओं का प्रचार हुआ। जो प्रकृति-स्वभाव से उत्पन्न हो उसे प्राकृत कहते हैं। अर्थात् ये प्राकृत भाषाएं स्वाभाविक रीति पर, आप ही आप संस्कृत से उत्पन्न हो गई थीं। इन प्राकृत भाषाओं के कई भेद हैं। उनमें महाराष्ट्री, सौरसेनी, मागधी अर्थात् पुरानी पाली, पैशाची और अपभ्रंश ये पांच मुख्य हैं।

उन्होंने लिखा है : हिन्दी भाषा में कई प्राकृत भाषाओं के बीज हैं, परंतु विशेष करके वह सौरसेनी से उत्पन्न हुई है। प्राचीन समय में मथुरा और उसके आसपास का प्रदेश सूरसेन कहलाता था। इसी प्रदेश की भाषा का नाम सौरसेनी था। स्वाभाविक रीति पर पेफर-पफार होते-होते इसी सौरसेनी से हिंदी उत्पन्न हुई और क्रम-क्रम से वह रूप प्राप्त हुआ जिस रूप में हम उसे, इस समय देखते हैं।

आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं : प्रामाणिक रीति पर इसका, इस समय, पता लगाना बहुत कठिन है कि कब प्राचीन हिंदी प्राकृत भाषा से उत्पन्न हुई, अथवा कब प्राचीन हिंदी के साहित्य की सृष्टि हुई। अवंती के राजा मान के यहां 826 ईस्वी में पुष्प नामक एक कवि था। सुनते हैं उसी ने पहले-पहल हिंदी में कविता की। राजपूताना में वेणा नामक एक हिंदी का कवि 1198 ईस्वी में हो गया है। जगनिक कवि, वेणा के भी पहले, अर्थात् 1180 ईस्वी में विद्यमान था। परंतु इन कवियों का एक भी सर्वमान्य ग्रंथ नहीं पाया जाता। किसी-किसी का उल्लेख राजस्थान में है किसी का कहीं, किसी का कहीं किसी के दो-चार पद्य मिले भी तो उससे वह ग्रंथकार नहीं कहा जा सकता। इन बातों से इतना अवश्य जाना जाता है कि हिंदी की कविता नवीं शताब्दी में होने लगी थी। अतएव, जब तक और प्राचीन पुस्तकें उपलब्ध न हों तब तक बारहवीं शताब्दी में होने वाले चन्द ही को प्राचीन हिंदी के साहित्य का पिता कहना पड़ता है। चन्द का पृथ्वीराज रासो ही, इस हिसाब से, प्राचीन हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। परन्तु इस ग्रंथ की छंदोरचना और आलंकारिक वर्णन की प्रणाली इस बात का साक्ष्य अवश्य देती है कि चन्द के पहले हिंदी के और कवि हो चुके हैं।

वही आगे लिखते हैं, जिस समय ब्रजभाषा के रूप में हिंदी अपना आधिपत्य जमा रही थी उसी समय उसकी एक दूसरी शाखा उससे पृथक् हो गई। इस शाखा का नाम उर्दू है। उर्दू कोई भिन्न भाषा नहीं। उसमें चाहे कोई जितने फारसी, अरबी और तुर्की के शब्द भर दे उसकी क्रियाएं हिंदी ही की बनी रहती हैं उसकी रचना हिंदी ही के व्याकरण का अनुसरण करती है। वली और सौदा के काव्यों में जो भाषा है, वही तुलसीदास और बिहारीलाल के भी काव्यों में है। फारसी और अरबी के शब्दों से मिली हुई उर्दू-नामधारिणी हिंदी अभी कल उत्पन्न हुई है। सोलहवीं शताब्दी के पहले उसवेफ साहित्य का नाम तक न था। परंतु नवीं शताब्दी ही में हिंदी में कविता होने लगी थी और बारहवीं शताब्दी के तो ग्रंथ विद्यमान हैं।

जब से मुसलमानों ने इस देश में पदार्पण किया तभी से फारसी शब्द हिंदी बोलचाल में आने लगे। शब्दों के मेल का आरंभ नवीं शताब्दी में हुआ। परन्तु सोलहवीं शताब्दी तक उन शब्दों का प्रयोग लिखने में नहीं हुआ। 1600 ईस्वी के पहले जो मुसलमान कवि हुए हैं उन्होंने हिंदी ही में कविता की है, फारसी के छांद-शास्त्र के अनुवूफल प्रायः एक भी छांद उन्होंने नहीं लिखा। जब से टोडरमल ने लगान-संबंधी नये नियम प्रचलित किये और हिंदू अधिकारियों को फारसी पढ़ने के लिए विवश किया, तभी से फारसी शब्द हमारी लिखित भाषा और हमारी बोली में अधिकता से प्रयुक्त होने लगे।

आचार्य जी आगे लिखते हैं, उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है। उसका अर्थ पड़ाव डेरा अथवा तम्बू है। जब अमीर तैमूर देहली आया, तब उसने अपने पड़ाव का बाजार शहर में लगवा दिया। अतएव देहली का बाजार उर्दू कहलाया जाने लगा। तभी से इस शब्द की उत्पत्ति हुई। अकबर के समय में जब अनेक देशों से अनेक जातियों के लोग देहली में एकत्र होने लगे और प्रतिदिन के हेलमेल से जब उन सबका परस्पर एक-दूसरे से बातचीत करने का काम पड़ने लगा तब एक नये प्रकार की बोली प्रचार में आई और वही क्रम-क्रम से उर्दू के नाम से प्रसिद्ध हो गई।

वे आगे लिखते हैं, माध्यमिक काल (1570 से 1800 ई. तक) में हिंदी साहित्य के दो भेद हो गये एक ब्रजभाषा का साहित्य, दूसरा उर्दू का साहित्य। इस काल में भी, उर्दू में दो-एक ग्रंथों को छोड़कर, गद्य का कोई ग्रंथ शुद्ध हिंदी में नहीं बना। समस्त साहित्य छंदोबद्ध ही रहा। विशेषता: इस काल में इतनी हुई कि चरित, आख्यायिका और मनोरंजक कहानियों की उत्पत्ति कहीं-कहीं होने लगी।

हिंदी के आधुनिक साहित्य का जन्म उन्नीसवीं शताब्दी में हुआ समझना चाहिए। इस काल में मुख्य बात यह हुई कि लल्लूजी और सदल मिश्र ने गद्य में ग्रंथ लिखने की परिपाटी प्रचलित की। फोर्ट विलियम कालेज के अधिकारी डॉक्टर गिलक्राइस्ट ने कई हिंदी और उर्दू के विद्वानों को अपने आश्रय में रखा और उनसे अच्छे-अच्छे उपयोगी ग्रंथ गद्य में लिखवाये।

हिन्दी की उपभाषाएँ-बोलियाँ :- शब्द के व्यापक अर्थ में हिन्दी भाषा के अन्तर्गत अनेक उपभाषाएँ और बोलियाँ आ गई हैं, जिनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जाता है :

भाषा	उपभाषाएँ	बोलियाँ
हिन्दी	1. पश्चिमी हिन्दी	1. खड़ी बोली या कौरवी, 2. ब्रज भाषा, 3. हरियानवी, 4. बुन्देली, 5. कन्नौजी।
	2. पूर्वी हिन्दी	1. अवधी, 2. बघेली, 3. छत्तीसगढ़ी
	3. राजस्थानी	1. पश्चिमी राजस्थानी (मारवाड़ी) 2. पूर्वी राजस्थानी (जयपुरी) 3. उत्तरी राजस्थानी (मेवाती) 4. दक्षिणी राजस्थानी (मालवी)
	4. पहाड़ी	1. पश्चिमी पहाड़ी (गढ़वाली) 2. मध्यवर्ती पहाड़ी (विरापूँजी)
	5. बिहारी	1. भोजपुरी, 2. मगही, 3. मैथिली

इन 17 बोलियों के आधार पर हिन्दी की उत्पत्ति किसी एक प्राकृत अपभ्रंश से स्वीकार नहीं की जा सकती। यद्यपि खड़ी बोली हिन्दी का उद्भव शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, पर जब हम हिन्दी को पश्चिमी-पूर्वी-हिन्दी की आठ बोलियों का प्रतिनिधित्व करने वाली मान लेते हैं, तो उद्भव शौरसेनी के साथ अर्द्ध-मागधी से भी मानना पड़ेगा।

आधिक विस्तृत रूप से यदि हम उपरोक्त 17 बोलियों का प्रतिनिधि हिन्दी को मान लेते हैं, तो कहना पड़ेगा कि हिन्दी भाषा का उद्भव शौरसेनी-अर्द्ध-मागधी-माधगी अपभ्रंशों से हुआ है तथा हिन्दी के उद्भव का काल सामान्यतः 1000 ई. के आस-पास ही माना जाता है।

2.5 निष्कर्ष

इस पाठ के अध्ययन के उपरान्त आपको पता लग गया है कि हिन्दी भाषा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और इसकी उपबोलिया कौन-कौन सी हैं।

2.6 आत्मजाँच और परिक्षण

- 1) हिन्दी की विभिन्न उपबोलियाँ लिखें
- 2) हिन्दी शब्द उत्पत्ति सम्बन्धी धारणाओं को स्पष्ट करें।

2.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें

- 1) शर्मा शिव कुमार : हिन्दी साहित्य युग ऑर्ट प्रवृत्तियाँ, अशोक प्रकाशन नई दिल्ली।
- 2) वरवाल, जसपाल सिंह (2005) हिन्दी भाषा शिक्षण, गुरुसर बुक लिपो, सुधर (लुधियाना)।



जम्मू तथा कश्मीर में हिन्दी भाषा

- 3.0 संरचना
- 3.1 परिचय
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 हिन्दी भाषा का उद्देश्य
- 3.4 हिन्दी भाषा का महत्व
- 3.5 निष्कर्ष
- 3.6 आत्मजांच और परीक्षण
- 3.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें

3.1 परिचय

जम्मू-कश्मीर राज्य छोटा भारत है। यहां अनेक भाषाभाषी लोग रहते हैं। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं, जहां बर्फ पिघलने का नाम ही नहीं लेती तो कई इलाके ऐसे भी हैं, जो गर्मियों में तापमान को दृष्टि से देश के किसी भी गर्म क्षेत्र को याद दिलाते हैं। मुख्यतया राज्य से जो प्रमुख भाषाएँ एवं बोलियाँ बोली जाती हैं वे हैं— उर्दू हिन्दी, कश्मीरी, डोगरी, बौद्धी (लद्दाखी), बस्ती, पंजाबी एवं गोजरी (पहाड़ी)। इनमें भी तीन प्रमुख भाषाएँ कश्मीरी, डोगरी और लद्दाखी राज्य को तीन इकाइयों को तीन प्रमुख भाषाएँ हैं। डोगरा शासकों के जमाने से ही जम्मू-कश्मीर राज्य को सरकारी जबान उर्दू है, जिसे 4947 के बाद अवामी सरकार ने भी प्रत्यक्ष कारणों से राजभाषा के रूप में राज्य के संविधान में भी स्वीकृत किया।

जम्मू क्षेत्र अधिकांश लोग देवनागरी लिपि से परिचित हैं। नई पाठ (80 प्रतिशत) देवनागरी लिपि और हिन्दी भाषा को जानकार है। डोगरी भाषा के लिए सरकार ने यद्यपि फारसी एवं देवनागरी दोनों लिपियों को मान्यता दी है, फिर भी डोगरी के लिए व्यावहारिक दृष्टि से केवल देवनागरी लिपि का ही प्रयोग किया जाता है। यह बात संतोषजनक है कि साहित्य अकादमी द्वारा जो डोगरी साहित्यकार अव तक पुरस्कृत हुए हैं वे सब हिन्दी के भी साहित्यकार हैं।

कश्मीर घाटी आबादी के लिहाज से जम्मू-कश्मीर राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहीं पर सभी लोग कश्मीरी बोलते हैं, जो उनकी मातृभाषा है। हिन्दी सभी समझते हैं और पदे-लिखे लोग इसका व्यावहारिक प्रयोग कर सकते हैं। यही कारण है कि जब भी देश के अन्य प्रदेशों से हिन्दी विरोधी आवाज सुनाई दी कश्मीर से कभी ऐसा नारा नहीं सुनाई दिया। वास्तव में कश्मीर संदैव धार्मिक एवं भाषायी स्तर पर सहिष्णुता का एक जिन्दावेद उदाहरण रहा है। यहाँ पर प्राचीन काल से ही धार्मिक, सास्कृतिक, शैक्षिक और आदान-प्रदान रहा है। यहीं के लोगों ने हर अच्छी बात को स्वीकारा है और आत्मसात किया है। कश्मीर में प्राचीन काल से देश के कोने-कोने से यात्री अमरनाथ और क्षीर भवानी की यात्रा के लिए आते रहे हैं। असंख्य पर्यटक यहाँ का प्राकृतिक सौर्दर्य देखने के लिए आते रहते हैं। अत्यंत प्राचीन शिक्षा केंद्र होने के कारण जिज्ञासु शिक्षार्थी भारी सख्त्या में यहाँ आते रहे हैं। अनेक कश्मीरी व्यापारी, कारीगर एवं मजदूर जोड़ों में आर्थिक कारणों से देश के विभिन्न प्रांतों में विशेषकर उत्तर भारत में, चले आते हैं। इस आदान प्रदान के कारण हिन्दी कश्मीर लोगों के लिए संपर्क भाषा के रूप में बहुत पहले से व्यवहृत हुई है।

स्वतंत्रता पूर्व हिन्दी को स्थिति

कश्मीर में स्वतन्त्रता से हिन्दी के प्रचार-प्रसार में सरकारी तीर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री गोपाल स्वामी अव्यंगर और शिक्षा निदेशक रक्याजा गुलामुसैयदेव (1940) ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उन्होंने देवनागरी और फारसी लिपि में आसान उर्दू को राज्य के लिए शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया और इसी परिपेक्ष्य में पाठ्य पुस्तकों का निर्माण कराया। प हरमुकुंद शास्त्री, प श्रीधर कौलदुलु, प्रो. श्रीकर्तोषखानी, प ताराचंद सपू आदि शिक्षा शास्त्रियों ने व्यक्तिगत प्रयत्नों से राजकीय स्कूली में हिन्दी के पान पाठन को बढ़ावा दिया आर्य समाज, सनातन धर्म सभा हिन्दी सहायक सभा, हिन्दी परिषद, हिन्दी प्रचारिणी सभा, कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन आदि सांस्कृति-साहित्यिक संस्थाओं ने गैर सरकारी क्षेत्र में बड़ी-महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्हीं दिनों कश्मीर घाटी से कई हिन्दी पत्र-पत्रिकार, प्रकाशित हुई, जिनमें स्थानीय हिन्दी लेखकों को रचनाएँ प्रकाशित होनी रहीं। इनके नाम हैं— चंद्रोदय, महावीर चित्स्तन, ज्योति, इनके चलाने वालों में दुर्याँ प्रसाद काचरू, दीनानाथ तीन, गोविन्द भट्ट शास्त्री और प्रेमनाथ बजाज आदि का नाम उल्लेखनीय है। इस समय के हिन्दी प्रेमियों में डाक्टर कुलभूषण तथा पं. दौलतराम शर्मा, रामचंद्र कौल अभय, पं. अमरनाथ काक, जानकीनाथ दर (वानप्रस्थी), जियालाल जलाली आदि का नामोल्लेख करना आवश्यक है। इन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व कश्मीर में हिन्दी का वातावरण बनाने में मिशनरियों की तरह काम किया है।

जम्मू-कश्मीर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

वर्धा समिति के संरक्षण में वर्ष 1956 ई. में पं. शंभूनाथ पारिमू प्रो. जगद्वर जाहू प्रहलाद सिंह ने कश्मीर समिति को स्थापना की। इसकी प्रमुख उपलब्धि यह है कि परीक्षार्थियों ने वर्धा समिति को विभिन्न परीक्षाओं में भाग लिया। इनमें मुस्लिम छात्र-छात्राएं हैं। इस समय समिति राज्य के दूरस्थ भागों में लगभग 40 केंद्र चलानी है, जहाँ हिन्दी निःशुल्क पढाई जानी है। हिन्दी का एक टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। श्रीनगर मेरा एक केंद्रीय हिन्दी पुस्तकालय है और राज्य के प्रमुख जिलों में भी हिन्दी पुस्तकालय हैं। समिति

की ओर से स्थानीय हिन्दी लेखकों को प्रतिनिधि रचनाओं का प्रकाशन 'नीलजा' वार्षिक संग्रह में प्रकाशित होता है। अब तक सात संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

3.2 उद्देश्य

प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अध्ययन उपरान्त आप स्पष्ट कह पाएँगे कि :

1. जम्मू कश्मीर में हिन्दी भाषा के उद्देश्य कौन कौन से हैं।
 2. इस प्रान्त में हिन्दी भाषा का क्या महत्व है।
-

3.3 हिन्दी भाषा का उद्देश्य

पाठ के उद्देश्य इस प्रकार है :-

1. विद्यार्थियों में हिन्दी सुन कर उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता को विकसित करना।
2. हिन्दी में लिखी सामग्री के अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता विकसित करना। हिन्दी के शुद्ध वाचन तथा उसका अर्थ समझने की योग्यता विकसित करना।
3. विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह शुद्ध, सार्थक एवं सुबोध भाषा बोल कर अपने विचार प्रकट कर सकें।
4. विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वह लिख कर अपने भावों तथा विचारों को प्रकट कर सकें।
5. विद्यार्थियों को विभिन्न शब्द रूपों, ध्वनियों तथा वाक्य रचना का सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक ज्ञान देना।
7. हिन्दी शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करना।
8. हिन्दी शिक्षण के द्वारा काव्य के प्रति रुचि का विकास करना।
9. दूसरे लोगों के विचारों का खुले दिल से स्वागत करने की प्रवृत्ति का विकास करना।
10. दूसरे राज्यों में रहने वाले लोगों के साथ सम्पर्क करने के योग्य बनाना।
11. स्वतन्त्रत अध्ययन की आदत का निर्माण करना।
12. साहित्य की विभिन्न विधाओं : कहानी, एकांकी, रचना, निबन्ध के सस्वर वाचन की योग्यता को और अधिक विकसित करना।

13. साहित्य की विभिन्न विधाओं के परस्पर संबंध से अवगत करना।
14. विद्यार्थियों को भाषा को अच्छी तरह समझने योग्य बनाना।
15. विद्यार्थियों को छन्द, अलंकार तथा रस आदि से परिचित कराना।
16. सदं प्रवृत्तियों, वैचारिक साहिष्णुता, लोकतांत्रिक मूल्य, नागरिकता के आदर्श, चारित्रिक नैतिकता, सदभावना, सहायता एवं सहानुभूति, निष्पक्षता एवं विशालता, राष्ट्रीय एवं भावात्मक एकता, अन्तर्राष्ट्रीयता विवेक आदि का विकास करना।

राष्ट्र भाषा हिन्दी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य

भारत के सभी अहिन्दी भाषी राज्यों के माध्यमिक पाठ्यचर्या में राष्ट्र भाषा का अभ्यास अनिवार्य है। जिसे दो भागों में बांट सकते हैं : मिडिल तथा हाई।

- (क) **प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य** इस प्रकार होंगे :-
- (i) विद्यार्थी को एक कार्य-संचालन सम्बन्धी शब्दावली सिखाना।
 - (ii) उसे कुछ चुने हुए वाक्यों के पाठन का अभ्यास करना।
 - (iii) शुद्ध उच्चारण की नींव डालना।
 - (iv) सस्वर वाचन का अभ्यास करना।
 - (v) माध्यमिक स्तर पर (मिडिल स्कूल में) राष्ट्रभाषा हिन्दी के शिक्षण के मुख्य उद्देश्य यह होंगे :-

- (i) एक आधारभूत शब्दावली का ज्ञान उत्पन्न करना।
 - (ii) लिपि ज्ञान देना।
 - (iii) शुद्धोच्चारण तथा साधारण विषयों पर वार्तालाप की योग्यता पैदा करना।
 - (iv) वाचन का विकास करना, उपयुक्त सस्वर वाचन की योग्यता पैदा करना, साधारण वाक्यों को समझने योग्य बनाना, पढ़ने में आनन्द तथा रुचि उत्पन्न करना।
 - (v) पाठ्य-पुस्तकों के पाठों को अपने शब्दों में लिखने की योग्यता पैदा करना।
 - (vi) हाई स्कूल में राष्ट्रभाषा की शिक्षण के मुख्य उद्देश्य :-
- (i) शब्द भण्डार तथा सूक्ति भंडार की वृद्धि करना।

- (ii) भिन्न-भिन्न शैलियों से परिचय कराना।
- (iii) वाचन का विकास करना, वाचन के आवश्यक गुणों और आदतों का विकास करना, मनोरंजन तथा ज्ञानार्जन के लिए पठन करना।
- (iv) कल्पना शक्ति का विकास करना।
- (v) लिपिबद्ध भाषा में व्याकरण सम्मत तथा प्रभावोत्पादक भाव-प्रकाशन की योग्यता पैदा करना।

हिन्दी शिक्षण के सामान्य उद्देश्य

हिन्दी शिक्षण के उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित विद्वानों के विचार उल्लेखनीय हैं:-

- (i) आचार्य पं. सीताराम चतुर्वेदी के विचार भाषा शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम दूसरों की कही और लिखी हुई बातें ठीक-ठीक समझ और पढ़ सकें तथा शुद्ध प्रभावोत्पादक एवं रमणीय ढंग से बोल और लिख सकें।
- (ii) पं. करुणा पति त्रिपाठी के विचार है कि सामूहिक रूप से भाषा की शिक्षा का उद्देश्य होगा दूसरे द्वारा कही और लिखी बातों को ठीक-ठीक समझा सकने के योग्य बनाते हुए छात्रों को अवसर एवं परिस्थिति के अनुकूल प्रभावशाली, आकर्षक शुद्ध तथा रूचिकर शैली में भाषा का ऐसे ढंग से प्रयोग कर सकने की क्षमता उत्पन्न करना जिससे अभीष्ट सिद्धि में सहायता मिले।

विभिन्न स्तरों पर हिन्दी शिक्षण के उद्देश्य

1. कौशलात्मक उद्देश्य
2. ज्ञानात्मक उद्देश्य
3. अभिवृत्यात्मक उद्देश्य
4. सराहनात्मक उद्देश्य
5. रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य
6. सृजनात्मक उद्देश्य

1. **कौशलात्मक उद्देश्य** :- जिस प्रकार अन्य कलाओं तथा कौशलों का शिक्षण हम योग्य एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों से लेते हैं और फिर सतत् अभ्यास से उसमें प्रवीणता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार भाषा की कला भी हम योग्य एवं प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों द्वारा सीखते हैं और फिर उनके मार्गदर्शन में सतत् अभ्यास से उसमें विकास करते हैं। इस प्रक्रिया से हम दूसरों की बातें समझने लगते हैं और बोलकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने लगते हैं।

लिखने की कला भी सीखने और अभ्यास से संबंधित है। पहले पहल बालक टेढ़ा-मेढ़ा लिखता है। शिक्षक उसके लेखन को सुधारता है। उसे अभ्यास करता है। बोलना हो या लिखना दोनों में भाषा के कौशलात्मक प्रयोग की आवश्यकता होती है। भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्य में मुख्यतः दो कौशल सम्मिलित हैं :-

(क) **ग्रहणात्मक कौशल** :- ग्रहणात्मक कौशल का अर्थ है : दूसरों की बात को समझने का कौशल। यह बात चाहे मौखिक रूप से व्यक्त की गई हो या लिखित रूप से। मातृ भाषा के रूप में हिन्दी के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वह दूसरों की बात सुन कर उसे अच्छी तरह से समझ सकें और पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा अन्य लिखित सामग्री को पढ़कर अच्छी तरह समझ सकें। इस प्रकार ग्रहण करने का कौशल भी दो प्रकार का होता है :-

- (i) सुनकर ग्रहण करना
- (ii) पढ़कर ग्रहण करना

(i) **सुनकर ग्रहण करना** :- भाषा के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वह सुन कर अर्थ ग्रहण कर सकें। यद्यपि घर में उसे मौखिक भाषा को समझने का व्यवहारिक अभ्यास हो चुका होता है तदपि विद्यालय में उसे साहित्यिक एवं व्याकरण संगत भाषा सुनने को मिलती है। ग्रहणात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है विद्यार्थियों में किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा बोली गई भाषा के साहित्यिक विचारों एवं भावों को समझने की क्षमता विकसित करना।

(ii) **पढ़कर ग्रहण करना** :- भाषा शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य भी बनाया जाता है कि वह भाषा को पढ़कर उसका अर्थ ग्रहण कर सकें कई बार विद्यार्थियों को लिपि का ज्ञान करने या शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए वाचन कराया जाता है।

वस्तुतः लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया को ही 'वाचन' कहते हैं। वाचन द्वारा हम विद्यार्थियों में उचित शब्दोचार, उचित ध्वनि निर्गम बल, विराम, सुस्वरता, उचित वाचन, शैली, वाचन गति, तथा प्रभावोत्पादकता आदि को विकसित करते हैं। इस कौशल को सीख कर विद्यार्थी उच्च स्तर की पुस्तकें तथा पत्रिकायें पढ़कर उनसे आवश्यक ज्ञानार्जन करने के योग्य हो जाते हैं।

(i) **अभिव्यक्ति कौशल** :- अपने विचारों, भावों तथा अनुभवों को व्यक्त करना आदि आत्मभिव्यक्ति है जो मनुष्य का कुदरती स्वभाव है और आत्मभिव्यक्ति का पहला साधन है 'मातृभाषा'। अभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकती है :-

- (i) बोलचाल द्वारा
- (ii) लिखकर

(i) बोलचाल द्वारा अभिव्यक्ति :- बच्चा सबसे पहले बोलचाल द्वारा अर्थात् मौखिक रूप से अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करता है। घर में बच्चे को इसका अभ्यास हो चुका होता है परन्तु यह अभ्यास उसे मौखिक अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं बनाता। घर में बोल-चाल के लिये प्रयुक्त व्यावहारिक भाषा विचाराभिव्यक्ति के लिये पर्याप्त नहीं होती। विद्यार्थी शिक्षक द्वारा पूछे गये प्रश्नों को समझते हुए भी सही उत्तर नहीं दे पाते।

(ii) लिखकर अभिव्यक्ति :- बोलचाल अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है परन्तु यह अपने आप में अपूर्ण एवं अपर्याप्त है। मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप में अस्पष्ट भी होती है। भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों को इस योग्य बनाया जाता है कि वे स्पष्ट एवं शुद्ध भाषा में लिख कर अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त कर सकें। लेखन कौशल को विकसित करना भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। लेखन कौशल प्रायः तीन प्रकार का होता है :-

- (i) साधारण लेखन कौशल
- (ii) अनुवाद लेखन कौशल
- (iii) सृजनात्मक लेखन कौशल

(i) साधारण लेखन कौशल :- व्यक्ति अपने सामान्य कार्य-व्यवहार में प्रयुक्त करता है।

(ii) अनुवाद लेखन कौशल :- प्रथम भाषा से द्वितीय भाषा में तथा द्वितीय भाषा से प्रथम में अनुवाद करने की क्षमता अर्जित करना इसी कौशल में आता है।

(iii) सृजनात्मक लेखन कौशल :- इसमें मौलिक रचनाओं का समावेश होता है। यदि विद्यार्थी की ग्रहण शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो और उसमें अभिव्यक्ति का सामर्थ्य भी विद्यमान हो तो वह सृजनात्मक रचना की ओर प्रवृत्त हो सकता है। यह अभिव्यक्ति कौशल का विकसित रूप है। भाषा शिक्षक को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए। अध्यापक को अपने मार्गदर्शन द्वारा उसे विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए।

संक्षेप में मातृभाषा के रूप में हिन्दी शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यमें निम्नलिखित बातों को सम्मिलित किया जा सकता है।

- (i) विद्यार्थियों में हिन्दी सुनकर उसका अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।
- (ii) हिन्दी में लिखी सामग्री को पढ़कर उसका अर्थ एवं भाव समझने की योग्यता विकसित करना।
- (iii) विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे शुद्ध, सार्थक एवं सुबोध भाषा बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकें।

- (iv) विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि वे लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट कर सकें।
- (v) विद्यार्थियों के रचनात्मक कौशलों को विकसित करना।

II. ज्ञानात्मक उद्देश्य :- भाषा ज्ञान प्राप्ति का साधन है। उसके माध्यम से व्यक्ति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों का ज्ञान प्राप्त करता है। अतः विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करना भाषा का एक आवश्यक उद्देश्य है। भाषा के ज्ञानात्मक उद्देश्यों में निम्नलिखित का समावेश किया जा सकता है :-

- (i) विद्यार्थियों को विभिन्न शब्द-रूपों, धनियों तथा वाक्य-रचना का सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक ज्ञान देना।
- (ii) भाषा के माध्यम से विद्यार्थियों को जीवन के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान प्रदान करना, जैसे : सांस्कृतिक, पौराणिक, सामाजिक, वैज्ञानिक आदि।
- (iii) माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं : कहानी, नाटक, एकांकी, कविता आदि का सामान्य ज्ञान प्रदान करना।
- (iv) उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थियों को हिन्दी साहित्य की जानकारी देना।
- (v) विद्यार्थियों में ज्ञानार्जन की प्रवृत्ति विकसित करके उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर उन्मुख करना।

III. अभिवृत्यात्मक उद्देश्य :- विद्यार्थियों में सदप्रवृत्तियों तथा सम्यक दृष्टिकोण को विकसित करना आदि समूची शिक्षा का महत्त्वपूर्ण उद्देश्य है। भाषा का शिक्षण इस उद्देश्य की पूर्ति में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित हैं :-

- (a) साहित्य में रुचि (b) सदप्रवृत्तियों का विकास।

(a) साहित्य में रुचि :- साहित्य समाज को दिशा प्रदान करता है। यह व्यक्ति का भावात्मक परिमार्जन भी करता है। हिन्दी शिक्षण का कार्य करते हुये, अध्यापक को कई कवितायें, कहानियां, नाटक, एकांकी, निबंध पढ़ाने होते हैं। इस दौरान बच्चे में पैदा हुई साहित्यिक रुचि का उसे सदुपयोग करना चाहिए।

बच्चे स्वभाव से ही क्रियाशील होते हैं। यदि अध्यापक कुशल हो तो हिन्दी शिक्षा द्वारा बच्चों में भाषा और साहित्य के प्रति रुचि पैदा कर देता है। ऐसी रुचि बच्चों को रचनात्मक क्रियाओं की ओर भी प्रेरित करती है।

(b) सदप्रवृत्तियों का विकास :- सदप्रवृत्तियों का विकास आधुनिक युग की आवश्यकता है। इन प्रवृत्तियों का मूल आधार है, मानवता के प्रति संवेदनशीलता। सदप्रवृत्तियों के अनुरूप भावों और विचारों को साहित्य द्वारा विकसित किया जाता है। हिन्दी के शिक्षण द्वारा सदप्रवृत्तियों के अनुरूप कार्य करने की प्रेरणा दी जा सकती है। अतः शिक्षक को चाहिए कि भाषा शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में संवेदनशीलता आदि सदप्रवृत्तियों का विकास करे।

IV. रसात्मक एवं समीक्षात्मक उद्देश्य :- हिन्दी शिक्षण का उद्देश्य है विद्यार्थियों में हिन्दी साहित्य के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। हिन्दी का अपना व्यापक एवं समृद्ध साहित्य है जो विद्यार्थियों में रसानुभूति की क्षमता विकसित करने की क्षमता रखता है। हिन्दी शिक्षण के इस उद्देश्य को प्राप्त करने में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जा सकती हैं:-

- (क) हिन्दी साहित्य में अभिव्यक्त अनुभूतियों को ग्रहण करने की योग्यता पैदा करना।
- (ख) हिन्दी साहित्य के सौन्दर्य को पहचानने की योग्यता पैदा करना।
- (ग) हिन्दी साहित्य से रसास्वादन करने की योग्यता पैदा करना।
- (घ) हिन्दी साहित्य के प्रति रुचि का विकास करना।

V. सृजनात्मक उद्देश्य :- अभिव्यक्ति कौशल के विकास के दौरान विद्यार्थियों में सृजनात्मक विकास भी किया जा सकता है। सृजनात्मक कौशल अभिव्यक्ति-कौशल का विकसित रूप है। प्रायः अध्यापक विद्यार्थियों को साधारण लेखन के कार्य तक ही सीमित रखते हैं और इसी से अभिव्यक्ति कौशल की इति मान लेते हैं। वे विद्यार्थियों में सृजनात्मक कौशल के विकास को अपना कर्तव्य नहीं समझते और विद्यार्थी में न तो सृजनात्मक कौशल के प्रति रुचि पैदा करते हैं और न ही उनमें रचनात्मक प्रतिभा का विकास करते हैं।

भले ही अधिकांश विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रतिभा विद्यमान न हो, परन्तु कुछ गिने-चुने प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को सृजनात्मक-कौशल का विकास करने का अवसर प्रदान न करना भी उनके प्रति अन्याय होगा।

3.4 हिन्दी भाषा का महत्व

- हिन्दी शिक्षण के महत्व को निम्नलिखित रूप से प्रकट किया जा सकता है :-
- (i) वे समूची भारतीय जनता के साथ व्यवहारिक सम्पर्क स्थापित कर सकें।
 - (ii) विभिन्न प्रदेशों एवं जातियों की जीवन-विधियों का परिचय प्राप्त करके राष्ट्रीयता के व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक हो सकें।
 - (iii) हिन्दी भाषा के चार कौशलों में अभ्यस्त होकर उनका निपुणता से व्यावहारिक प्रयोग कर सकें।
 - (iv) विभिन्न प्रदेशों में परस्पर साहित्यिक आदान-प्रदान को सम्भव बनाकर राष्ट्र के साहित्यिक भण्डार को समृद्ध बना सकें।
 - (v) भारतीय संस्कृति के विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें और सांस्कृतिक एकता को विकसित कर सकें।

- (vi) केन्द्र तथा विभिन्न प्रान्तों में प्रशासनिक कार्यों को कुशलतापूर्वक कर सकें।
- (vii) हिन्दी भाषा एवं साहित्य की समृद्धि में सार्थक एवं सक्रिय भूमिका निभा सकें।
- (viii) समूचे राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं प्राकृतिक समस्याओं को अच्छी तरह समझ कर उनके समाधान में सक्रिय सहयोग प्रदान कर सकें और इस प्रकार राष्ट्रीय जीवन के विकास में सहायक सिद्ध हो सकें।

3.5 निष्कर्ष

इस पाठ से आपने जाना कि जम्मू कश्मीर में हिन्दी की क्या स्थिति व हिन्दी भाषा का क्या महत्व है ?

3.6 आत्मजांच और परीक्षण

1. हिन्दी भाषा के उद्देश्य जम्मू कश्मीर के संदर्भ में स्पष्ट करें।

2. हिन्दी भाषा के महत्व पर प्रकाश डालें।

3.7 अध्ययन के लिए पुस्तकें

1. वरवाल, जसपाल सिंह (2005) हिन्दी भाषा शिक्षण, गुरुसर बुक डिपो, सुधार (लुधियाना)।
2. शर्मा व भाटिया (2004) हिन्दी शिक्षण विधियां, टण्डन पब्लिकेशन्ज, लुधियाना।
3. सफाया, रघुनाथ, हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताबघर, जालन्धर।



हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

- 4.0 संरचना
- 4.1 परिचय
- 4.2 उद्देश्य
- 4.3 वर्णों के प्रकार
- 4.4 हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण
- 4.5 निष्कर्ष
- 4.6 आत्मजाँच और परीक्षण
- 4.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें

4.1. परिचय

भाषा अभिव्यक्ति का साधन है। अभिव्यक्ति की इकाई वाक्य है अर्थात् मनुष्य वाक्यों द्वारा अपने विचार व्यक्त करता है। वाक्य की इकाई शब्द है। शब्द की इकाई ध्वनि है। इस प्रकार हम कह सकते हैं ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। यदि ध्वनियों को भाषा का उद्गम स्रोत कहा जाए तो अत्येक्ति नहीं होगी। ध्वनि भाषा को मौलिक आधार प्रदान करती हैं। ये ध्वनियां जीभ, होठ, गला, तालु, नासिका और स्वरतन्त्रियों के सहयोग से उत्पन्न होती हैं। बोलने के प्रयत्न में भीतर वायु का प्रकम्पन होता है। ये वायु गले से तरंगित होकर कई प्रकार की ध्वनियों को जन्म देती है। ध्वनियों की पहचान के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्ह विशेष को वर्ण कहते हैं।

4.2. उद्देश्य

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप निपुण हो जाएंगे कि :

1. ध्वनियां से आपका क्या अभिप्राय है?
2. वर्णों के प्रकार कितने हैं?
3. स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण क्या है?
4. हिन्दी ध्वनियाँ का वर्गीकरण कैसे हुआ है।

4.3. वर्णों के प्रकार

वर्ण के दो प्रकार हैं-

(क) स्वर

(ख) व्यंजन

(क) स्वर—वह ध्वनि जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख से बाहर निकलती है। स्वरों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वरों का उच्चारण स्वतन्त्र रूप से किया जाता है।

स्वरों का वर्गीकरण

स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रमुख भेदों द्वारा किया जा सकता है—

मात्रा की दृष्टि से-

मात्राओं की दृष्टि से स्वरों के तीन भेद हैं—

1. हस्त स्वर—जिन स्वरों में केवल एक मात्रा हो उन्हें ‘हस्त स्वर’ कहते हैं। अ, इ, ऊ, ऋ हस्त स्वर है। इन स्वरों को मूल स्वर या एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं।

2. दीर्घ स्वर—वह स्वर जिन के उच्चारण में हस्त से दुगुना समय लगे अर्थात् जिनमें दो मात्राएं हों उन्हें ‘दीर्घ स्वर’ कहा जाता है। आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, और, औ दीर्घ स्वर हैं। इनमें दो स्वरों का मेल होता है, इसलिए इन्हें ‘सन्धि स्वर’ अथवा संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे—

अ + अ - आ

इ + इ - ई

उ + उ - ऊ

अ + इ - ए

3. प्लुत स्वर—जिन स्वरों के उच्चारण में हस्त से तिगुना समय लगे उन्हें ‘प्लुत स्वर’ कहते हैं। जैसे ‘ओऽम’

उच्चारण की दृष्टि से—उच्चारण की दृष्टि से स्वर दो प्रकार के हैं—

1. सानुनासिक—वह स्वर जिनके उच्चारण में मुँह के साथ नाक का भी सहयोग लिया जाये, ‘सानुनासिक स्वर’ कहलाते हैं। जैसे मांग। इसमें ‘आ’ सानुनासिक स्वर है।

2. निरनुनासिक स्वर—वह स्वर जिनके उच्चारण में केवल मुँह का प्रयोग होता है उन्हें निरनुनासिक स्वर कहते हैं। जैसे ‘गई’।

आभ्यन्तर प्रयत्न की दृष्टि से—यह ठीक है कि स्वरों के उच्चारण में ध्वनि अबाध गति से मुख से निकलती है फिर भी मुँह व जीभ को कुछ प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। कभी मुख द्वारा सिकुड़ जाता है, कभी संकरा हो जाता है, तो कभी पूरा खुल जाता है। इसी प्रकार कभी जीभ का अग्र भाग, कभी उसका मध्य भाग और कभी उसका पिछला भाग स्वरों के उच्चारण में प्रयत्न करता है। इसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं।

1. मुख्य द्वार के प्रयत्न के आधार पर-ये चार प्रकार के हैं-

- (क) विवृत स्वर-वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, उन्हें विवृत स्वर कहा जाता है। जैसे-आ, ओ आदि।
- (ख) अर्द्धविवृत स्वर-वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है उन्हें 'अर्द्धविवृत स्वर' कहा जाता है। जैसे 'अ' 'अं' आदि।
- (ग) संवृत स्वर-वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार बहुत संकरा हो जाता है, उन्हें 'संवृत स्वर' की संज्ञा दी जाती है। जैसे 'इ' 'ई' 'उ' 'ऊ' आदि।
- (घ) अर्द्ध संवृत स्वर-वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा सिकुड़ जाता है उन्हें अर्द्ध संवृत स्वर कहते हैं। जैसे-'ए' 'ऐ' 'ओ' 'औ' आदि।

2. जीभ के प्रयत्न के आधार पर-इनके तीन भाग हैं-

- (क) अग्र-वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का अगला भाग प्रयत्न करता है उन्हें 'अग्र' कहा जाता है, जैसे-'इ' 'ई' 'ए' 'ऐ' अग्र स्वर हैं।
- (ख) मध्य-वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का मध्य भाग प्रयत्न करता है उन्हें मध्य स्वर कहा जाता है। जैसे-'अ' मध्य स्वर है।
- (ग) पश्च-वे स्वर जिनके उच्चारण में जीभ का पिछला भाग उठता है वे 'पश्च' कहलाते हैं। जैसे-आ, उ, ऊ, ओ, औ आदि।
- (ख) व्यंजन-हिन्दी की वे ध्वनियां जो मुख से अबाध गति से बाहर नहीं निकलती बल्कि कण्ठ और मुख के विभिन्न अवयवों से टकराती हुई बाहर निकलती हैं। इन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं।

भोलानाथ तिवारी

"व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती। या तो उसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ाना पड़ता है या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है या मध्य रेखा से हट कर एक या दोनों पाश्वर्वों से निकलना पड़ता है या किसी भाग को कम्पित करते हुए निकलना पड़ता है। इस प्रकार वायु-मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है।"

व्यंजन के भेद निम्नलिखित हैं-

1. स्पर्श व्यंजन-कई व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग का स्पर्श करके वायु को थोड़ा सा रोकती है, फिर आगे निकलने देती है। इन व्यंजनों को 'स्पर्श' व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें पाँच वर्गों में बांटा गया है-

क वर्ग	-	क ख ग घ ड
च वर्ग	-	च छ ज झ ञ
ट वर्ग	-	ट ठ ड ढ ण

त वर्ग - त थ द ध न
प वर्ग - प फ ब भ म

2. **ऊष्म व्यंजन**-ये व्यंजन उच्चारण के समय मुख से ऊष्म (गर्म) श्वास बाहर निकालते हैं, इन्हें ही 'ऊष्म' व्यंजन कहा जाता है।

इनकी संख्या चार है-

स श ष ह

3. **अन्तस्थ व्यंजन**-ये व्यंजन उच्चारण में स्पर्श और ऊष्म के बीच की स्थिति वाले हैं। इसमें जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती और वायु बिना रगड़ खाए बाहर निकल जाती है। ऐसे व्यंजनों को 'अन्तस्थ' व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है-

य र ल व

4. **अन्य व्यंजन**-32 व्यंजनों के अतिरिक्त हिन्दी में कुछ व्यंजन अन्य हैं जिन्हें स्वीकार किया गया है, जैसे-

(क) संयुक्त व्यंजन

क्ष, त्र, ज्ञ

(ख) अनुस्वार और विसर्ग

अं, अः

(ग) विदेशी व्यंजन

क़, ख़, ग, ज्ञ, फ़

5. **आनुनासिक**-हिन्दी में एक विशेष प्रकार का चिन्ह चन्द्र बिन्दु (^\circ) प्रयुक्त होता है क्योंकि इसका उच्चारण भी स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता, इसलिए कुछ विद्वान इसकी गणना व्यंजनों में करते हैं।

व्यंजनों का वर्गीकरण

इन्हें निम्नलिखित आधारों पर वर्गीकृत किया गया है-

(क) आभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर-

इसके आठ भेद हैं-

1. **स्पर्श व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थलों को सामान्य रूप से स्पर्श करती है। क, ख, ग, घ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ स्पर्श ध्वनियाँ हैं।

2. **स्पर्श संघर्षी व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को कुछ रगड़ती हुई स्पर्श करती है। च, छ, ज, झ, स्पर्श संघर्षी व्यंजन हैं।
3. **संघर्षी व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को बहुत रगड़ती है। इस रगड़ से चीत्कार सी ध्वनि का आभास होता है-

ऋ, फ़, ख, ग, ज, स, श, प, ह
4. **अनुनासिक व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख को इस प्रकार खोला जाता है कि ध्वनि मुख विवर से न निकल कर नासिक विवर से बाहर निकलती है। प्रत्येक वर्ग का अन्तिम व्यंजन अनुनासिक है।

ঢ, জ, ণ, ন, ম
5. **पाश्विक व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार बीच में बन्द रहता है और वायु दोनों ओर से बाहर निकल जाती है। ल, पाश्विक व्यंजन है।
6. **लुंठित व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग जल्दी-जल्दी तालु का स्पर्श करके ध्वनि उत्पन्न करता है। 'र' लुंठित ध्वनि है।
7. **उत्क्षिप्त व्यंजन**-इन व्यंजनों के उच्चारण में मुख द्वार झटके से खुलता है और जीभ का अग्र भाग तालु को दूर तक स्पर्श करता हुआ ध्वनि उत्पन्न करता है। ड और ଢ, उत्क्षिप्त व्यंजन हैं।
8. **अर्द्ध स्वर**-इन वर्णों के उच्चारण में मुख द्वार कुछ सिकुड़ जाता है और वायु उच्चारण स्थानों को प्रभावित करती हुई स्वरों के उच्चारण की तरह बाहर निकलती है। इनके उच्चारण में स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति रहती है परन्तु झुकाव व्यंजन की ओर अधिक होता है। 'য' और 'ব' अर्द्ध स्वर व्यंजन हैं।

(ख) प्राणत्त्व के आधार पर-

इसके दो प्रकार हैं-

1. **महाप्राण**-वे व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा का अधिक प्रयोग अर्थात् श्वास बल अधिक लगाया जाए उन्हें 'महाप्राण व्यंजन' कहा जाता है। सभी वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण अर्थात् ख, घ, छ, झ, ଠ, ଢ, ଧ, ଫ, ମ और ସ, ଷ, ଶ, ହ तथा विसर्ग महाप्राण ध्वनियां हैं।
2. **अल्पप्राण**-जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा का अपेक्षाकृत कम प्रयोग हो अर्थात् श्वास-बल का प्रयोग कम हो उन्हें 'अल्प प्राण' व्यंजन कहा जाता है, प्रत्येक वर्ग की की पहेली, तीसरी और पांचवीं ध्वनि अर्थात् ক, গ, ড, চ, জ, ঝ, ট, ঢ, ণ, ত, দ, ন, প, ব, ম ঔর য, র, ল এवं অনুস্বার অল्प प्राण व्यंजन हैं।

4.4. हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण

इसको दो प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है-

21.3.1. उच्चारण स्थान के आधार पर

21.3.2. प्रयत्न के आधार पर

उच्चारण स्थान का आधार

मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वही भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान है। मुख्य उच्चारण स्थान इस प्रकार हैं-

कण्ठ, तालु, मुद्द्रा, दन्त, ओष्ठ और नासिका।

वर्गीकरण-उच्चारण स्थानों के प्रयोग की दृष्टि से वर्णों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जाता है-

1. **कण्ठय**-वे वर्ण जो कण्ठ से बोले जाएं 'कण्ठय' होते हैं। जैसे-
अ, आ, क, ख, ग, घ, ड, ह, विसर्ग और ओ (०)
2. **तालव्य**-जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कोमल तालु का स्पर्श करती है-
इ, ई, च, छ, ज, झ, झ, य, शा, झ
3. **मूर्ढन्य**-जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ कठोर तालु का स्पर्श करती है-
ऋ, ट, ठ, ड, ण, र, ष
4. **द्विस्पष्ट मूर्ढन्य**-ड़ ड़ द्विस्पष्ट मूर्ढन्य हैं क्योंकि इनके उच्चारण में जीभ कठोर तालु के साथ रगड़ खाती है।
5. **दन्तय**-जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दान्तों का स्पर्श करती है, उन्हें दन्तय कहते हैं-
त, थ, द, ध, त्र, ल, स, झ
6. **ओष्ठय**-जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होठों का प्रयोग किया जाता है-
उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म
7. **कण्ठ-तालव्य वर्ण**-जिन वर्णों के उच्चारण में कण्ठ व तालु का प्रयोग होता है-
ए, ऐ, क्ष
8. **दन्तयोष्ठय वर्ण**-जिन वर्णों के उच्चारण में दंत और होठों का प्रयोग होता है-
व, फ

9. **कण्ठोष्य वर्ण**-जिन वर्णों के उच्चारण में कण्ठ और होंठों का प्रयोग होता है-
ओ, औ
10. **कण्ठ-जिह्वा मूल्य वर्ण**-जिन वर्णों के उच्चारण में कण्ठ और जीभ के पिछले भाग की रगड़ का प्रयोग होता है, वे कण्ठ-जिह्वा मूल्य वर्ण कहे जाते हैं-
क, ख, ग
11. **अनुनासिक वर्ण**-जिन वर्णों के उच्चारण में वायु नासिका से निकलती है, उन्हें अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं-
अनुस्वार, चन्द्रबिन्दु और ड, ञ, ण, न, म

(ख) प्रयत्न के आधार पर-

इन्हें दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है-

- (1) बाह्य प्रयत्न के आधार पर
- (2) आभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर

1. **बाह्य प्रयत्न के आधार पर**-स्वरतन्त्री तथा काकल के प्रयत्न के अनुसार वर्णों को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-

(क) घोष वर्ण-सांस लेते समय स्वरतन्त्रियां अलग-अलग रहती हैं, परन्तु ध्वनियों का उच्चारण करते समय ये आपस में मिल जाती हैं। वायु इनको धक्का दे कर बाहर निकालती है, जिससे कुछ कम्पन या घोष पैदा होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में इस प्रकार का घोष होता है उन्हें 'घोष वर्ण' कहते हैं-

सभी स्वर, पाँचों वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवां व्यंजन, य, र, ल, व, ह

(ख) अघोष वर्ण-जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां अलग-अलग रहती हैं और वायु को बाहर निकलने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उन वर्णों को 'अघोष वर्ण' कहते हैं-

सभी वर्गों के पहले, दूसरे व्यंजन, स, श, ष

(ग) महा प्राण-जिन वर्णों के उच्चारण में वायु का अधिक प्रयोग होता है अर्थात् जिन के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगाया जाता है उन्हें महा प्राण वर्ण कहते हैं-

सभी वर्गों का दूसरा, चौथाव्यंजन, श, ष, स, ह, विसर्ग

(घ) अल्प प्राण वर्ण-जिन वर्णों के उच्चारण में हवा का अपेक्षाकृत कम प्रयोग हो अर्थात् श्वास बल कम लगे उन्हें अल्प प्राण वर्ण कहते हैं-

सभी वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, य, र, ल, व, सभी स्वर, अनुस्वार।

2. अभ्यन्तर प्रयत्न के आधार पर-उच्चारण प्रक्रिया में मुख विकार तथा नासिका के भीतर जो प्रयत्न होता है। उसे आभ्यन्तर प्रयत्न कहते हैं। इसके आधार पर स्वरों और व्यंजनों का अलग-अलग विभाजन किया जाता है। जिसकी चर्चा हम इसी पाठ में पहले कर चुके हैं।

4.5 निष्कर्ष

भाषा के मौखिक व लिखित रूप के लिए ध्वनियों का ज्ञान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत पाठ से यह भलि-भाँति आप परिचत हो गए हैं।

4.6 आत्मजांच और परीक्षण

1. हिन्दी ध्वनियों को उच्चारण स्थान की दृष्टि से किस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है।
-
-

2. प्रयत्न के आधार पर हिन्दी ध्वनियों का वर्गीकरण करें।
-
-

3. ध्वनि का अभिप्राय स्पष्ट करें। वर्गोंके भेदों पर चर्चा करें।
-
-

4.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें

1. हिन्दी शिक्षण एवं उनकी विधियाँ भाटिया एवं नारंग
2. हिन्दी शिक्षण सुरेन्द्र सिंह कादियान



हिन्दी शब्द रचना

- 5.0 संरचना
- 5.1 परिचय
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 शब्द तथा उसके अर्थ
- 5.4 शब्दों का वर्गीकरण
- 5.5 हिन्दी शब्दों की रचना
- 5.6 शब्द शक्तियों का भाषा शिक्षण में महत्व
- 5.7 निष्कर्ष
- 5.8 आत्मजाँच और परीक्षण
- 5.9 अध्ययन हेतु पुस्तकें

5.1. परिचय

शब्द संरचना का आशय नये शब्दों का निर्माण, शब्दों की बनावट और शब्द गठन से है। सभी जानते हैं कि हिन्दी की देवनागरी लिपि शास्त्र शुद्ध है। उसका वर्गीकरण एक विशेष ढंग से किया गया है। किन्तु हिन्दी के संस्कृतजन्य शब्द सुसंवादित एवं अर्थ वाही भी होते हैं।

5.2. उद्देश्य

प्रिय विद्यार्थियों, इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप सक्षम हो जाएंगे कि

- 1) शब्द का अर्थ क्या होता है ?
- 2) शब्दों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है।

5.3. शब्द तथा उसके अर्थ

भाषा की इकाई वाक्य है और वाक्य की इकाई शब्द है। वाक्य को शब्दों में बांटा जा सकता

है और शब्दों को ध्वनियों में खंडित किया जा सकता है। शब्द ही वाक्य को अर्थ प्रदान करते हैं। भाषा की अभिव्यक्ति में शब्दों का महत्वपूर्ण स्थान है। शब्द में बहुत ताकत होती है।

परिभाषा

“अर्थ के स्तर पर भाषा की लघुतम एवं स्वतन्त्र इकाई शब्द है।”

शब्द को ध्वनियों में विभक्त किया जा सकता है इसलिए ‘ध्वनियों के मेल’ को भी शब्द कहते हैं।

5.4. शब्दों का वर्गीकरण

हिन्दी के शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है-

- अर्थ के आधार पर
- व्युत्पत्ति के आधार पर
- उत्पत्ति के आधार पर
- प्रयोग के आधार पर

अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण

अर्थ के आधार पर इन्हें दो रूपों में बांटा जा सकता है :

⇒ सार्थक शब्द

⇒ निरर्थक शब्द

सार्थक शब्द

जिन शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ ध्वनित होता हो सार्थक शब्द कहलाते हैं जैसे मैं रोटी खाता हूँ। इस वाक्य में सभी शब्द कोई न कोई अर्थ रखते हैं। इसलिए ये सार्थक शब्द हैं।

निरर्थक शब्द

‘ध्वनियों के मेल’ को शब्द कहा जाता है। इससे तो ऐसे कई शब्द बन सकते हैं जिनका कोई अर्थ न हो। जैसे टर-टर। जिन शब्दों का कोई अर्थ न हो उन्हें ‘निरर्थक शब्द’ कहा जाता है।

व्युत्पत्ति के आधार पर

व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों को तीन रूपों में बांटा जा सकता है-

रूढ़ शब्द

वे शब्द जिन शब्दों के सार्थक खण्ड न किए जा सकते हों उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे चीता, पानी आदि।

यौगिक शब्द

वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के मेल से बने हों और उन के हर शब्दांश का अलग अर्थ भी हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे-

पुस्तकालय – पुस्तक + आलय

योग रूढ़ि शब्द

जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्दांशों के योग से बने हों परन्तु जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो उन्हें योग रूढ़ि शब्द कहा जाता है। जैसे ‘पीताम्बर’ शब्द ‘पीत + अम्बर’ दो शब्दों के मेल से बना है। दोनों का अलग अर्थ भी है, परन्तु ‘पीताम्बर’ शब्द कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया है। इसलिए ‘पीताम्बर’ योग रूढ़ि शब्द है।

उत्पत्ति के आधार पर

उत्पत्ति के आधार पर हिन्दी शब्दों को निम्नलिखित भेदों में बांटा जा सकता है-

- ⇒ तत्सम शब्द
- ⇒ तद्भव शब्द
- ⇒ देशज शब्द
- ⇒ विदेशज शब्द
- ⇒ द्विज शब्द

तत्सम शब्द

संस्कृत के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों हिन्दी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे गगन, पवन, कृषि आदि।

तद्भव शब्द

संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिन्दी में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है, जैसे ग्राम का गाँव, दुध का दूध आदि।

देशज शब्द

वे शब्द जो भारत की भाषाओं से लिए गए हों उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे-बाजू, मुण्डा, गाड़ी आदि।

विदेशज शब्द

वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिन्दी में प्रयुक्त हो रहे हैं, विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे-डॉक्टर, रेलवे, स्कूल आदि।

द्विज शब्द

वे शब्द जो दो भाषाओं के मेल से बने हैं उन्हें द्विज शब्द कहा जाता है। जैसे डबलरोटी, डबल (अंग्रेजी) रोटी (हिन्दी) आदि।

○ प्रयोग के आधार पर

प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो भागों में बाँटा जा सकता है-

⇒ विकारी शब्द

⇒ अविकारी शब्द

विकारी शब्द

वे शब्द, जो वाक्य में प्रयुक्त लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। इन शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं, जैसे 'वह आया था।' यदि इस वाक्य को बहुवचन में बदला जाए तो इसका रूप होगा 'वे आये थे।'

अविकारी शब्द

वे शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना रूप नहीं बदलते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। उदाहरण-'वह धीरे-धीरे चला।'

बहुवचन के समय उदाहरण-'वे धीरे-धीरे चलें' इसमें 'वे' और 'चलें' बदले परन्तु धीरे-धीरे में कोई विकार नहीं आया।

क्रिया विशेषण, सम्बन्ध बोधक, समुच्चय बोधक अथवा योजक तथा विस्मय बोधक शब्द अविकारी होते हैं।

5.5. हिन्दी शब्दों की रचना

भाषा का निरन्तर विकास होता है। हिन्दी के विशाल शब्द सागर में भी विकास की प्रक्रिया अनवरत चल रही है। इससे कई प्राचीन शब्द लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनके ही परिवर्तित रूप प्रयोग होने लगे। देशज और विदेशज शब्दों को लिया जाने से नये शब्द आ गए हैं। कई नये शब्दों का विभिन्न विधियों से हिन्दी में निर्माण हो रहा है। ये ध्वनियों पर आधारित दृश्यों पर आधारित, व्याकरण उदाहरण के नियमों व दो शब्दों के मेल आदि विभिन्न विधियों से हिन्दी में आ रहे हैं। ये नवीन शब्द हिन्दी शब्द भण्डार में वृद्धि कर रहे हैं। मुख्यतः हिन्दी शब्द रचना की चार विधियां हैं-

- उपसर्गों द्वारा नए शब्द
- प्रत्ययों द्वारा नए शब्द
- समास द्वारा नए शब्द
- सन्धि द्वारा नए शब्द

० उपसर्गों द्वारा नए शब्द

जो शब्दांश किसी शब्द से पूर्व लगकर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन कर देते हैं उन्हें 'उपसर्ग' कहा जाता है जैसे 'मोल' से पहले 'अन' लगने से 'अनमोल' शब्द बनता है। 'अन' उपसर्ग है।

हिन्दी शब्द रचना में संस्कृत, हिन्दी तथा उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। कुछ उदाहरण-

(क) संस्कृत के उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द
अव	पतन	अवमाद, अवगुण
अभि	ओर	अभिप्राय, अभिराम
आ	सीमा	आजन्म, आजीवन

(ख) हिन्दी के उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द
अ	अभाव	अछूत, अशोक
उन	एक कम	उन्नीस, उन्तीस
नि	निषेध	निडर, निरोग
भर	पूर्ण	भरपेट, भरपूर

(ग) उर्दू उपसर्ग

उपसर्ग	अर्थ	शब्द
बे	रहित	बेअक्ल, बेपरवाह
हम	समान	हमउम्र, हमशक्ल
हर	प्रति	हररोज, हरदिन

० प्रत्ययों द्वारा नए शब्द

जो शब्दांश किसी शब्द के अन्त में लगकर उसके अर्थ को बदल दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे तैराक तैर+आक। प्रत्यय भी संस्कृत, उर्दू और हिन्दी के अपने हैं। जो नए शब्द बनाने में सहायक हैं। प्रत्ययों को दो भागों में बांटा जा सकता है-

(क) कृत प्रत्यय-जो प्रत्यय क्रिया के अन्त में लग कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। इनके योग से बनने वाले शब्द को कृदन्त कहा जाता है। ये पांच प्रकार के हैं-

- (1) कर्तृ वाचक
- (2) कर्म वाचक
- (3) भाव वाचक
- (4) करण वाचक
- (5) क्रिया वाचक

कुछ उदाहरण

(क) कृत प्रत्यय

क्रियापद	प्रत्यय	कृदन्त शब्द (कर्तृवाचक)
गै	अक	गायक
दा	ता	दाता
बाश	इन्दा	बाशिन्दा
क्रियापद	प्रत्यय	कर्म वाचक
लिखा	हुआ	लिखा हुआ
ओढ़	नी	ओढ़नी
क्रियापद	प्रत्यय	भाव वाचक
घेरणा	आ	घेरा
लड़ना	आई	लड़ाई
क्रियापद	प्रत्यय	करण वाचक
कहना	आनी	कहानी
झूलना	आ	झूला
क्रियापद	प्रत्यय	क्रिया वाचक
पढ़ना	ता हुआ	पढ़ना हुआ
भागना	ता हुई	भागती हुई

(ख) ताद्वित प्रत्यय—जो प्रत्यय क्रिया पदों को छोड़ कर अन्य शब्दों अर्थात् संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अन्त में लगकर नया शब्द बनाते हैं उन्हें ‘ताद्वित प्रत्यय’ कहते हैं। इन प्रत्ययों के योग से शब्दों को ‘ताहितान्त शब्द’ कहा जाता है। ये भी पांच प्रकार के हैं-

- (1) कर्तृ वाचक
- (2) गुण वाचक
- (3) भाव वाचक
- (4) अप्रत्य वाचक
- (5) स्त्री वाचक

कुछ उदाहरण—

(ख) ताद्धित प्रत्यय

संज्ञा सर्वनाम विशेषण	प्रत्यय	कृत वाचक तद्धितान्त शब्द
कृपा	आलु	कृपालु
लूट	एरा	लुटेरा
संज्ञा सर्वनाम विशेषण	प्रत्यय	गुण वाचक तद्धितान्त शब्द
रूप	वान	रूपवान
बहुत	ऐरा	बहुतेरा
संज्ञा सर्वनाम विशेषण	प्रत्यय	भाव वाचक तद्धितान्त शब्द
मर्म	इक	मार्मिक
मेल	वट	मिलावट
संज्ञा सर्वनाम विशेषण	प्रत्यय	अप्रत्यवाचक वाचक
रघु	अ	राघव
कैद	खाना	कैदखाना
संज्ञा सर्वनाम विशेषण	प्रत्यय	स्त्री वाचक
मोर	नी	मोरनी
पंख	ड़ी	पंखड़ी

० समास द्वारा नए शब्द

परस्पर सम्बन्ध रखने वाले दो या अधिक शब्दों को मिलाकर भी नये शब्द बनाए जाते हैं। शब्द रचना की इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। इससे जो नए शब्द बनते हैं। उन्हें 'समस्त शब्द' कहा जाता है। समास के निम्नलिखित छः प्रकार हैं—

- (1) अव्ययीभाव समास
 - (2) तत्पुरुष समास
 - (3) कर्म धारण समास
 - (4) द्विगु समास
 - (5) द्वन्द्व समास
 - (6) बहु ब्रीही समास
1. **अव्ययीभाव समास**-इसमें पहला शब्द प्रधान होता है। यह शब्द अव्यय होता है और समास होने पर जो शब्द बनता है वह भी अव्यय होता है-
- बुद्धि के अनुसार-यथा बुद्धि
 - दिन-दिन के प्रति-प्रतिदिन
 - पेट भर कर-भरपेट
2. **तत्पुरुष समास**-जिस समास का दूसरा खण्ड प्रधान हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास के पहले खण्ड में कर्ता कारण को छोड़ कर अन्य सभी कारकों की विभक्ति लोप हो जाती है। जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है, उसके अनुसार उस समास का नाम रखा है, जैसे-
- (क) कर्म तत्पुरुष समास**
- स्वर्ग को गया हुआ-स्वर्गागत
- (ख) करण तत्पुरुष समास**
- प्रकाश से युक्त-प्रकाशयुक्त
- (ग) सम्प्रदान तत्पुरुष समास**
- युद्ध के लिए भूमि-युद्ध भूमि
- (घ) अपादान तत्पुरुष समास**
- पद से च्युत-पदच्युत
- (ङ) सम्बन्ध तत्पुरुष समास**
- सेना का पति-सेनापति
- (च) अधिकरण तत्पुरुष समास**
- जग पर बीती-जगबीती

3. **कर्म धारण समास**—इसमें पूर्ण खण्ड विशेषण या उपमान होता है और उत्तर खण्ड, विशेषय या उपमेय होता है, जैसे—
लाल है जो मिर्च—लाल मिर्च
4. **द्विगु समास**—इसमें उत्तर खण्ड मुख्य रहता है और पूर्व खण्ड संख्यावाचक होता है, जैसे—
तीनों लोकों का समाहार—त्रिलोकी
5. **द्वन्द्व समास**—इसमें पूर्व खण्ड तथा उत्तर खण्ड, दोनों का समान महत्व रहता है, जैसे—
अन्न और जल—अन्न जल
6. **बहु ब्रीही समास**—इसमें कोई भी खण्ड प्रधान नहीं होता बल्कि समस्त शब्द अपने खण्डों से भिन्न किसी अन्य संज्ञा का विशेषण होता है, जैसे—
पीत है अम्बर जिस का-पीताम्बर (कृष्ण)

o सन्धि द्वारा नए शब्द

समीपता के कारण दो अक्षरों अथवा वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन होता है उसे सन्धि कहते हैं। जैसे—

विद्या+अर्थी—विद्यार्थी

यहां सन्धि व समास में अन्तर अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। सन्धि में अक्षरों अथवा वर्णों का मेल होता है। परन्तु समास में दो दो से अधिक शब्दों का मेल होता है।

सन्धि तीन प्रकार की होती है—

- (1) स्वर सन्धि
- (2) व्यंजन सन्धि
- (3) विसर्ग सन्धि

(1) **स्वर सन्धि**—दो स्वरों के समीप आने से जो मेल होता है, उसे ‘स्वर सन्धि’ कहते हैं, जैसे—

देव+इन्द्र—देवेन्द्र

सुर+ईश—सुरेश

(2) **व्यंजन सन्धि**—यदि व्यंजन से परे कोई स्वर अथवा व्यंजन आये तो उनके मेल से जो परिवर्तन होता है, उसे व्यंजन सन्धि कहते हैं, जैसे—

सत+चरित्र—सच्चरित्र

दिक्+गज—दिग्गज

(३) विसर्ग सन्धि—विसर्ग से परे स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग सन्धि कहते हैं, जैसे—

मनः + ताप—मनस्ताप

नमः + कार—नमस्कार

5.6. शब्द शक्तियों का भाषा शिक्षण में महत्व

शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। शब्द शक्ति को संक्षेप में शक्ति कहते हैं। इसे वृति या व्यापार भी कहते हैं। शक्ति के अनुसार शब्द तीन प्रकार के होते हैं :

(क) वाचक (ख) लक्षक (ग) व्यंजक

o शब्द एवं अर्थ के संबन्ध के अनुसार शब्द शक्ति ३ प्रकार की होती हैं :

(क) अभिधा (ख) लक्षणा (ग) व्यंजना

पाठ्य पुस्तक पढ़ाते हुए अध्यापक विद्यार्थियों को नए-नए शब्दों तथा उनके प्रयोगों का ज्ञान देता है। विद्यार्थी स्वयं नये शब्द विकसित कर सके, इसके लिए अध्यापक को विभिन्न विधियों को ज्ञान विद्यार्थियों को देना चाहिए। इस तरह उनमें नये शब्द निर्माण की योग्यता आ जाएगी। शब्द रचना का शिक्षण देते समय अध्यापक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

- (1) अध्यापक को उचित विधियों द्वारा नए शब्द निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। विधि का चयन विधा के अनुसार होना चाहिए जैसे व्याकरण के लिए आगमन, निगमन व पाठ्य पुस्तक उपयोगी विधि द्वारा शब्द रचना।
- (2) शब्द रचना शिक्षण प्रदान करते समय विद्यार्थियों के मानसिक स्तर तथा उनकी अधिगम क्षमता का भी अवश्य ध्यान रखना चाहिए।
- (3) उचित शिक्षण सूत्रों का चयन करते हुए शब्द रचना शिक्षण में सहायता मिलती है। इसके लिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर आदि सूत्रों का प्रयोग शब्द रचना शिक्षण में उपयोगी सिद्ध होगा।
- (4) उचित उदाहरणों के चयन से नए शब्दों की रचना सिखाने में आसानी होती है।
- (5) दृश्यऋव्य साधन भी शब्द रचना शिक्षण को रोचक व प्रभावशाली बनाते हैं।
- (6) अभ्यास भी शब्द रचना के शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

5.7 निष्कर्ष

शब्द रचना का महत्व विद्यार्थी के शब्द भण्डार में वृद्धि तो करता है साथ ही उसके प्रयोग में सहायक होता है। भाषा शिक्षण में शब्द रचना शिक्षार्थी को नवीन प्रयोगों में कौशल बनाता है।

5.8 आत्मजाँच और परीक्षण

1. हिन्दी शब्द रचना पर एक संक्षिप्त नोट लिखें।

2. हिन्दी शब्द रचना के शिक्षण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

3. समास द्वारा नए शब्दों की रचना कैसे की जा सकती है, चर्चा करें।

5.9 अध्ययन हेतु पुस्तकें

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. हिन्दी शिक्षण एवं उनकी विधियाँ | भाटिया एवं नारंग |
| 2. हिन्दी शिक्षण | सुरेन्द्र सिंह कादियान |



वाक्य रचना

- 6.0 संरचना**
- 6.1 परिचय**
- 6.2 उद्देश्य**
- 6.3 वाक्य की परिभाषा**
- 6.4 वाक्य का रचना विधान**
- 6.5 वाक्यों के भेद**
- 6.6 निष्कर्ष**
- 6.7 आत्मजांच और परीक्षण**
- 6.8 अध्ययन हेतु पुस्तकें**

6.1 परिचय

'भाषा' ध्वनि प्रतीकों के माध्यम से विचारों, भावों और सूचनाओं के संप्रेषण की व्यवस्था है। इस व्यवस्था में कई स्तर पाए जाते हैं, जिनमें 'वाक्य' आधारभूत स्तर है। संपूर्ण भाषा व्यवहार वाक्यों के माध्यम से ही किया जाता है, इसीलिए वाक्य को भाषा व्यवहार की मूलभूत इकाई कहते हैं। व्याकरणिक रचना की दृष्टि से 'वाक्य' किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई है और संप्रेषण की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई। व्याकरणिक रचना की दृष्टि से किसी भाषा की सबसे बड़ी इकाई कहने से तात्पर्य है— वाक्य ऐसी सबसे बड़ी भाषिक इकाई है, जिसकी संरचना का व्याकरणिक दृष्टि से विश्लेषण किया जा सकता है। भाषा का मूल कार्य है— संप्रेषण। संप्रेषण की दृष्टि से वाक्य को सबसे छोटी इकाई इसलिए कहा जाता है, कि संप्रेषण के लिए वक्ता द्वारा कम से कम एक वाक्य का प्रयोग किया ही जाता है। संप्रेषण की दृष्टि से सबसे बड़ी भाषिक इकाई 'प्रोक्ति' है। प्रोक्ति किसी एक कथ्य या संदर्भ से जुड़े वाक्यों का समूह है, जैसे— कोई कथा, कहानी, कविता, व्याख्यान, कार्यक्रम आदि।

6.2 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप में क्षमता पैदा हो जाएगी कि आप निम्नलिखित को भलि भांति स्पष्ट कर पाएंगे :-

1. आप वाक्य की परिभाषा को समझ पाएंगे।

2. आप वाक्य रचना के विधान से परिचित हो जाएंगे।
3. आप वाक्य के भेदों की जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

6.3 वाक्य : परिभाषा

किसी भी भाषा में तीन इकाइयाँ आधारभूत होती हैं— ध्वनि, शब्द और वाक्य। ध्वनियों के योग से शब्द या पद बनते हैं और शब्दों या पदों के योग से 'वाक्य' बनते हैं। ध्वनियों का अपना कोई अर्थ नहीं होता, किंतु शब्दों का अर्थ होता है। शब्दों के केवल अर्थ संप्रेषणीय नहीं होते, अर्थात् केवल एक शब्द का प्रयोग करके किसी सूचना का संप्रेषण नहीं किया जा सकता, जैसे— मोहन, राम, घर, बाजार, जाना, गया, जाता आदि कोई एक शब्द सुनकर श्रोता किसी संप्रेषणीय बात को नहीं समझ सकता। इनमें से आवश्यक शब्दों को उचित संक्रम में मिला देने पर संप्रेषण संभव हो जाता है, जैसे— राम गया, मोहन घर जाता है आदि। शब्दों का उचित संक्रम में यही योग 'वाक्य' कहलाता है। वाक्य शब्दों के योग से बनता है, किंतु शब्द जब वाक्य में आते हैं, तो वे पद बन जाते हैं। इसलिए वाक्य को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि 'पदों का वह समुच्चय वाक्य है जो उचित संक्रम में हो तथा जिससे कम-से-कम एक सूचना का संप्रेषण होता हो।' अतः शब्दों या पदों के उचित संक्रम में योग से वाक्य निर्मित होते हैं। एक वाक्य में आने वाले पद विभिन्न प्रकार्यों को पूरा करते हैं। 'क्रिया' वाक्य का केंद्र होती है। वाक्य निर्माण के लिए क्रिया पद के साथ कम एक संज्ञा पद अवश्य होते हैं। वैसे संदर्भ आधारित वाक्य एक शब्द के भी हो सकते हैं, किंतु वेवाक्य तभी कहलाते हैं, जब उनका संदर्भ श्रोता को पता हो, जैसे— यदि कोई पूछे— 'कौन आया' और उत्तर मिले— 'राम', तो इसका अर्थ यह हुआ कि 'राम आया'। इसमें 'आया' शब्द नहीं बोला गया है, क्योंकि 'कौन आया?' प्रश्न में इसकी सूचना प्राप्त हो चुकी है। वाक्य की रचना के लिए संस्कृत आचार्यों द्वारा तीन आवश्यक तत्वों की बात की गई है—

(क) आकांक्षा—जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग होता है तो उसे अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। इस आवश्यकता को ही संस्कृत आचार्यों ने आकांक्षा कहा है, जैसे— वाक्य में कर्ता शब्द के आते ही क्रिया (और सर्कर्मक क्रियाओं में कर्ता) की आकांक्षा।

(ख) योग्यता—वाक्य में प्रकार्य के स्तर पर एक शब्द के साथ दूसरे शब्द के जुड़ सकने की क्षमता को योग्यता कहते हैं। इसके दो प्रकार हैं— अर्थमूलक योग्यता, व्याकरणमूलक योग्यता। अर्थमूलक योग्यता से तात्पर्य है— अर्थ की दृष्टि से शब्दों का आपस में प्रयुक्त हो सकने की क्षमता, जैसे— घमंडी बच्चा, 'घमंडी' पेड़। व्याकरणमूलक योग्यता से तात्पर्य है— व्याकरण की दृष्टि से शब्दों का आपस में प्रयुक्त हो सकने की क्षमता, जैसे— अच्छा लड़का, 'अच्छा लड़की।

(ग) सन्निधि—वाक्य निर्माण के लिए उच्चरित या अभिव्यक्त शब्दों का एक—दूसरे के पास या समीप होने की अवस्था सन्निधि है। इसे आसक्ति भी कहा गया है।

- शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं।
- सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो, वह वाक्य कहलाता है।

6.4 वाक्यों का रचना विधान

1. उद्देश्य—वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं।

जैसे – A. आपस में झगड़ना अच्छा नहीं रहता है।

B. घूमना स्वास्थ्य के लिए हितकर रहता है।

2. विधेय—उद्देश्य (कर्ता)के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाता है, उसे विधेय कहते हैं।

जैसे—1. विद्यार्थियों को अनुशासनप्रिय होना चाहिए।

वाक्य के तत्त्व या गुण

1. आकंशा
2. योग्यता
3. आसन्ति
4. सार्थकता
5. अन्वय
6. पदक्रम

वाक्य के भेद

क्रिया के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं।

कर्तृवाच्य – सीता पुस्तक पढ़ती हैं।

कर्मवाच्य – सीता से पुस्तक पढ़ी जाती हैं।

भाववाच्य – राम से सोया जाता है।

6.5 वाक्यों के भेद

क. रचना के आधार पर

ख. अर्थ के आधार पर

(क) रचना के आधार पर वाक्य के भेद

रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं—

1. सरल वाक्य
2. सयुक्त वाक्य
3. मिश्रित वाक्य

1. सरल वाक्य

ऐसा वाक्य जिसमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, वे वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं।

सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहा जाता है।

इस वाक्य में एक उद्देश्य अर्थात् कर्ता एवं एक विधेय अर्थात् क्रिया है।

सरल वाक्य के उदाहरण

- अमित खाना खाता है।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ही उद्देश्य अर्थात् कर्ता है जो की अमित है एवं एक ही विधेय अर्थात् क्रिया है जो की 'खाना खाता है' है।

जैसा कि हम जानते हैं की जब एक वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं विधेय होता है तो वह वाक्य सरल होता है। अतः यह उदाहरण सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा।

उदाहरण :

- रोहन खेलता है।
- मीता दौड़ती है।
- आकाश भागता रहता है।
- श्याम पढ़ाई करता है।
- सीता खाना खाती है।
- संगीता चलती है।

2. संयुक्त वाक्य

ऐसा वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हो एवं सभी उपवाक्य प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं।

संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल अथवा मिश्र वाक्य अव्ययों द्वारा संयुक्त होते हैं। ये उपवाक्य एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते एवं सयोंजक अव्यय उन वाक्यों को मिलाते हैं।

संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को और, एवं, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किन्तु, परन्तु, लेकिन, पर आदि का प्रयोग करके जोड़ा जाता है।

संयुक्त वाक्य के उदाहरण :

- मीना बहुत बीमार थी अतः स्कूल नहीं आयी।

जैसा कि आप ऊपर दिए गए उदाहरण में देख सकते हैं, यहाँ एक वाक्य में दो सरल वाक्य हैं। इन दो सरल वाक्यों को अतः अव्यय सयोंजक से जोड़ा गया है।

उदाहरण :

- वह सुबह गया और शाम को लौट आया।
- दिन ढल गया और अन्धेरा बढ़ने लगा।

- प्रिय बोलो पर असत्य नहीं।
- मैंने बहुत परिश्रम किया इसलिए सफल हो गया।
- मैं बहुत तेज दौड़ा फिर भी ट्रेन नहीं पकड़ सका।

3. मिश्र वाक्य

- ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ-साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो, वे वाक्य मिश्र वाक्य कहलाते हैं।
- मिश्र वाक्यों की रचना एक से अधिक ऐसे साधारण वाक्यों से होती है, जिनमें एक प्रधान वाक्य होता है एवं दूसरा वाक्य आश्रित होता है।
- इस वाक्य में मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय के अलावा एक या अधिक समापिका क्रियाएँ होती हैं।
- मिश्र वाक्य में प्रधान वाक्य को आश्रित उपवाक्य से जोड़ने के लिए जो आपस में 'कि'; 'जो'; 'क्योंकि'; 'जितना'; 'उतना'; 'जैसा'; 'वैसा'; 'जब'; 'तब'; 'जहाँ'; 'वहाँ'; 'जिधर'; 'उधर'; 'अगर/यदि'; 'तो'; 'यद्यपि'; 'तथापि'; आदि का प्रयोग किया जाता है।

मिश्र वाक्य के उदाहरण

- वह कौनदूसा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो।

ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा की आप देख सकते हैं यहां एक उपवाक्य नहीं दो दो उपवाक्य हैं। इनमें से एक उपवाक्य प्रधान है एवं दूसरा उपवाक्य आश्रित है।

ऊपर दिए वाक्य में 'वह कोनसा मनुष्य है' यह उपवाक्य प्रधान है व 'जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो' यह वाक्य आश्रित वाक्य है। जैसा की हम देख सकते हैं इस वाक्य में दो विधेय हैं एवं दो विधेय मिश्र वाक्य में होते हैं। अतएव यह उदाहरण मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा।

उदाहरण :

- जो औरत वहाँ बैठी हैं वो मेरी माँ है।
- जो लड़का कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है।
- यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे।
- मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अक्षर अच्छे नहीं बनते।

(ख) अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद

अर्थ के आधार पर वाक्य के आठ भी होते हैं :-

1. विधानवाचक वाक्य

2. इच्छावाचक वाक्य
3. आज्ञावाचक वाक्य
4. निषेधवाचक वाक्य
5. प्रश्नवाचक वाक्य
6. विस्मयादिबोधक वाक्य
7. संकेतवाचक वाक्य
8. संदेहवाचक वाक्य

1. विधानवाचक वाक्य :

- ऐसे वाक्य जिनसे किसी काम के होने या किसी के अस्तित्व का बोध हो, वह वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाता है।
- विधानवाचक वाक्यों को विधिवाचक वाक्य भी कहा जाता है।

उदाहरण :

- भारत हमारा देश है।
- राम ने खाना खा लिया।
- राम के पिता का नाम दशरथ है।
- राधा स्कूल चली गयी।
- मनीष ने पानी पी लिया।
- अयोध्या के राजा का नाम दशरथ है।

2. इच्छावाचक वाक्य :

ऐसे वाक्य जिनसे हमें वक्ता की कोई इच्छा, कामना, आकांशा, आशीर्वाद आदि का बोध हो, वह वाक्य इच्छावाचक वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण :

- दूधँ नहाओ, पूतँ फलो।
- नववर्ष मंगलमय हो।
- तुम्हारा कल्याण हो।
- भगवान् तुम्हें लंबी उमर दे।

3. आज्ञावाचक वाक्य :

ऐसे वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा या अनुमति का पता चले या बोध हो, वे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण :

- वहां जाकर बैठिये।
- कृपया अपनी मदद स्वयं करिये।
- कृपया शान्ति बनाये रखें।
- तुम वहां जा सकते हो।

4. निषेधवाचक वाक्य

- जैसा कि जगीन इसके नाम से ही पता चल रहा है निषेध वाचक वाक्य हमें किसी काम के ना होने या न करने का बोध कराते हैं।
- जिन वाक्यों से कार्य के निषेध का बोध होता है, वह वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण :

- मैं आज खाना नहीं खाऊँगा।
- राम आज स्कूल नहीं जाएगा।
- रमन आज खेलने नहीं आएगा।
- राम आज रावण को नहीं मारेगा।
- रावण आज सीता का अपहरण नहीं करेगा।

5. प्रश्नवाचक वाक्य

- जैसा की हैं इसके नाम से ही पता चल रहा है की यह प्रश्नों से सम्बंधित है। अतः
- जिन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाये या किसी से कोई बात पूछी जाये, उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं।

उदाहरण:

- तुम कोनसे देश में रहते हो ?
- राम रावण का वध कब करेगा ?
- बसंती कब नाचेगी ?

- हनुमान भगवान संजीवनी लेने कब जाएंगे ?
- यह फिल्म कब खत्म होगी ?
- तुम क्या खाना पसंद करोगे ?

6. विस्मयादिबोधक वाक्य

- ऐसे वाक्य जिनमें हमें आश्चर्य, शोक, धृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध हो, ऐसे वाक्य विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं।
- इन वाक्यों में जो शब्द विस्मय के होते हैं उनके पीछे (!) विस्मयसूचक चिन्ह लगता है। इस चिन्ह से हम इस वाक्य की पहचान कर सकते हैं।

उदाहरण :

- ओह ! कितनी ठंडी रात है।
- बल्ले ! हम जीत गए।
- कहा ! भारत जीत गया।
- अरे ! तुम लोग कब पहुंचे।

7. संकेतवाचक वाक्य

- वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण :

- अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते।
- अगर बारिश अच्छी होती तो फसल भी अच्छी होती।
- अगर आज तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते।
- अगर हम थोड़ा ओर तेज चलते तो बस नहीं छूटती।
- अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो तुम्हारा ये हाल नहीं होता।

8. संदेहवाचक वाक्य

- ऐसे वाक्य जिनसे हमें किसी प्रकार के संदेह या संभावना का बोध होता है, वह वाक्य संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं।

उदाहरण :

- आज बहुत तेज बारिश हो सकती है।
 - शायद आज राम रावण का वध करेगा।
 - संभवतः वह सुधर गया।
 - शायद मोहन मान जाए।
 - शायद वह अभी तक नहीं पहुंचा है।

6.6 निष्कर्ष

हिन्दी में प्रयुक्त वाक्यों की परिभाषा, वाक्य रचना विधान और उनके भेदों की जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। पाठ में प्रयुक्त उदाहरणों के सहयोग से अन्य उदाहरण भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

6.7 आत्मजांच और परीक्षण

क) वाक्य की परिभाषा स्पष्ट करें।

ख) संयुक्त वाक्य के दो उदाहरण प्रस्तुत करें।

ग) आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण दें।

6.8 अध्ययन हेतु पुस्तकें

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. हिन्दी शिक्षण एवं उनकी विधियाँ | भाटिया एवं नारंग |
| 2. हिन्दी शिक्षण | सुरेन्द्र सिंह कादियान |



भाषा कौशलों का विकास-I

- 7.0 संरचना
- 7.1 परिचय
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 भाषा कौशल और उसका क्रम
- 7.4 श्रवण कौशल का विकास
 - 7.4.1 श्रवण कौशल का महत्त्व
 - 7.4.2 श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य
 - 7.4.3 श्रवण कौशल शिक्षण के विभिन्न साधन
- 7.5 मौखिक कौशल का विकास
 - 7.5.1 मौखिक अभिव्यक्ति का महत्त्व
 - 7.5.2 मौखिक अभिव्यक्ति के गुण
 - 7.5.3 मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य
 - 7.5.4 मौखिक कौशल की शिक्षण विधियां
- 7.6 निष्कर्ष
- 7.7 आत्मजाँच और परीक्षण
- 7.8 अध्ययन हेतु पुस्तकें

7.1 परिचय

व्यक्ति में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से रहती है। बचपन में वह अनुकरण द्वारा छोटे-छोटे प्रयासों से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है। भाषा एक कला है और दूसरी कलाओं की भाँति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें

प्रवीणता प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। भाषा का सशक्त साधन अवश्य है, परन्तु सबसे पहले भाषा कौशलों—सुनना, बोलना, लिखना में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भाषा सीखते समय बच्चा इन कौशलों का स्वाभाविक क्रम से अभ्यास करता है। पहले बच्चा भाषा को सुनता है। सुनने की यह प्रक्रिया घर से आरम्भ होती है और जीवन भर चलती रहती है। सुनने के बाद बच्चा बोलता है। यह सब अनुकरण द्वारा होता है। सुनने बोलने के बाद वह पढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है। साथ साथ वह लिखने की ओर भी ध्यान देने लगता है। इन चारों क्षमताओं का सम्मिलित महत्व है। इस पाठ में हम इन चारों कौशलों के विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।

7.2 पाठ का उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के उपरान्त आप में यह क्षमता पैदा हो जाएगी कि आप निम्नलिखित को भलि-भांति स्पष्ट कर पाएंगे।

1. आप भाषा कौशलों व उसके क्रम को समझ सकेंगे।
2. आप श्रवण कौशल के विकास को समझ पाएंगे।
3. आपको जानकारी हो जाएगी कि मौखिक कौशल को कैसे विकसित किया जा सकता है।

7.3 भाषा कौशल और उसका क्रम

भाषा कौशल व्यक्ति को भाषा द्वारा विचार, भावों तथा सुचनाओं को ग्रहण करने तथा अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। भाषा सीखते समय बच्चा इन कौशलों का स्वाभाविक क्रम से अभ्यास करता है। पहले बच्चा भाषा को सुनता है। सुनने की यह प्रक्रिया घर से शुरू होती है और जीवन भर चलती है। सुनने के बाद बालक बोलना सीखता है। बालक घर में यह नकल से सीखता है। जीवन भर यह मौखिक रूप से अपने विचारों एवं भावों को व्यक्त करता है। जीवन के विभिन्न कार्य-कलाप वह मौखिक भाषा के माध्यम से पूरे करता है। सुनने और बोलने के पश्चात् वह पढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है और पढ़ने के साथ-साथ वह लिखने की ओर प्रवृत्त होने लगता है। इस प्रकार सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना — यह भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है। भाषा के प्रयोग में विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए यह आवश्यक है कि इन चारों क्षमताओं का सम्यक विकास किया जाये। इन चारों क्षमताओं का सम्मिलित महत्व है। ये क्रमवार इस प्रकार है :-

क.	श्रवण कौशल	ग.	वाचन कौशल
ख.	मौखिक कौशल	घ.	लेखन कौशल

7.4 श्रवण कौशल का विकास

श्रवण अर्थात् सुनना एक ऐसा कौशल है जिसके द्वारा विषय वस्तु को सरलता से समझा जा सकता है। शर्त यह है कि यह सुनना पूरी तरह केन्द्रित (विषय वस्तु) हो। अच्छे श्रोता को ज्ञानवान बनाती है यह क्रिया। यद्यपि बच्चा आरम्भ में सुनना और समझना आरम्भ करता है। फिर बोलने, पढ़ने तथा लिखने की ओर प्रवृत्त होता है परन्तु इसके लिए आयु और समय का बंधन नहीं है। पहले पहल बच्चा अनौपचारिक रूप से भाषा सुनना और बोलना सीखता है। फिर औपचारिक रूप से उसे भाषा का शुद्ध मौखिक एवं लिखित रूप सिखया जाता है। औपचारिक शिक्षण के दौरान वह वाचन भी सीखता है। भाषा कौशलों का विकास केवल शिक्षण संस्थाओं के वातावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि जीवन यापन की विभिन्न स्थितियों में निरन्तर विकसित होता है। ‘अभ्यास’ एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे भाषा कौशलों का विकास होता है। व्यक्ति को जीवन भर दूसरों के विचार सुनने होते हैं इसलिए उसका श्रवण कौशल निरन्तर विकास की ओर उन्मुख रहता है। जरूरत इस बात की है कि इस कौशल की सृदृढ़ नींव भाषा-शिक्षण के द्वारा रखी जाए।

7.4.1 श्रवण कौशल का महत्व :-

1. श्रवण कौशल भाषा शिक्षण के कौशलात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। सुनने से बच्चे के मन मस्तिष्क में ध्वनियां अंकित होती हैं और फिर अपने माता-पिता तथा आस-पास के लोगों को बोलते सुनकर वह अनुकरण द्वारा बोलना सीखता है।
2. श्रवण कौशल भाषा शिक्षण के ज्ञानात्मक उद्देश्य, अभिवृत्यात्मक उद्देश्य, सराहनात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्यों आदि की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
3. अन्य विषयों के शिक्षण में श्रवण कौशल सहायक होता है। सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा होता है। सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा होती हैं। यदि बच्चों में श्रवण कौशल की क्षमता विकसित नहीं है तो उसका शिक्षण नीरस एवं दृबोध बन कर रह जाएगा।
4. श्रवण कौशल शिक्षण-विधियों के कुशल प्रयोग में सहायक होता है। यही बच्चे अध्यापक की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते और सुनी हुई बातों को समझने का अभ्यास नहीं तो किसी भी शिक्षण विधि तथा शिक्षण तकनीक का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
5. जीवन के अधिकांश कार्य-कलापों में श्रवण की आवश्यकता होती है। ध्यानपूर्वक बात न सुनी जाए तो कई काम बिगड़ जाते हैं।
6. श्रवण कौशल नवीनतम ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होता है। प्रसारण साधनों में नवीन ज्ञान की जानकारी को सुगम बना दिया है। परन्तु इसके लिए श्रवण-कौशल की आवश्यकता होती है।

7. श्रवण कौशल प्रजातान्त्रिक गुणों के विकास में सहायक होता है। कोई भी व्यक्ति तब तक सफल वक्ता नहीं बन सकता जब तक वह सफल श्रोता न हो।

7.4.2 श्रवण कौशल शिक्षण के उद्देश्य :-

श्रवण कौशल शिक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. विद्यार्थियों में समझने की योग्यता विकसित करना।
2. विद्यार्थियों में ध्यानपूर्वक सुनने की योग्यता का विकास करवाना।
3. विद्यार्थियों में स्वर के उतार चढ़ाव को समझने की योग्यता प्रदान करना।
4. विद्यार्थियों को शुद्ध उच्चारण के योग्य बनाना।
5. विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियों का ज्ञान देना।
6. विद्यार्थियों में मर्मस्पर्शी स्थलों को अनुभव करने की क्षमता विकसित करना।
7. विद्यार्थियों में ग्रहण-शीलता की मनः रिथ्टि विकसित करना।
8. विद्यार्थियों में श्रुत-सामग्री का सारांश ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना।
9. विद्यार्थियों में साहित्यिक रूचियों को विकसित करना।
10. विद्यार्थियों को बौद्धिक एवं मानसिक विकास की ओर अग्रसर करना।

7.4.3 श्रवण कौशल शिक्षण के विभिन्न साधन :-

विद्यार्थियों में श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित साधनों का प्रयोग किया जाता है :-

1. स्स्वर वाचन :-

स्स्वर वाचन द्वारा श्रवण कौशल के शिक्षण एवं अभ्यास में सहायता मिलती है। अध्यापक को आदर्श वाचन करते समय एवं किसी विद्यार्थी द्वारा वाचन करते समय विद्यार्थियों को सचेत कर देना चाहिए कि वह वाचन को ध्यानपूर्वक सुनें।

2. वाद-विवाद :-

वाद-विवाद से श्रवण कौशल के विकास में बहुत सहायता मिलती है। ध्यानपूर्वक सुने बिना न तो वाद-विवाद में भाग लिया जा सकता है और न ही विचार विमर्श सम्भव हो सकता है। वाद-विवाद से केवल

भाग लेने वाले के श्रवण कौशल को ही अभ्यास का अवसर प्राप्त नहीं होता बत्कि इन्हें देखने वालों को भी अपने श्रवण कौशल के प्रयोग का पर्याप्त अवसर मिल जाता है।

3. रेडियो :-

रेडियो श्रवण कौशल के प्रशिक्षण एवं विकास का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन है। ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से सुनने का जितना प्रशिक्षण तथा अभ्यास इस माध्यम से मिलता है उतना अन्य किसी माध्यम से नहीं मिलता। इसमें कान तथा मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं।

4. दूरदर्शन एवं सिनेमा :-

यह भी श्रवण कौशल के प्रशिक्षण एवं अभ्यास के शक्तिशाली साधन हैं। यद्यपि यह मुख्यतः मनोरंजन के साधन है परन्तु अध्यापक के उचित एवं पर्याप्त मार्ग-दर्शन से इन्हें भाषा के विभिन्न कौशल के शिक्षण के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है।

5. टेप रिकार्डर :-

इस साधन को सुनने के लिए भी विद्यार्थियों को कानों का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए श्रवण कौशल का यह भी एक उत्तम साधन माना जाता है।

अपनी प्रगति जाँचे :-

1. भाषा कौशल का अर्थ स्पष्ट करें।
-
-

2. श्रवण कौशल के महत्व को समझाएं।
-
-

3. श्रवण कौशल के उद्देश्य की चर्चा करें।
-
-

7.5 भाषण / मौखिक कौशल का विकास

भाषा अभिव्यक्ति का सशक्त साधन है। भाषा मुख्यतः दो रूपों में हमारे सामने आती है। पहला मौखिक व दूसरा लिखित। मौखिक भाषा वह है जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है।

प्रो० रमन बिहारी— “मनुष्य अपने भावों विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करने के लिए जिस समाज सम्मत धन्यात्मक संकेतों को प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक भाषा कहा जाता है।” लिखित भाषा सीखने के लिए मनुष्य को औपचारिक शिक्षण की आवश्यकता होती है, परन्तु मौखिक भाषा वह अनौपचारिक रूप से भी सीखी जा सकती है। यह भाषा बच्चे के घर से शुरू होती है। जैसे मनुष्य के लिए खाना, सोना तथा अन्य शारीरिक क्रियाएं करता है वैसे उसके लिए बोलना जरूरी है।

7.5.1 मौखिक अभिव्यक्ति का महत्त्व :-

1. दैनिक जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति का बहुत महत्त्व है। हम दिनभर बहुत से लोगों से बातचीत करते हैं। किसी-किसी पर हमारी भाषा या बोलने का इतना प्रभाव रहता है कि हमारा भक्त हो जाता है। हमारी कही हुई बातें बड़ी स्पष्टता से सामने वाले तक पहुँचती हैं।
2. भाषा शिक्षण में भी मौखिक अभिव्यक्ति को बहुत लाभकारी माना जाता है। यह हम जानते हैं कि भाषा का सही रूप मौखिक भाषा ही है। किसी भी बच्चे को पहले लिखना नहीं बोलना सिखाया जाता है। भाषा शिक्षण सीधे रूप से मौखिक ही प्रथमतः होता है।
3. मौखिक अभिव्यक्ति व्यावसाय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कोई भी सौदा तभी मंजिल तक पहुँचता है जब दोनों पार्टियां एकमत हो जाएं यह अच्छी भाषा उच्चारित होने पर ही सम्भव है। हम बाजार में देखते हैं कि कुछ दुकानदार बहुत ग्राहक लिए रहते हैं कुछ कम। इसके पीछे भी बहुत बार बोलचाल की भाषा ही होती है। यह तो ऐसे है जैसे ‘गंजे व्यक्ति को कंधी बेच देना’ मौखिक भाषा यहां तक प्रभाव रखती है।
4. मौखिक अभिव्यक्ति अन्य विषयों के शिक्षण में सहायक होती है। हम जानते हैं कि प्रत्येक शिक्षक अपना शिक्षण कार्य मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा ही करता है। विद्यार्थी भी मौखिक अभिव्यक्ति द्वारा अपनी जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं।
5. मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के विकास में सहयोग है। व्यक्तित्व को विकसित व निखारने के लिए बोलचाल का बहुत सहयोग लिया जा सकता है। उन्नुक्त आत्माभिव्यक्ति से मन की ग्रन्थियां खुलती हैं और उससे व्यक्ति के व्यक्तित्व का संतुलित विकास हो पाता है।

7.5.2 मौखिक अभिव्यक्ति के गुण :-

मौखिक अभिव्यक्ति के गुण इस प्रकार है:-

1. स्वाभाविकता :-

मौखिक अभिव्यक्ति की स्वाभाविकता उसे विश्वसनीय बनाती है। स्वाभाविकता का अर्थ यह नहीं कि उसमें अच्छी शब्दावली का प्रयोग न किया जाए बल्कि इसका अर्थ यह है कि उसमें शब्दों का जाल नहीं होना चाहिए।

2. स्पष्टता :-

मौखिक अभिव्यक्ति सुस्पष्ट होनी चाहिए। अनेकार्थक शब्दों का प्रयोग करके अभिव्यक्ति को उलझाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

3. शुद्धता :-

मौखिक अभिव्यक्ति में प्रयोग की गई भाषा व्याकरण तथा उच्चारण एक बोलने की दृष्टि से शुरू होनी चाहिए। भाषा की अशुद्धता एक तो बोलने वाले को हास्यास्पद बना देती है, दूसरे उसमें अशुद्ध बोलने की आदत पड़ जाती है।

4. मधुरता :-

वाणी में मधुरता अभिव्यक्ति को कई गुण अधिक प्रभावशाली बना देती है। कठोर और तीखी वाणी को कोई सुनना पसन्द नहीं करता।

5. गति शीलता :-

बोलते समय उचित गति का ध्यान रखना चाहिए। मौखिक अभिव्यक्ति में बार-बार रुकना, झिझकना, स्वर भंग होना आदि अभिव्यक्ति को प्रभावहीन बनाते हैं।

6. अवसान्नकूल भाषा का प्रयोग :-

मौखिक अभिव्यक्ति में अवसर का बहुत महत्व होता है। शोक समाचार सुनने पर विलाप, कटु शब्द सुनने पर क्रोध, सफलता का समाचार सुनने पर हर्ष आदि भाव अवसरानुकूल माने जाते हैं। इनका ऐसा प्रयोग आवश्यक है।

7. अनुकूल स्वराधात :-

मुख्य बात को समझने के लिए उस पर जोर देना तथा उतार चढ़ाव के साथ बोलना एक गुण है। अतः भावों के अनुकूल ही स्वरों पर जोर देना आवश्यक है।

7.5.3 मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य

मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं :-

1. विद्यार्थियों में स्पष्ट और स्वाभाविक अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना।
2. विद्यार्थियों में शुद्ध भाषा बोलने की योग्यता का विकास करना।

3. विद्यार्थियों में अनुभवों को अभिव्यक्त करने की योग्यता का विकास करना।
4. विद्यार्थियों में प्रश्नों के उत्तर देने की क्षमता का विकास करना।
5. विद्यार्थियों में अवसरानुकूल बोलने की योग्यता का विकास करना।
6. विद्यार्थियों में संयम का विकास करना।
7. विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास करना।
8. विद्यार्थियों में हावभावपूर्ण अभिव्यक्ति की योग्यता का विकास करना।
9. विद्यार्थियों में भाषण करने की योग्यता विकसित करना।
10. विद्यार्थियों में विभिन्न रूचियां विकसित करना।
11. विद्यार्थियों में अच्छे नेतृत्व का गुण पैदा करना।

7.5.4 मौखिक कौशल की शिक्षण विधियां

मौखिक कौशल की विभिन्न शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं:

1. भाषण :-

भाषण एक कला है जो विद्यार्थियों में रूचि पैदा करती है। इसे प्रतियोगिता के रूप में आयोजन पर यह बच्चों में प्रतियोगिता की भावना, लगन और परिश्रम करने के लिए प्रेरिती है। यह मौखिक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2. वाद-विवाद:-

इसमें प्रतियोगी अपना मौखिक कौशल तो दिखाते ही है साथ में वाक-चातुर्य, तर्क बुद्धि, तत्काल विचार तथा व्यंग विनोद को भी प्रकट करने में सक्षम हो जाते हैं। वाद-विवाद में एक विषय के पक्ष या विपक्ष में बोलना होता है। कुछ वक्ता विषय के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ वक्ता उसके विपक्ष में बोलते हैं। यह मौखिक अभ्यास का उत्तम साधन है।

3. सामूहिक परिचर्चा :-

बड़ी कक्षाओं में इस क्रिया का प्रयोग सुगमता से होता है। स्कूल और समाज में कई प्रकार की समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। सामूहिक परिचर्चा में विद्यार्थियों को गोलाकार या अद्वगोलाकार में बिंगकर किसी पूर्वनिर्णीत समस्या या विषय पर अपने विचार प्रकट करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसमें सभी सदस्य अपने अपने अनुभवों तथा ज्ञान का योगदान करते हुए सत्य की तलाश में संलग्न रहते हैं। इसलिए इसका परिणाम अच्छा निकलता है।

4. सामूहिक कविता पाठ :-

इसमें सभी विद्यार्थियों को मिलकर कविता पाठ करना होता है। यदि टीक प्रकार से प्रोत्साहन मिले तो वे सामूहिक कविता पाठ अथवा गायन में बढ़चढ़ कर भाग लेने को तैयार हो जाते हैं। सामूहिक कविता पाठ से विद्यार्थियों का मनोरंजन तो होता ही है साथ में मौखिक-अभिव्यक्ति के कई गुण जैसे – भावानुकूल आरोह-अवरोह के साथ बोलना, शुद्ध उच्चारण करना, विराम गति, लय आदि की ओर ध्यान देना भी विकसित होते रहते हैं।

5. बोल सभा :-

सामान्यतः सभी स्कूलों में साप्ताहिक बाल सभा होती है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की रचनात्मक प्रवृत्तियों को मनोरंजन के माध्यम से विकसित करना होता है। बाल सभा का विकसित रिकार्ड रखा जाता है इससे यह मालूम रहता है कि कौन सा विद्यार्थी इसमें कितना भाग ले रहा है। सभी को मौका देकर मौखिक अभिव्यक्ति के कौशल में निपुण बनाया जाता है।

6. नाटक :-

नाटक मौखिक अभिव्यक्ति का ऐसा सशक्त साधन है जिसमें भाग लेने वाले विद्यार्थी पूरी लगन के साथ मौखिक अभिव्यक्ति की विविध शैलियां सीखने तथा उनका अभ्यास करते हैं। यह एक सामूहिक क्रिया है निर्देशन का कार्य उस अध्यापक को सौंपना चाहिए जिसे नाट्य कला में रुचि हो। इस साधन से एक समय में बहुत विद्यार्थियों का मौखिक अभिव्यक्ति का कौशल विकसित किया जा सकता है।

अपनी प्रगति जाँच करे –

1. मौखिक अभिव्यक्ति से आप क्या समझते हैं ?

.....
.....

2. मौखिक अभिव्यक्ति के शिक्षण के उद्देश्य की चर्चा करें।

.....
.....

3. मौखिक कौशल की शिक्षण विधियों की व्याख्या करें।

.....
.....

7.6 निष्कर्ष

इस पाठ के अध्ययन के पश्चात आप को भाषायी कौशलों का अर्थय महत्व और उद्देश्य स्पष्ट हो गए हैं। श्रवण कौशल और भाषण कौशलों के विकास में यह पाठ आपको सहायक होगा।

7.7 आत्मजाँच और परीक्षण

- 1) श्रवण कौशल के महत्व को समझाएं।
 - 2) भाषण कौशल के उद्देश्य की चर्चा करें।
-

7.8 अध्ययन हेतु पुस्तकें

1. वरवाल, जसपाल सिंह (2005) हिन्दी भाषा शिक्षण, गुरुसर बुक डिपो, सुधार (लुधियाना)।
2. शर्मा व भाटिया (2004) हिन्दी शिक्षण विधियां, टण्डन पब्लिकेशन्ज, लुधियाना।
3. सफाया, रघुनाथ, हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताबघर, जालन्धर।



भाषा कौशलों का विकास-II

- 8.0 संरचना
- 8.1 परिचय
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 वाचन कौशल का विकास
 - 8.3.1 वाचन का महत्व
 - 8.3.2 वाचन शिक्षण के उद्देश्य
 - 8.3.3 वाचन के प्रकार
 - 8.3.4 वाचन कौशल की प्रणालियां एवं विविधा
- 8.4 लेखन कौशल का विकास
 - 8.4.1 लेखन कौशल का महत्व
 - 8.4.2 लेखन कौशल के उद्देश्य
- 8.5 निष्कर्ष
- 8.6 आत्मजांच और परीक्षण
- 8.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें

8.1 परिचय

व्यक्ति में भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से रहती है। बचपन में वह अनुकरण द्वारा छोटे-छोटे प्रयासों से अपने माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों से ध्वनियाँ ग्रहण करता है, ध्वनि समूहों को समझने लगता है। भाषा एक कला है और दूसरी कलाओं की भाँति इसे सीखा जाता है और सतत अभ्यास से इसमें प्रवीणता प्राप्त की जाती है। जिस प्रकार दूसरी कलाओं में साधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार भाषा सीखने के लिए भी साधन की आवश्यकता होती है। साधन का दूसरा नाम अभ्यास है। भाषा का सशक्त साध-

न अवश्य है, परन्तु सबसे पहले भाषा कौशलों—सुनना, बोलना, लिखना में प्रवीणता प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। भाषा सीखते समय बच्चा इन कौशलों का स्वाभाविक क्रम से अभ्यास करता है। पहले बच्चा भाषा को सुनता है। सुनने की यह प्रक्रिया घर से आरम्भ होती है और जीवन भर चलती रहती है। सुनने के बाद बच्चा बोलता है। यह सब अनुकरण द्वारा होता है। सुनने बोलने के बाद वह पढ़ने की ओर प्रवृत्त होता है। साथ साथ वह लिखने की ओर भी ध्यान देने लगता है। इन चारों क्षमताओं का सम्मिलित महत्व है। इस पाठ में हम इन चारों कौशलों के विकास के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के उपरान्त आप में यह क्षमता पैदा हो जाएगी कि आप निम्नलिखित को भलि-भाँति स्पष्ट कर पाएंगे :—

- 1) आप वाचन कौशल के विकास को समझ पाएंगें।
- 2) आपको ज्ञात हो जाएगा कि लेखन कौशल कैसे विकसित होता है।

8.3 वाचन कौशल का विकास

आम बोलचाल में पढ़ने को वाचन कहा जाता है। 'वाचन शिक्षण' द्वारा शिक्षक बच्चे को पढ़ना सिखाता है। वह पहले उसे लिपिबद्ध अक्षरों का ज्ञान कराता है। फिर अक्षरों को जोड़ कर शब्दों को पहचानना सिखाता है और फिर उसे पढ़ने की ओर अग्रसर करता है परन्तु 'वाचन' का यह सामान्य अर्थ उसकी व्यापकता एवं गम्भीरता का बोध कराता है। वाचन को ज्ञानार्जन की कुंजी कहा गया है।

ल्यूइस का विचार — "वाचन एक साधन है जिसके माध्यम से बालक सम्पूर्ण मानवता की संचित ज्ञानराशि से परिचित होता है।" बच्चा कुछ सीमा तक सुनना और बोलना अपने घर में सीख जाता है परन्तु अक्षरों का लिपिबद्ध ज्ञान प्राप्त करने और पढ़ना सीखने के लिए उसे शिक्षक के पास जाना पड़ता है। जब तक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर उनके भावों एवं विचारों का बोध न हो तब तक वाचन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता। वाचन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा जा सकता है कि पूर्व श्रुत ध्वनियों से निर्मित लिपिबद्ध शब्दों को पढ़ने और पढ़कर अर्थ ग्रहण की क्रिया का नाम वाचन है।

8.3.1 वाचन का महत्व :—

वाचन का महत्व निम्नलिखित बिन्दुओं द्वारा विचारा जा सकता है :—

1. शिक्षा प्राप्ति में सहायक :—

वाचन योग्यता के विकास के बिना शिक्षा प्राप्ति असम्भव है। यदि भाषण-शिक्षण को लें तो मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करना इसका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। परन्तु सख्त वाचन के निरंतर अभ्यास के बिना मौखिक अभिव्यक्ति का विकास नहीं हो सकता।

2. ज्ञानोपार्जन का साधन :-

ज्ञान दिन प्रति दिन फैल रहा है। स्कूलों-कॉलेजों में पढ़ी पाठ्य पुस्तकों से तो ज्ञान के केवल दर्शन होते हैं। ज्ञान का द्वार केवल खुलता है। उसमें प्रवेश करके ज्ञान की अपार निधि का केवल परिचय समझने की बात तो दूर रही- प्राप्त करने के लिए मनुष्य को कई जन्म लेने पड़ेगे। इन सबके लिए वाचन बहुत जरूरी है।

3. सामाजिक महत्व :-

दैनिक जीवन में कई प्रकार का पत्र-व्यवहार करना पड़ता है। वाचन कौशल में पर्याप्त योग्यता प्राप्त किये बिना उसके लिए पत्र व्यवहार करना पड़ता है। वाचन कौशल में निपुण हुए बिना उसके लिए पत्र व्यवहार करना असम्भव होता है। कहीं कोई रिपोर्ट पढ़नी होती है, कहीं अभिनन्दन पढ़ना होता है, सन्देश पढ़कर सुनाना होता है इस तरह अनेक सामाजिक कार्यों में वाचन की जरूरत होती है।

4. लोकतन्त्रात्मक महत्व :-

वर्तमान लोकतन्त्रिक युग में 'वाचन' का महत्व और भी बढ़ जाता है। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के पीछे वस्तुतः वाचन का महत्व छिपा है। चुनाव के दिनों में राजनैतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र प्रकाशित करते हैं। उन्हें अच्छी प्रकार से समझने के लिए 'वाचन' योग्यता का होना अत्यन्त जरूरी है।

5. मनोरंजन में सहायक :-

वाचन मनोरंजन का भी महत्वपूर्ण साधन है पत्र पत्रिकाओं तथा विविध प्रकार की पुस्तकों से मनुष्य को मनोरंजन की प्राप्ति होती है। मनोरंजन के इस साधन के लिए किसी विशेष पर कोई बहुमूल्य दृश्य श्रव्य उपकरण अपनाने की भी आवश्यकता नहीं होती।

6. समय के सद-उपयोग में सहायक :-

वाचन व्यर्थ समय गँवाने से रोकता है। अच्छा समय व्यतीत करना हो तो वाचन करें अर्थात् किसी भी पुस्तक उपन्यास, पत्र, पत्रिकाओं को पढ़ें और अपने समय का सदुपयोग करें। आप चाहे कहीं भी हो घर में, बस में, रेल में अपना मन बहला सकते हैं।

8.3.2 वाचन शिक्षण के उद्देश्य :-

वाचन शिक्षण के मुख्यतः निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. विद्यार्थियों में वाचन शैली और उचित वाचन मुद्रा का विकास करना।
2. विद्यार्थियों में वाचन के द्वारा ज्ञानोपार्जन की क्षमता उत्पन्न करना।
3. वाचन के द्वारा विद्यार्थियों में माधुर्य, समरसता आदि वाणी के गुण विकसित करना।

4. विद्यार्थियों में साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना।
5. वाचन के द्वारा विद्यार्थियों में विशाल दृष्टि कोण विकसित करना।
6. विद्यार्थियों में वाचन संबंधी दोषों का निराकरण करना।
7. विद्यार्थियों में स्वाध्याय की प्रवृश्टि विकसित करना।
8. वाचन के माध्यम से विद्यार्थियों के शब्द भण्डार में वृद्धि करना।
9. विद्यार्थियों को अक्षरों के लिपिबद्ध रूप का ज्ञान कराना और अक्षरों से बने विभिन्न शब्दों का बोध कराना।

8.3.3 वाचन के प्रकार :-

ये सामान्यतः तीन प्रकार के हैं :-

1. सस्वर वाचन
2. मौन वाचन
3. अध्ययन वाचन

1. सस्वर वाचन :-

सरस्वर का भाव है – ‘स्वर के साथ पढ़ना’ अर्थात् ऊंची आवाज में पढ़ना। बच्चों को पहले ऊंचे स्वर में पढ़ना सिखाया जाता है। सस्वर वाचन के दो भेद हैं :

- | | | | |
|----|----------------|----|------------|
| क. | व्यक्तिगत वाचन | ख. | समवेत वाचन |
|----|----------------|----|------------|

2. मौन वाचन :-

मौन वाचन का अर्थ है कि खामोशी के साथ बिना होंठ हिलाए पढ़ना। बच्चे को पहले अक्षर बोध कराया जाता है। उसके पश्चात् उसे सस्वर पाठ कराया जाता है। फिर उसे मौन पाठ की ओर अग्रसर किया जाता है। मौन वाचन की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दृष्टिविराम के माध्यम से वाचन मन ही मन किया जाता है। इसमें नेत्र जल्दी-जल्दी चलते हैं, वाचन मानसिक धरातल पर होता है।

3. अध्ययन :-

यह मौन वाचन का विकसित रूप है। इसमें व्यक्ति पाठ्य सामग्री का गहन पाठ करता है। उसके पढ़ने तथा ग्रहण करने की गति बहुत तेज होती है। वह केवल अर्थ ही ग्रहण नहीं करता अपितु व्यक्ति विचारों की आलोचना करके स्वतन्त्र निष्कर्ष भी निकालता है।

8.3.4 वाचन कौशल की प्रणालियां एवं विधियां :-

इसमें मुख्यतः दो प्रकार की प्रणालियां अपनाई जाती हैं :-

- | | | |
|--------------------------|----|-----------------------|
| क. संश्लेषणात्मक प्रणाली | ख. | विश्लेषणात्मक प्रणाली |
|--------------------------|----|-----------------------|

क. संश्लेषणात्मक प्रणाली : इसमें पहले स्वर, व्यंजन तथा मात्राओं का बोध कराया जाता है। उसके बाद शब्दों और वाक्यों का बोध कराया जाता है। यह विधि बहुत पुरानी है। इसकी प्रमुख विधियाँ इस प्रकार हैं।

1. अक्षर बोध विधि 2. ध्वनि साम्य विधि

1. अक्षर बोध विधि :-

इस विधि के अनुसार बच्चों को पहले स्वर, फिर व्यंजन तथा उसके पश्चात् मात्राओं का ज्ञान कराया जाता है बच्चे अनुकरण तथा अभ्यास से अक्षर सीखने लगते हैं और यह अक्षर-ज्ञान उन्हें उत्तरोत्तर 'वाचन' की ओर अग्रसर करता है।

2. ध्वनि साम्य विधि :-

इस विधि में एक जैसी ध्वनियों वाले शब्दों का उच्चारण एक साथ सिखया जाता है। जैसे:

चल, कल, बल, नल।

काम, दाम, शाम, नाम।

ख. विश्लेषणात्मक प्रणाली :-

इसमें बच्चों को पहले वर्णों तथा ध्वनियों का ज्ञान नहीं कराया जाता बल्कि शब्दों और वाक्यों का ज्ञान कराया जाता है। बच्चे की रुचि अक्षरों में नहीं बल्कि वाक्यों में होती है इस प्रणाली के विचारकों का मानना है। अतः बच्चे को वाक्य के माध्यम से शब्दों तथा वर्णों का बोध कराना चाहिए। इस प्रणाली की विधियाँ निम्नलिखित हैं:-

1. शब्द विधि या 'देखो और कहो' विधि 2. वाक्य विधि 3. कहानी विधि

1. शब्द विधि :-

इस विधि को 'देखो और कहो' विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चों को शब्दों से सम्बन्धित वस्तुएं दिखाई जाती हैं। अध्यापक वस्तुएं दिखाकर शब्द बोलता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हुए उसी वस्तु का नाम बोलते हैं। अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाकर भी इस विधि का प्रयोग कर सकता है।

2. वाक्य विधि :-

इस में शब्दों को नहीं बल्कि वाक्य को वर्णमाला सिखाने का आधार बनाया जाता है। बच्चा हमेशा वाक्य में अपने भाव व्यक्त करता है भले ही उसका वाक्य एक शब्द का हो। बच्चा जब पढ़ने लगता है तो उसकी दृष्टि पहले पूरे वाक्य पर जाती है फिर धीरे-धीरे शब्दों पर जाती है। इस अवधारणा के आधार पर वाक्य विविध का निमार्ण हुआ।

3. कहानी विधि :-

यह विधि वस्तुतः वाक्य विधि का परिवर्तित रूप है। वाक्य विधि में एक या दो वाक्यों के माध्यम से शब्दों तथा अक्षरों का बोध कराया जाता है परन्तु कहानी विधि में छोटे-छोटे वाक्यों से एक कहानी निर्मित की जाती है और फिर चार्टों चित्रों के माध्यम से उसे बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

अपनी प्रगति जाँचे –

- वाचन कौशल का अर्थ स्पष्ट करें।**
.....
.....

- वाचन कौशल का महत्व बताएं।**
.....
.....

- वाचन के विभिन्न प्रकारों की चर्चा करें।**
.....
.....

8.4 लेखन कौशल का विकास

मनुष्य भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। ध्वनियां केवल बोली नहीं जाती बल्कि लिखी भी जाती हैं। इन्हें लिखने के लिए विशिष्ट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के लिखित रूप को प्रकट करने वाले ये चिन्ह लिपि कहलाते हैं प्रत्येक भाषा की लिपि होती है। जिसका सीखकर मनुष्य अपने विचारों को लिखित रूप में प्रकट करने की क्षमता प्राप्त करता है। लिखने की क्षमता 'लेखन कौशल' कहलाती है।

8.4.1 लेखन कौशल का महत्व :-

निम्नलिखित तथ्यों द्वारा लेखन कौशल के महत्व को सिद्ध किया जा सकता है :-

- दैनिक जीवन में महत्व :-**

व्यक्ति को मौखिक जीवन में कदम कदम पर लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अपने घर का हिसाब रखने में, विभिन्न वस्तुओं की पहचान हेतु उनपर उनका नाम लिखने में, व्यापारिक पत्र-व्यवहार करने में आदि विभिन्न दैनिक कार्यों में मनुष्य को लिखित भाषा की आवश्यकता पड़ती है।

2. पत्र व्यवहार :-

विभिन्न कार्यालयों एवं दूर बैठे व्यक्तियों के साथ सम्पर्क स्थापन और औपचारिक कार्यों तथा सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए पत्र व्यवहार की आवश्यकता पड़ती है और पत्र व्यवहार लिखित भाषा के बिना सम्भव नहीं है।

3. साहित्य रचना के लिए महत्व :-

लेखन कौशल साहित्यिक रचना का आधार है। लेखन कौशल के शिक्षण के बिना विद्यार्थियों को साहित्यिक रचना कार्यों की ओर अग्रसर नहीं किया जा सकता।

4. लोकतांत्रिक विकास में सहायक :-

अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता इस युग की सबसे बड़ी देन है परन्तु केवल मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर करना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य मौखिक अभिव्यक्ति के साथ लेखन कौशल में भी प्रवीण हो।

5. व्यावसायिक महत्व :-

व्यावसायिक दृष्टिकोण से भी लिखित भाषा अत्यन्त महत्वपूर्ण है। विभिन्न व्यवसायों में आदान प्रदान लिखित भाषा में होता है। सारे कार्यालयों के रिकार्ड, निर्णय, नीतियों, नियम आदि लिखित भाषा में ही रखे जाते हैं।

6. ज्ञान विज्ञान के संरक्षण में सहायक :-

आज मनुष्य ज्ञान विज्ञान के जिस अन्त स्तर तक पहुँचा है उसके पीछे लेखन कौशल का चमत्कार काम कर रहा है। यदि लेखन कौशल न हो तो ज्ञान का भण्डार सुरक्षित न होता और विज्ञान के अविष्कार केवल वैचारिक स्तर पर ही रह जाते।

7. शिक्षा प्रणाली में महत्व :-

शिक्षा प्रणाली में विभिन्न प्रकार के विषयों को पढ़ाने की व्यवस्था होती है। शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए विभिन्न विषयों की पाठ्यपुस्तकों निर्धारित की जाती है। उनके लिए नोट्स बनाने लिखित परीक्षाएं पास करने के लिए लेखन कौशल मदद करता है।

8.4.2 लेखन कौशल के उद्देश्य :-

लेखन कौशल के उद्देश्य निम्नलिखित है:-

1. विद्यार्थियों को अक्षरों की सुन्दर, सुडौल तथा स्पष्ट बनावट सिखा कर लेखन की प्रवृत्ति को विकसित किया जा सकता है।
2. विद्यार्थियों को शुद्ध वर्तनी, वाक्य रचना, नियम तथा विराम चिन्हों का प्रयोग सिखाना।
3. विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि प्रसंगानुकूल भाषा शैली का प्रयोग कर सकें।

4. विद्यार्थियों को लेखन का इतना अभ्यास कि वह धारा रूप से यंत्रवतगति से लिख सकें।
5. विद्यार्थियों में शब्द के विभिन्न रूपों तथा मुहावरों एवं लोकोक्तियों के उचित प्रयोग की योग्यता विकसित करना।
6. लेखन कौशल के द्वारा विद्यार्थियों की सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करके उन्हे साहित्य सशजन की ओर अग्रसर करना।
7. विद्यार्थियों में अपने विचारों तथा भावों को अनुच्छेदों में बाँटकर सुगठित रूप से व्यक्त करने की योग्यता विकसित करना।
8. विद्यार्थियों में तर्कपूर्ण लेखन द्वारा अभिव्यक्त की क्षमता विकसित करना।

8.4.3 लेखन कौशल की शिक्षण विधियां :-

लेखन कौशल की शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं।

1. अनुकरण विधि : इस विधि के अनुसार अध्यापक पहले बच्चे की कापी पर या तख्ती पर अक्षर लिख देता है बच्चा उस अक्षर की आकृति को देखता है और फिर अनुकरण द्वारा स्वयं लिखता है। पैन्सिल द्वारा लिखे गए अक्षरों पर कलम चलाना भी अनुकरण विधि का रूप है।
2. मांटेसरी विधि : मांटेसरी विधि द्वारा अक्षरों की रचना के लिए लकड़ी अथवा गते के बने हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। बच्चों को अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाता है। इससे उसकी उंगलियां सध जाती हैं और वह सरलतापूर्वक अक्षरों की रचना सीख जाता है।
3. संश्लेषण विधि : इस विधि में 'सरल से जटिल की ओर' के नियम का पालन किया जाता है। पहले विद्यार्थियों को सरल रेखायें सिखाई जाती हैं, फिर विभिन्न प्रकार की गोलाई सिखाई जाती है और तत्पश्चात उन्हें मलाकर अक्षर बनाने सिखाए जाते हैं। यहाँ अध्यापक पहले श्यामपट्ट पर सरल रेखाओं के नमूने पेश करता है और बच्चों को तख्ती पर वैसी रेखाएं बनाने को कहता है।
4. तुलनात्मक विधि : यह विधि प्रायः तीसरी या चौथी कक्षा में उपयोगी सिद्ध हो पाती है क्योंकि इस कक्षा तक आते आते बच्चा मातृभाषा लिखना सीख चुका होता है और उसे अब तुलना विधि द्वारा देवनागरी की वर्णमाला सिखाई जा सकती है।

अपनी प्रगति जाँचे –

1. लेखन कौशल से आप क्या समझते हैं।

2. लेखन कौशल के महत्व को स्पष्ट करें।
-
-

3. लेखन कौशल के शिक्षण की विभिन्न विधियां लिखे।
-
-

8.5 निष्कर्ष

प्रस्तुत पाठ से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भाषाशिक्षण का संबंध केवल ज्ञान प्रदान करना या सूचनाएं प्रदान करना मात्र नहीं है बल्कि भाषा सीखने वाले को इन चारों विविध कौशलों से दक्ष बनाना है जैसे समझना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सम्पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए इन चारों कौशलों का विकासित होना जरूरी है किस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए केवल बोलना और पढ़ना ही पर्याप्त नहीं बल्कि उसे लिखना भी अनिवार्य है।

8.6 आत्म जाँच और परीक्षण :-

1. भाषा कौशलों का उचित क्रम निर्धारित करें व व्याख्या करें।
-
-

2. लेखन कौशल के उद्देश्य की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट करें।
-
-

8.7 अध्ययन हेतु पुस्तकें :-

- वरवाल, जसपाल सिंह (2005) हिन्दी भाषा शिक्षण, गुरुसर बुक डिपो, सुधार (लुधियाना)।
- शर्मा व भाटिया (2004) हिन्दी शिक्षण विधियां, टण्डन पब्लिकेशन्ज, लुधियाना।
- सफाया, रघुनाथ, हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताबघर, जालन्धर।



हिन्दी शिक्षण के सामान्य तथा व्यवहारपरक उद्देश्य

- | | |
|--|---|
| <p>9.0 संरचना</p> <p>9.1 परिचय</p> <p>9.2 उद्देश्य</p> <p>9.3 दिशा निर्देशित उद्देश्यों की जरूरत</p> <p>9.4. शिक्षा में व्यवहारिक उद्देश्य</p> | <p>9.4.1 व्यवहारिक उद्देश्यों की आवश्यकता</p> <p>9.4.2 लक्ष्य (Aims) और उद्देश्यों (Objectives) में अन्तर</p> |
| <p>9.5 व्यवहारिक उद्देश्य : अर्थ और महत्व</p> <p>9.5.1 भूमिका</p> <p>9.5.2 व्यवहारिक उद्देश्य की परिभाषा</p> <p>9.5.3 शिक्षण में व्यवहारिक उद्देश्य क्यों चुनते हैं?</p> <p>9.5.4 व्यवहारिक उद्देश्यों के महत्व</p> <p>9.5.5 व्यवहारिक उद्देश्यों की आवश्यकता</p> | |
| <p>9.6 शैक्षिक व्यवहारिक उद्देश्यों के प्रधान तत्त्व</p> <p>9.6.1 निर्माण हेतु मापदण्ड</p> <p>9.6.2 शिक्षण-उद्देश्यों के लक्ष्य (अभिप्राय)</p> <p>9.6.3 विशिष्टीकरण</p> <p>9.6.4 आत्म परीक्षण</p> | |

9.7 शैक्षिक उद्देश्यों का विभाजन (स्थिति)

9.8 अपनी प्रगति की जांच करो

9.9 व्यावहारिक उद्देश्यों का पद

9.10 आत्म जांच और परीक्षण

9.11 आगे अध्ययन हेतु पुस्तकें

9.1 परिचय

छात्र ने कुछ सीखा है या नहीं, यह देखने के लिए उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। जिस व्यावहारिक निर्देशांक से छात्र के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे व्यावहारिक उद्देश्य कहलाते हैं।

इस अध्याय में आप व्यावहारिक उद्देश्यों के आवश्यक तत्त्व और इनको निश्चित करने के क्षेत्र देखेंगे।

व्यावहारिक उद्देश्यों को लिखने के चरण स्पष्ट किये जाएँगे और उनका तार्किक विश्लेषण किया जाएगा।

9.2 उद्देश्य

- शिक्षा सम्बंधी उद्देश्यों और व्यावहारिक उद्देश्यों के बीच अन्तर स्पष्ट करना।
- व्यावहारिक उद्देश्यों के प्रधान तत्त्वों को परिभाषित करना।
- व्यावहारिक उद्देश्यों के प्राप्ति के तरीकों को परिभाषित करना।
- व्यावहारिक उद्देश्यों की रचना करने के चरणों की रूपरेखा बनाना।

शैक्षिक जवाबदेही सफलतापूर्वक लागू तभी की जा सकती है, अगर शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य को परिभाषित किया जाये और शैक्षिक गतिविधि को शुरू करने से पहले दिशा को निर्देशित किया जाये। परन्तु विभिन्न समूहों के प्रबंधकों और आयुक्तों ने विस्तृत व्यावहारिक उद्देश्यों में न तो कभी कोई सलाह देने की कोशिश की है और न उनकी व्याख्या करने की कोशिश की है।

9.3 दिशा निर्देशित उद्देश्यों की जरूरत

शैक्षिक उद्देश्य एक प्रशासक की मदद करते हैं। इनसे वे यह जान सकते हैं कि अध्यापक द्वारा इनका कितनी सर्तकता से अनुसरण किया जा रहा है। ये अध्यापक की वैचारिकता को परखने में भी सहायता करते हैं। इनके द्वारा पाठ्यचर्चा के उद्देश्यों को भी जाना जा सकता है। इस प्रकार यह एक व्यवस्थित शिक्षण तंत्र को मजबूती देते हैं। इनके माध्यम से शिक्षा के उद्देश्यों को जाना जा सकता है।

इनसे अध्यापक छात्र की प्रगति को भी बताता है। शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यचर्या निर्माताओं की सहायता करते हैं और वे पाठ्यचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं।

इससे पाठ्यक्रम को इकाइयों में बांटा जा सकता है, यह निश्चय किया जा सकता है कि छात्र कौन-सी विषयवस्तु पाठ्यक्रम के प्रारम्भ में पढ़ेंगे एवं कौन-सी पाठ्यक्रम अंत में।

निर्देशात्मक उद्देश्य अध्यापकों और प्रशासकों का शिक्षण स्तर को जाचने में मदद करते हैं। निर्देशात्मक उद्देश्य उन छात्रों को पहचानने में मदद करते हैं जो दिए गए उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकें। निर्देशात्मक उद्देश्य योग्यता का एक ऐसा निम्नतम स्तर है, जो सभी विद्यार्थियों द्वारा पूरा किया जाता है। इस तरह के ये योग्यता स्तर अध्यापकों की उद्देश्यात्मक कार्यक्रमों को निश्चित करने में सहायता करते हैं।

शैक्षिक उद्देश्य पाठ्यक्रम बनाने में भी महत्वपूर्ण है। इन निर्देशात्मक उद्देश्यों की मदद लेते हुए पाठ्यक्रम निर्माता अपने सहयोगी स्टाफ के साथ यह निश्चित करते हैं कि विषयवस्तु का सही तरीके से समायोजन किया गया है कि नहीं। शैक्षिक उद्देश्यों का प्रयोग संबंधित पाठ्यक्रमों में स्थिरता एवं निरंतरता लाने में भी सहायता करता है इनके अंतर्गत निर्मित पाठ्यक्रमों में श्रृंखलागत निरंतरता का महत्व बढ़ जाता है।

अपनी प्रगति को जांचो

1.उद्देश्य.....स्तर से प्रशासन में सहायक होते हैं।
2. अध्यापक का.....व्यक्तित्व.....भी एक कार्यक्रम को प्रभावित करता है।
3. उद्देश्य शिक्षा के.....तंत्र को बढ़ाते हैं।

9.4. शिक्षा में व्यवहारिक उद्देश्य

9.4.1 व्यवहारिक उद्देश्यों की आवश्यकता :-

निर्देशात्मक उद्देश्य अध्यापन-प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भूमिका अदा करते हैं, उद्देश्यों को समझे अबना, अध्यापन और जांच सम्भव नहीं है। अध्यापन में अनेक प्रक्रियाएं निहित होती हैं। जैसे उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चुनाव करना, निर्देश के तरीकों का उल्लेख करना, निर्देश और परिणामों की परख करना। एक अच्छा अध्यापक अपने उद्देश्यों एवम् लक्ष्यों को निर्धारित करता है। उद्देश्य केन्द्रित शिक्षा अच्छे जांच कार्यक्रम के लिए आवश्यक तत्त्व है।

जिस प्रकार एक अध्यापक अपने अध्यापन और सिखाने की जांच करता है। प्रशासक और पाठ्यक्रम निर्माताओं को उसी प्रकार अपने और अपने संस्थानों के कार्यक्रमों के उद्देश्यों की जांच करनी चाहिए। अध्यापक के लिए जरूरी है कि वह अध्ययन के विषय के उद्देश्य चिन्हित करें तभी वह अपने अध्यापन की जांच सकते हैं। अतः आवश्यक है कि वे शिक्षण के उद्देश्यों, लक्ष्यों, उदगमों, व्यावहारिक उद्देश्यों एवं निर्देशात्मक उद्देश्यों को समझें।

उद्देश्य वह प्राप्य है जिस तक हम छात्रों को ले जाना चाहते हैं। यह एक साधारण निर्दिष्ट इरादा है जो अध्यापन कार्यक्रम को दिशा देता है। उद्देश्य प्रत्यक्ष उद्गम है। उद्देश्य ही क्रिया को दिशा देते हैं। उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कोई क्रियाविधि संचालित की जाती है।

9.4.2 लक्ष्य (Aims) और उद्देश्य (Objectives) में अन्तर

Aim लम्बी अवधि के लक्ष्य है जबकि Objective एक विशिष्ट और तात्कालिक लक्ष्य है, जो दिशा में एक विशेष बिन्दु है। एक Objective स्पष्ट करता है कि किसी प्रकरण को पढ़ाने के पश्चात् क्या प्राप्त हुआ। Aims इस प्रश्न का उत्तर देता है कि एक प्रकरण को क्यों पढ़ाया जाता है।

निर्धारित किए गए लक्ष्य Aims मूल रूप से किसी समुदाय या समाज की अभिलाषाओं से सम्बंध रखते हैं। उद्देश्य (Objectives) इच्छाओं से सम्बंध रखते हैं जो शिक्षा प्रणाली में कभी सम्पूर्ण रूप से तो कभी एक भाग के रूप में नियुक्त किए जाते हैं। परन्तु इन इच्छाओं (Objectives) को छात्रों के व्यवहार या शिक्षण कार्यों से नहीं जोड़ा जा सकता है।

उद्देश्य (Objectives) यथार्थ और विशिष्ट होते हैं जैसे एक छात्र अपनी पढ़ाई-प्रक्रिया पूरी होने के बाद क्या आशाएं रखता है। शिक्षा प्रणाली में उद्देश्य (Objectives) नियुक्त किए जाते हैं।

Aims और Objectives Differentiated

1. Aims शिक्षा की दिशाओं को तय करते हैं। Aims के बिना शिक्षा इच्छित दिशा में प्रगति नहीं कर सकती। जबकि एक उद्देश्य एक बिन्दु है जो यह बताता है कि इच्छित दिशा में क्या प्राप्त हुआ।
2. उद्देश्य प्राप्त किये जाते हैं जबकि Aims की उपलब्धि विद्यालय कार्य क्षेत्र से परे है।
3. Aims वह दिशा है जो कक्षा के अन्दर या बाहर किसी शैक्षिक-प्रक्रिया को दी जाती है।
4. Aims से ही उद्देश्य निकलते हैं। Aims किसी दिये गये उद्देश्य को निश्चित बिन्दु पर परखने में मदद करते हैं।
5. Aims अध्यापक की अध्यापन योजना को निर्धारित करने में मदद नहीं करते हैं।
6. उद्देश्य अध्यपक की योजना को निर्धारित करने में मदद करते हैं।
7. उद्देश्य निश्चित अर्थ और तात्पर्य को बताते हैं।

अपनी प्रगति की जांच करो

1. दिशा निर्देशित उद्देश्यों को परिभाषित करो।
2. लक्ष्य.....है।

3. लक्ष्य.....है। जबकि उद्देश्य.....होते हैं।
4. व्यावहारिक उद्देश्यों को परिभाषित करो।

9.5 व्यावहारिक उद्देश्य : अर्थ एवं परिभाषा

9.5.1 भूमिका

व्यावहारिक उद्देश्य वह कथन है जो वांछित परिवर्तन को बताता है। व्यावहारिक उद्देश्य शिक्षा के नीतिकथन हैं। वे पूरी शैक्षिक संरचना का आधार उपलब्ध करवाते हैं। साथ ही ये निर्दिष्ट साधन, अध्यापन के तरीके और परीक्षा से संबंधित जानकारी देते हैं। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा जांच कार्यक्रम एक आवश्यक तत्त्व है।

B.S. Bloom कहते हैं।

“The desired goals or outcomes at which instruction is aimed is known as educational objective.”

व्यवहार की जांच के सम्बन्ध में शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण कक्षिय अध्यापन (Class room teaching) की आवश्यकता है। अध्यापन का उद्देश्य वास्तव में छात्र के उद्गमों और उसके व्यवहार-परिवर्तन से ही सम्बंधित होते हैं।

9.5.2 व्यावहारिक उद्देश्यों की परिभाषा

छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन की आशा की जाती है और इन परिवर्तनों को जांचा और मापा जा सकता है। इस प्रकार जिन उद्देश्यों का व्यवहार के संबंध में उल्लेख किया जाता है वे व्यावहारिक उद्देश्य कहलाते हैं।

मोटेन्यू और बट्स के अनुसार, “A behavioural objective is a goal or a desired outcome of learning which is expressed in the term of observable behaviour of the learner.”

इस प्रकार व्यावहारिक उद्देश्य छात्र के इच्छित व्यवहार से सम्बन्धित है। व्यावहारिक उद्देश्य वह कथन है जो छात्र के वांछित परिवर्तन को बताता है। प्राप्त व्यावहारिक उद्देश्य हमारी पूरी शैक्षिक संरचना के आधार को बनाते हैं और उनका उल्लेख बहुत ही विशिष्ट स्तर को प्राप्त करने में किया जाता है। विद्यालय की परिस्थितियों में ये मौखिक या मुख्य दक्षताओं को बताते हैं।

नीचे दिए गए तीन दिशा निर्देशित उद्देश्य हैं जो विद्यार्थी के अंतिम व्यावहारिक प्रदर्शन को बताते हैं।

1. विद्यार्थी विभिन्न भाषणों के भागों के नाम बताते हैं।

2. विद्यार्थी अधिकारों और कर्तव्यों के बीच भेद करते हैं।
3. विद्यार्थी मुख्य रूप से सारे तंत्र की सूची बनाते हैं।
नीचे दिए गए कथन अंतिम देखने योग्य प्रदर्शन या कार्य नहीं है।
 1. विद्यार्थी John Donne की कविता समझते हैं।
 2. विद्यार्थी Gothic की स्थापत्य कला व सुंदरता की प्रशंसा करते हैं।
 3. विद्यार्थी आपस में चर्चा करते हैं कि फ्रांस की क्रांति का यूरोप के राजनैतिक विकास में क्या प्रभाव पड़ेगा।

हम दूसरे उद्देश्यों को भी प्रस्तुत कर सकते हैं जो अव्यवहारिक कथनों का दिशा निर्देशित उद्देश्य है क्योंकि अन्तिम कार्य या प्रदर्शन अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्व इस तथ्य का है कि विद्यार्थी अपनी सूझ-बूझ से प्रदर्शित कर दिखाएंगे।

9.5.3 शिक्षण में व्यवहारिक उद्देश्य क्यों चुनते हैं

शिक्षा में हम आमतौर पर व्यवहारिक उद्देश्यों को अंकित करते हैं। ये व्यवहार के प्रकारों को पढ़ाने का अनुभव करने के तरीके का बराबर का महत्व रखते हैं। क्रिया करने और सोचने आदि का हमारे समाज में बराबर महत्व और मूल्य है और ये विद्यार्थी को इस समाज में प्रभावी और महत्वपूर्ण मानव बना देते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि व्यवहारिक उद्देश्य एक शैक्षिक उद्देश्य है।

1. जो विद्यार्थी के आशानुरूप व्यवहार या कार्य या आशानुरूप प्रगति को इंगित करते हैं।
2. जो विद्यार्थी की परिस्थितियों में अपने व्यवहार का प्रयोग करते हैं।
3. जो विद्यार्थी के मानने योग्य कार्य को भी शामिल कर लेते हैं।

किस प्रकार उद्देश्य अध्यापक की मदद करते हैं

1. दिशा निर्देश में, नियोजन में, विद्यार्थी के मार्गदर्शन में और अध्यापन के निचोड़ को परखने में ये उद्देश्य अध्यापक की मदद करता है।
2. हमारे उद्देश्यों को शुद्ध करने या पुनः व्याख्या करने में, मूल्यांकन में व्यवहारिक सामग्री सहायता प्रदान करती है। यह कि शिक्षा ने क्या हासिल किया है, क्या हासिल कर सकते हैं आदि को जानने में सहायक है।
3. शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को यह साफ विचार होना चाहिए कि शिक्षा से क्या निचोड़ बाहर आयेगा।

- व्यवहारिक उद्देश्य सीखने वाले के शैक्षिक-विकास के स्तर को भी बताता है कि इस समय वह कितना शैक्षिक विकास कर चुका है।
- उद्देश्य अध्यापन के तरीकों और मूल्यांकन के सम्बंध के बारे में बहुत अच्छी तरह से बताते हैं।

हमें जिन कामचलाऊ या अस्थायी उद्देश्यों की जरूरत होती है उन्हें प्राप्त करने के लिए शैक्षिक नीतियां प्रयोग में लाई जाती हैं और विद्यार्थियों को सीखने का अनुभव उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य के स्रोत

राष्ट्र की जरूरतों और उद्देश्यों के अनुसार सीखने तथा काम लेने की प्रक्रिया बदली जा सकती है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में शिक्षा के उद्देश्य भिन्न-भिन्न होते हैं। राष्ट्र सामाजिक परिवेश, आर्थिक ढांचा, राजनीतिक व्यवस्था की सांस्कृतिक विरासत आदि उद्देश्यों के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। एक बच्चे की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी शिक्षा के उद्देश्यों का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उसकी आवश्यकताएं बदलती हैं, उसी के अनुसार उद्देश्य भी भिन्न-भिन्न होते हैं। जैसे प्राथमिक विद्यालय के छात्र की आवश्यकताएं एक कालेज के छात्र की आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं।

9.5.4 व्यवहारिक उद्देश्यों के महत्व

व्यवहारिक उद्देश्य शिक्षा को दिशा प्रदान करते हैं। व्यावहारिक उद्देश्य कक्षा अध्यापक को अध्यापन के प्रति संचेत करते हैं। क्योंकि शैक्षिक यात्रा में पहला कदम ही निर्णय और महत्वपूर्ण है।

- व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्माण अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह अर्थपूर्ण विषय-सामग्री चुनने, शिक्षण विधियाँ और तकनीकें चुनने में समर्थ बनाता है।
- व्यवहारिक उद्देश्य पाठ्यक्रम के पुनर्निर्माण और शैक्षिक ढांचे को नया रूप प्रदान करता है। यह अध्ययन के विभिन्न कोर्स के मूल्यांकन के लिए मापदण्ड प्रदान करते हैं।
- व्यवहारिक उद्देश्य एक अध्यापक एवं एक छात्र को शिक्षण में आदान-प्रदान की स्पष्टता प्रदान करते हैं।
- व्यवहारिक उद्देश्य छात्रों के ज्ञान, सूचना, कौशलों, सौन्दर्य-बोध, व्यक्तिगत-सामाजिक अनुकूलन, रुचियों के निरीक्षण में सहायता करता है।
- व्यवहारिक उद्देश्य में एक अध्यापक को अपनी कमियों को सुधारने में सहायता करता है।
- ये अध्यापक द्वारा निर्देशित इच्छाओं को स्पष्ट करने में सहायता करते हैं।
- ये उचित शिक्षण और सहायक सामग्री के चुनाव में सहायता करते हैं।

8. ये शिक्षण में सहायक गतिविधियों के आयोजन में भी सहायता करते हैं। इन सहायक गतिविधियों के द्वारा अध्यापक अपने छात्र के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन ला सकता है।

9.5.5 व्यवहारिक उद्देश्यों की आवश्यकताएँ

शैक्षिक व्यवहारिक उद्देश्य

- महत्वपूर्ण
 - मापने योग्य
 - छात्रों द्वारा अपनाने योग्य
 - शैक्षिक स्रोतों, शैक्षिक योग्यताओं, भौतिक सुविधाओं एवं निर्देश सामग्री के अनुरूप।
 - समय विशेष आदि के अनुसार होने चाहिए।
1. एक उद्देश्य.....होना चाहिए।
 2. कोई तीन क्षेत्र (areas) बताइए जिनमें ये उद्देश्य अध्यापक की सहायता करते हैं।
 3. व्यवहारिक उद्देश्यों के कोई तीन महत्व बताइए।

9.6 शैक्षिक व्यावहारिक उद्देश्यों के प्रधान तत्व

9.6.1 निर्माण हेतु मानदण्ड

1. जांचने योग्य व्यवहार :-

छात्र के व्यवहार के निरीक्षण के संदर्भ में व्यवहारिक निर्धारित किये जाने चाहिए।

2. मापन वेफ निर्धारण में :-

छात्र में उचित, यथार्थ और वांछित परिवर्तनों को जांचने में शैक्षणिक व्यवहारिक उद्देश्य समर्थ होने चाहिए।

3. शुद्ध कथन :-

व्यवहारिक उद्देश्य उचित साधारण शुद्ध भाषा में वर्णित होने चाहिए ताकि छात्र, अध्यापक, अभिभावक आदि और जो शिक्षा में रुचि रखते हैं, इन उद्देश्यों को जान सकें।

4. इकाई रूप में व्यवहारिक उद्देश्य :-

प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य एक विशिष्ट इकाई के रूप में होना चाहिए, मिश्रण के रूप में नहीं हो तो अच्छा है। परन्तु वह व्यवहारिक उद्देश्य जो विषय-वस्तु के तौर पर भिन्न हो, परस्पर समूह में हो सकते हैं।

5. विशिष्टता :-

प्रत्येक व्यवहारिक उद्देश्य विशिष्ट होना चाहिए।

6. निर्देशन :-

व्यवहारिक उद्देश्य छात्र को दिशा निर्देश देने वाले होने चाहिए।

7. प्रासांगिकता :-

व्यवहारिक उद्देश्य संसार की वास्तविकता से सम्बन्धित होने चाहिए।

8. व्यवहारिक :-

व्यवहारिक उद्देश्य व्यवहारिक होने चाहिए।

9. प्रभावी प्रबंधन :-

व्यवहारिक उद्देश्य ऐसे होने चाहिए जिनका नियंत्रण और प्रबन्ध किया जा सके।

10. संप्रेषण :-

व्यवहारिक उद्देश्य छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों के बीच सम्प्रेषण योग्य होने चाहिए।

9.6.2 शिक्षण-उद्देश्यों के लक्ष्य (अभिप्राय)

शिक्षण-उद्देश्य और उनकी विशिष्टता निम्नलिखित लक्ष्यों की पूर्ति करते हैं।

1. निर्देशित कार्यक्रमों को योजित और संचालित करना।
2. व्यवहारिक परिवर्तनों का इच्छित निरीक्षण करने की चेष्टा विकसित करना।
3. इच्छित व्यवहार की उपलब्धियों को जांचना।
4. निर्देशित कार्यक्रम तैयार करना।
5. उद्देश्य आधारित निर्देश-सामग्री तैयार करना।
6. उद्देश्य आधारित जांच-सामग्री तैयार करना।

9.6.4 विशिष्टीकरण

विशिष्टीकरण का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, निर्देश प्रक्रियाओं के आयोजन और कार्यक्रमों की जांच के लिए ये उद्देश्य आधार प्रदान करते हैं। इस तरह शैक्षिक और निर्देशित-उद्देश्य विशिष्टीकरण में आगे की भूमिका निभाते हैं।

विशिष्टीकरण के निम्नलिखित महत्वपूर्ण लक्षण हैं।

1. वे असीमित शिक्षण उद्देश्य हैं।
2. ये एक उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में विभेद करने में सहायता प्रदान करते हैं।
3. ये पढ़ने पढ़ाने की स्थितियों का आंतरिक ज्ञान प्रदान करते हैं।
4. ज्ञान की जटिल प्रवृत्ति के कारण कभी-कभी विशिष्टीकरण अतिव्यापित हो जाता है।
5. ये विषय निर्माण के लिए आधार प्रदान करते हैं।

विशिष्टीकरण के लक्ष्य

शिक्षा उद्देश्य विषय से विषय तक, कक्षा से कक्षा तक और अवस्था से अवस्था तक बदलते रहते हैं। इससे अध्यापक शिक्षा उद्देश्यों का निर्माण करने और विषय की प्रकृति को ध्यान में रखता हुआ विशिष्टीकरण आदि करता है। फिर भी प्रत्येक विषय में साधारणतया विशिष्टीकरण को तीन भागों में बांटा गया है।

1. ज्ञान
2. बोध
3. अनुप्रयोग।

विशिष्ट उद्देश्य छात्र द्वारा ग्रहण किये गये ज्ञान से सम्बन्धित होते हैं इसके उचित बोध-ग्रहण और वास्तविक जीवन में उपयोग कर लिए जाने की क्षमता रखते हैं। आधुनिक प्रवृत्ति के अनुसार उद्देश्य परीक्षण पर आधारित होते हैं। उद्देश्य यथार्थ, उपयोगी और शैक्षणिक रूप में शक्तिशाली होने चाहिए।

9.6.5 आत्म परीक्षण

1. शैक्षिक उद्देश्यों के कोई दो लक्ष्य बताइए।
2. शैक्षिक उद्देश्यों के निर्माण के लिए कोई तीन मानदण्ड बताइए।
3. विशिष्टीकरण के कोई दो लक्षण बताइए।

9.7 शैक्षिक उद्देश्यों का विभाजन (स्थिति)

शैक्षिक उद्देश्यों के विभाजन की भिन्न-भिन्न तकनीकों का शिक्षा मनोवैज्ञानिक दावा करते हैं, लेकिन B.S. Bloom द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का दिया गया वर्गीकरण महत्वपूर्ण और विस्तृत है, उन्होंने अपने पौधों और जन्तुओं का वर्गीकरण दिया है।

प्रथम दृष्टि में यह तीन बड़े क्षेत्रों में विभाजित है।

- (A) ज्ञान आयाम :— यह ज्ञान सार, बौद्धिक क्षमता और योग्यता के साथ सम्बन्धित है।
(B) प्रभावी आयाम :— यह अभिवृति, रुचि, गुण, बोध और समायोजन के तरीकों से सम्बन्धित है।
(C) मनोतकनिक आयाम :— यह कार्य-संचालन से सम्बन्धित है।
ये तीनों आयाम आगे चलकर उपश्रेणियों में विभाजित किए गए हैं।

जैसे कि :

1. Cognitive बोध (ज्ञान)	परीक्षण	उच्चतम
	संश्लेषण	
	विश्लेषण	
	अनुप्रयोग	
	बोध के निम्नतम	
	ज्ञान	
2. Affective प्रभावशाली	विलक्षणता	
	आयोजन	
	मूल्य निरूपणता	
	अनुकूलन	
	ग्रहण करना	
3. Psychoaitor (मनोतकनिक)		
निपुणता	अभ्यस्तीकरण	
	स्पष्ट उच्चारण	
	यथार्थता	
दस्तकारी	(हस्तव्यापार)	
	अनुकरण	

उद्देश्यों को विभिन्न आयामों में विभाजित करने की आवश्यकता है।

1. शैक्षणिक उद्देश्यों के सम्बन्ध में संप्रेषण की शुद्धता स्थापित करना।
2. जानने, समझने और तर्क की अवधारणाओं में उत्पन्न अनिश्चितता को इन द्वारा कम करना।
3. अधिक सुस्पष्ट संप्रेषण का यह माध्यम है।
4. प्रधान उद्देश्यों के वर्गीकरण के बारे में ये सामान्य समझ स्थापित करते हैं।
5. मानव के श्रृंखलाबद्ध और सांगठनिक विकास को समझने का यह माध्यम है।
6. लक्ष्यों और परिणामों के विस्तृत प्रतिबिम्ब विकसित करने का संभावनाएँ बढ़ाने में सहायक है।

उद्देश्य के वर्गीकरण का कारण है— उद्देश्यों की प्रधान प्रवृत्ति है। यद्यपि एक उद्देश्य एक समय में अध्यापन पर केन्द्रित होता है फिर भी इसके साथ ही साथ कुछ अन्य उद्देश्यों तक भी पहुंचा जा सकता है।

हमारी शैक्षिक इच्छाओं के स्तरीकरण की चेष्टा को वर्गीकरण बढ़ाते हैं और ये शुद्धता को निश्चित करने में रक्षात्मक आधार प्रदान करते हैं जबकि कई शिक्षक सोचते हैं कि Mager द्वारा दिए गए व्यवहारिक उद्देश्य संकीण हैं। विषयों के संदर्भ में जैसे मानवता ! जब न्याय, गुण और भावनाएं सीखने की प्रक्रिया के अंग समझे जाते हैं, तब यह एक मुख्य मुद्दा बन जाता है।

राबर्ट मेजर, राबर्ट मिलर और अन्तिम रूप में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर द्वारा उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखने के तरीकों के बारे में वर्णन किया गया है।

9.9. व्यावहारिक उद्देश्यों का पद

जब लेखन के सूत्र और उद्देश्य का निर्माण किया जाता है तो निम्नलिखित इच्छित पदों की आवश्यकता समझी जाती है।

1. उद्देश्यों का छात्रों के व्यवहार के संदर्भ में वर्णन किया जाना चाहिए, यहां हम उन कथनों का वर्णन करते हैं जो शिक्षक कथन करने का रहा है।

ऐसा कथन छात्र द्वारा प्राप्त किए अधिगम परिणामों की बजाय शिक्षण गतिविधि पर अपना ध्यान केन्द्रित रखता है। इसीलिए यह अधिक लाभदायी तरीका है क्योंकि छात्र के व्यवहार के संदर्भ में यह शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन करता है।

जब किसी दूसरे तरीके से उद्देश्यों की व्याख्या की जाती है तो हम छात्रों का प्रत्यक्ष ध्यान आकर्षित करते हैं।

व्यवहार को लिखना एक शिक्षक से सीखने के उद्देश्यों के परिणाम दर्शाने की आशा की जाती है। इससे हमारा केन्द्र बिन्दु शिक्षक से छात्र हो जाता है और वह अधिगम परिणामों को सीखने की प्रक्रिया से स्थानान्तरित होता है।

2. विशिष्टीकरणों के कथन में कर्म और क्रिया सम्मिलित होनी चाहिए। हम उसी छात्र का निरीक्षण कर सकते हैं जो छांट रहा है, चयन कर रहा है, वर्णन कर रहा है, लिख रहा है, और सम्बन्ध बता रहा है। लिखना, वर्णन करना और व्याख्या करना कर्म क्रिया है।
3. कथन सम्पूर्ण गतिविधि के रूप में या व्यावहारिक परिणामों के रूप में होना चाहिए। वह निरीक्षण करने योग्य या मानने योग्य होना चाहिए। इस प्रकार वह वर्णन उद्देश्यता की स्पष्ट रूप से वृद्धि करता है।

उदाहरण :-

1. लाभ और हानि पर दिया गया उदाहरण समस्या हल करने में छात्रों को सक्षम बनाता है।
2. छात्र शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने में सक्षम हो जाएगा।

विषय-वस्तु परिवर्तन के क्षेत्र को विषय-वस्तु की पूर्ण व्याख्या द्वारा निर्देशित करता है। जिसके द्वारा परिवर्तन सामने आता है, उदाहरण के लिए :-

1. छात्र व्यक्ति वाचक और जातिवाचक संज्ञा में अन्तर करने में सक्षम होता है।
2. छात्र अधिकारों एवम् कर्तव्यों में भेद करने में सक्षम होता है।

वास्तव में अन्तर करने में सक्षम होना परिमार्जन है और जातिवाचक और निज वाचक, कर्तव्य और अधिकार आदि विषय-वस्तु वाला भाग है।

3. उद्देश्य कथन प्रत्येक एकल छात्र-उपलब्धि के रूप में किए जाने चाहिए, न कि छात्र-समूह की उपलब्धि के रूप में।
4. उद्देश्य कथन छात्रों के व्यवहार परिवर्तनों के निरीक्षण किए जाने वाले रूप में होना चाहिए।
5. उद्देश्य कथन ऐसे होने चाहिए कि छात्रों में सम्भावित परिवर्तन का शुद्धता के तर्क-संगत अंश तक मूल्यांकन किया जा सकता है।
6. लिखने की बजाय छात्रों को ग्राफ की व्याख्या करना बताया जाए तो अच्छा होगा, चार्ट का प्रयोग छात्रों को निपुणता प्राप्त करने में सहायता करता है।

7. कथन एकल-पद्धति में होना चाहिए, वह एक उद्देश्य से अधिक नहीं होना चाहिए। उद्देश्य एक कथन में अभियक्त नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि इससे छात्र के व्यवहार में आने वाले विशिष्ट परिवर्तन को पहचानने में कठिनाई होती है।

एकल कथन में छात्र अवधारणाओं को समझता है, शब्दों को समझता है और ज्ञान अधिग्रहण करता है। परन्तु संयुक्त कथन में छात्र अवधारणाओं, शब्दों आदि का बोध करने में कठिनाई महसूस करता है, उसे इनको पहचानने में कठिनाई होती है। इसीलिए समझ और ज्ञान से सम्बंधित इन दो अलग-अलग उद्देश्यों का वर्णन वांछनीय होता है।

8. उद्देश्य कथन द्वारा निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए :-
- व्यवहार आकांक्षा (अभिलाषा)।
 - जिन परिस्थितियों में व्यवहार का निरीक्षण किया गया है, उनकी व्याख्या करना। (विषय वस्तु)
 - छात्र द्वारा अपना व्यवहार प्रदर्शित करने की सीमा (अवसर), (इच्छा परिवर्तन)
 - उन शर्तों की व्याख्या करना, जिनके नियन्त्रण में व्यवहार के प्रदर्शित होने की उम्मीद होती है। (शर्त)
 - यह व्याख्या करना कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार छात्र को कैसे अच्छा व्यवहार प्रदर्शित करना चाहिए। (स्तर)

9.10 आत्म जांच और परीक्षण

1. आप उद्देश्यों से क्या समझते हैं, कक्षा 7 के किसी भी प्रकरण पर पांच उद्देश्य बनाइए।
2. विशिष्टीकरण क्यों महत्वपूर्ण है।
3. अध्यापन-अध्यापक प्रक्रिया में व्यवहारिक उद्देश्यों का क्या महत्व है।
4. व्यावहारिक उद्देश्यों कफ निर्माण के लिए मानदण्डों को जानिए।
5. व्यावहारिक उद्देश्यों के लक्ष्य क्या है।

9.11 अध्ययन हेतु पुस्तकें

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. हिन्दी शिक्षण एवं उनकी विधियाँ | भाटिया एवं नारंग |
| 2. हिन्दी शिक्षण | सुरेन्द्र सिंह कादियान |



हिन्दी गद्य, पद्य एवं निबन्ध शिक्षण

- | | |
|------|---|
| 10.0 | रूपरेखा |
| 10.1 | परिचय |
| 10.2 | उद्देश्य |
| 10.3 | गद्य शिक्षण <ul style="list-style-type: none"> 10.3.1 गद्य शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा 10.3.2 गद्य शिक्षण के उद्देश्य 10.3.3 गद्य शिक्षण की महत्ता 10.3.4 गद्य शिक्षण की विधियाँ |
| 10.4 | कविता शिक्षण <ul style="list-style-type: none"> 10.4.1 पद्य शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा 10.4.2 पद्य शिक्षण के उद्देश्य 10.4.3 पद्य शिक्षण की प्रणालियां |
| 10.5 | निबन्ध शिक्षण <ul style="list-style-type: none"> 10.5.1 निबंध के प्रकार 10.5.2 निबंध शिक्षण की विधियाँ 10.5.3 निबंध रचना शिक्षण की प्रक्रिया |
| 10.6 | निष्कर्ष |
| 10.7 | आत्मजाँच और परीक्षण |
| 10.8 | उपयोगी पुस्तकें |

10.1 परिचय

पूर्व पाठ में हम सामान्य एवं व्यवहारप्रक उद्देश्यों का अध्ययन कर चुके हैं। इस पाठ में हम गद्य, कविता, निबन्ध तथा रचना शिक्षण की विधियों से परिचित होंगे। जैसा कि आपको भी विदित होगा कि भाषा के विभिन्न अंगों को पढ़ाने की विभिन्न विधियाँ हैं। हर स्तर पर गद्य, पद्य और निबन्ध शिक्षण की अलग प्रणाली है। इस पाठ में हम विभिन्न स्तरों पर गद्य कविता और निबन्ध शिक्षण की विभिन्न विधियों की जानकारी प्राप्त करेंगे।

10.2 उद्देश्य

इस पाठ को पढ़ने के बाद आप :-

- ◆ गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियों का परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
 - ◆ कविता शिक्षण की विविध प्रणालियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
-

10.3 गद्य शिक्षण

भाषा मनुष्य के भावों एवं विचारों को वाचिक व लिखित रूपों में अधिकाधिक संप्रेषणीय बनाती है। साहित्य में इस संप्रेषण की दो प्रमुख शैलियाँ हैं— गद्य और पद्य। जब हम अपने विचारों को विस्तृत रूप से व्याकरण सम्मत भाषा में प्रस्तुत करते हैं तो वह साहित्य की गद्य शैली कहलाती है और जब अपने भावों एवं विचारों को छंद, स्वर, लय व ताल में बांध कर प्रकट करते हैं तो यह कविता शैली कहलाती है।

आदिकाल के हिन्दी साहित्य में पद्य अथवा काव्य का ही प्रचलन था। तत्पश्चात् गद्य साहित्य का क्षेत्र विस्तीर्ण होने लगा। इसकी विशालता और व्यापकता को देखते हुए हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग को गद्ययुग की संज्ञा प्रदान की गई। वास्तव में गद्य साहित्य में काव्य के अतिरिक्त सभी साहित्यिक विधाएँ आ जाती हैं, जैसे —निबन्ध, कहानी, वर्णन, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, रेखाचित्र, रिपोर्टज, आलोचना आदि। गद्य शिक्षण द्वारा साहित्य की इन विधाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। इससे विद्यार्थियों में भाषायी कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना व लिखना विकसित होते हैं तथा उनकी साहित्य के प्रति रुचि जागृत होती है। गद्य शिक्षण द्वारा विद्यार्थी भाषा के सर्वमान्य रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं तथा उनमें रचनात्मक योग्यता विकसित होती है। अतः हिन्दी भाषा शिक्षण में गद्य की शिक्षण एक दूसरे के पर्यायी हैं। भाषा की शिक्षा गद्य के माध्यम से दी जाती है और गद्य की शिक्षा विशेष महत्व रखती है। हिन्दी भाषा शिक्षण एवं गद्य की शिक्षा भाषा के माध्यम से ही दी जाती है। गद्य साहित्य की विभिन्न विधाओं एवं शैलियों से गद्य की अभियंजनात्मक शक्ति तथा विविधता का अनुमान लगाया जा सकता है।

10.3.1 गद्य शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा

गद्य शब्द संस्कृत भाषा की 'गद्' धृतु से बना है जिसका अर्थ होता है— स्पष्ट कहना। साहित्य—दर्पण के

अनुसार 'वृत वंधेज्जितं गद्यजे' अर्थात् वृत-बन्ध-हीन रचना गद्य है। काव्यादर्श के अनुसार 'अपादः पदसंतानो गद्यजे' अर्थात् पद समुदाय में गण—मात्रा आदि के निपत पाद का न होना गद्य है। अग्रेजी में गद्य को 'प्रोज' कहते हैं। प्रोज की परिभाषाओं की गई है जैसे—स्टेट, डाइरेक्ट, अनएडार्न्ड स्पीच' अथवा लैंग्वेज स्पोकन ऑफ रिटन, ऐज इन आर्डिनरी यूसेज, विडाउट मीटर ऑफ राइम। अरबी में गद्य को नस्त या 'इबारत' या 'नज्म को उल्टा' कहा गया है। उर्दू में भी अरबी के अनुसार ही गद्य को स्पष्ट किया गया है।

साहित्य की विभिन्न विधाओं में गद्य का स्थान महत्वपूर्ण है। 'गद्य कवीनां निकषं वदन्ति' उक्ति के अनुसार गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। काव्य में अलंकार, पिगल आदि के रूपों में कवियों के समक्ष कुछ मार्गदर्शक तत्व होते हैं, किन्तु गद्य में इनका होना आवश्यक नहीं है। गद्य रचना में लेखक स्वतन्त्र रहता है। स्वतन्त्र होने के नाते उसे बहुत सावधान भी रहना पड़ता है। काव्य में भाषा—सम्बन्धी भूल को यह मानकर स्वीकार कर लिया जाता है कि लय एवं भाव की दृष्टि से व्याकरण पर कवि का ध्यान नहीं गया, किन्तु गद्य में लेखक को व्याकरणिक त्रृटि के लिए क्षमा नहीं किया जाता और उसे उसका दोष घोषित कर दिया जाता है।

आज ज्ञान की प्रत्येक शाखा में विषय का विस्तार होता जा रहा है। बीसवीं शताब्दी में ज्ञान का विकास बड़ी द्रुत गति से हो रहा है। साहित्य के क्षेत्र में भी कहानी, उपन्यास, निबन्ध, लेख आदि प्रचुर मात्रा में रचे जा रहे हैं। इन विषयों का माध्यम काव्य नहीं हो सकता। इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, विज्ञान आदि का माध्यम गद्य ही होता है। कहानी, नाटक, उपन्यास, लेख आदि भी गद्य में ही रचे जा रहे हैं। गद्य के ही माध्यम से हम अपने दैनिक जीवन में विचारों का आदान—प्रादान करते हैं। इस दृष्टि से गद्य का शिक्षण भाषा शिक्षण का आवश्यक अंग बन जाता है।

गद्य और पद्य में पहले किसका प्रादुर्भाव हुआ, यह कहना कठिन है। पंडित करुणापति त्रिपाठी का कथन इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं, "इस भाँति नर समाज ने पहले गद्य साहित्य का आविष्कार किया होगा, परन्तु गद्य साहित्य से उसकी पूर्ण पुष्टि न हो सकी। अतः प्रभावोत्पादकता और रसमणीयता की अभिवृद्धि करने के विचार से मनुष्य ने अपनी साहित्यिक अभिव्यक्ति में संगीत तत्व का सम्मिश्रण कर उसे 'कविता' नाम दिया। संगीत तत्व से अनुप्राणित साहित्य का यह रूप इतना लोकप्रिय हो गया कि इसके सामने गद्यात्मक आख्यायिका आदि का साहित्य गौण हो गया। फलतः आज हम संसार के सभी प्राचीन साहित्यों में पद्य की ही प्रचुरता पाते हैं।"

भामह ने काव्यालंकार में गद्य को "प्रकृत अनाकुल श्रव्य शब्दार्थं पदवृत्ति" कहा है। कुछ विचारक गद्य और पद्य की भाषा में कोई अन्तर नहीं मानते, किन्तु दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है। पद्य साधरणतः छन्दोबद्ध रचना होती है। कुछ विचारकों की दृष्टि में गद्य और पद्य का भेदक तत्व छन्द है। नई कविता छन्द से मुक्त है, किन्तु वहाँ भी लय, गति, प्रवाह, स्वराघात, संगीत, अर्थ की लय, अनुभूति आदि तो विद्यमान रहते ही हैं।

प्रसिद्ध समालोचक डी० डब्ल्यू० रेनी का कहना है कि कविता बौद्धिक सृजन करती है, गद्य बौद्धिक निर्माण करता है। हरबर्ट रीड के अनुसार भी कविता सृजनात्मक अभिव्यक्ति है और गद्य निर्माणात्मक अभिव्यक्ति है। सृजन नूतनता की उद्भावना है और निर्माण पहले प्राप्त वस्तुओं में व्यवस्था लाना है। भवन का नवशा तैयार करना सृजन है, ईट, चूना, गारा आदि को व्यवस्थित करना निर्माण।

10.3.2 गद्य शिक्षण के उद्देश्य

गद्य साहित्य की व्यापक विधा है जिसका समुचित ज्ञान बालक के चहुँमुखी विकास में सहायक है। गद्य की सभी शैलियों को सन्मुख रख उनके शिक्षण उद्देश्यों को सामान्य विशिष्ट वर्गों में रखा गया है। गद्य शिक्षण के इन वर्गों में द्रुत व व्यापक तथा गहन व सूक्ष्म अध्ययन सम्बन्धी उद्देश्य भी शामिल हैं जिनकी परिचर्चा ऊपर की जा चुकी है।

1. **सामान्य उद्देश्य**—गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इसकी महता में ही निहित हैं, लेकिन भाषा शिक्षण की दृष्टि से गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं—
 - ◆ गद्य शिक्षण के माध्यम से शिक्षण भाषा का सही व शुद्ध उच्चारण सिखाना।
 - ◆ उचित गति, विराम व हावभाव से मौखिक अभिव्यक्ति करना सिखाना।
 - ◆ विद्यार्थियों को सस्वर आदर्श वाचन करते हुए अर्थ ग्रहण करने के योग्य बनाना।
 - ◆ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन में निपुण करना।
 - ◆ गद्य के द्रुत व विस्तृत तथा गहन व सूक्ष्म अध्ययन का आधार मौनवाचन है। छात्रों में मौन वाचन कुशलता पैदा करना।
 - ◆ विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन में निपुण करना।
 - ◆ गद्य के द्रुत व विस्तृत तथा गहन व सूक्ष्म अध्ययन का आधार मौन वाचन है।
 - ◆ छात्रों में मौन वाचन की कुशलता पैदा करना।
 - ◆ गद्य शिक्षण द्वारा बालकों में स्वाध्याय की आदत विकसित करना।
 - ◆ विद्यार्थियों में नियमित रूप से विद्यालय में जाने की प्रेरणा पैदा करना।
 - ◆ गद्य शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों के शब्द भण्डार में निरन्तर वृद्धि करना।
 - ◆ छात्रों में सम्भाषण, वाद-विवाद तथा परिचर्चा की योग्यता विकसित करना।
 - ◆ गद्य शिक्षण द्वारा उनमें साहित्य की विभिन्न विधाओं व शैलियों को पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने की योग्यता विकसित करना।
 - ◆ विद्यार्थियों की कल्पना व निरीक्षण शक्तियों का विकास करना।
 - ◆ गद्य के माध्यम से छात्रों को लिपि का ज्ञान कराना तथा वर्तनी का सही ज्ञान प्रदान करना।
 - ◆ छात्रों को साहित्य के प्रति आकृष्ट करना।

- ◆ गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे कहानी, नाटक, घटना, वृतान्त आदि शिक्षाप्रद रचनाओं के माध्यम से छात्रों में चारित्रिक गुण पैदा करना।
 - ◆ गद्य शिक्षण द्वारा उन्हें मनोरजन के साहित्यिक साधनों से परिचित कराना।
 - ◆ उनमें समय का सदुप्रयोग करने की प्रवृत्ति जागृत करना।
 - ◆ विद्यार्थियों की रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियाँ विकसित करना।
 - ◆ छात्रों में समालोचना व समीक्षा की योग्यता उत्पन्न करना।
 - ◆ उन्हें देश की सभ्यता संस्कृति से परिचय कराना।
 - ◆ छात्रों में लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति की कुशलता पैदा करना तथा विचारों में क्रमबद्धता सिखाना।
 - ◆ उन्हें मुहावरे और लोकोक्तियों का अवसरानुसार प्रयोग सिखाना।
 - ◆ बालकों का सर्वोंगीण विकास करना।
 - ◆ छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना।
2. **विशिष्ट उद्देश्य** –किसी भी गद्य पाठ के विशिष्ट उद्देश्य पाठ में निहित मुख्य भाव विचार तथा कलात्मक विशेषता पर आधारित होते हैं। जैसे—
- ◆ छात्रों को गद्यकार के विचारों से अवगत कराना।
 - ◆ पाठ में निहित सन्देश अथवा शिक्षा की जानकारी देना।
 - ◆ छात्रों को लेख सम्बन्धी भाषायी तत्वों का ज्ञान देना।
 - ◆ लेखक की अन्य साहित्यिक रचना की जानकारी देना।

गद्य शिक्षण की विविध विधाओं के उद्देश्य उनके अनुसार ही होंगे, जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, रचना आदि के विशिष्ट उद्देश्य उनकी विषय— वस्तु पर आधारित होंगे। अतः किसी पाठ का विशिष्ट उद्देश्य जानने के लिए, उस पाठ का शिक्षक को गहन अध्ययन करना चाहिए जिससे ज्ञात हो सके कि यथा पाठ की पाठ्य वस्तु छात्रों के किन भावों व विचारों को जागृत कर सकती है तथा वह मानव जीवन के किस पहलू पर प्रकाश डालती है। उससे विद्यार्थियों में किन प्रवृत्तियों को जागृत किया जा सकता है?

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. गद्य शिक्षण क्या है
2. गद्य शिक्षण के उद्देश्य को स्पष्ट करो

10.3.3 गद्य शिक्षण की महत्ता

- ◆ गद्य द्वारा विभिन्न विषयों का ज्ञान—विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, गणित, दर्शन, भाषा, विज्ञान, कला, व्यवसाय आदि सभी विषयों का ज्ञान गद्य द्वारा ही संभव है, जो काव्य द्वारा नहीं दिया जा सकता।
- ◆ सामाजिक सांस्कृतिक व राष्ट्रीय गतिविधियों का ज्ञान—सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय क्रिया—कलाओं सम्बन्धी साहित्य गद्य में ही प्राप्त होता है। शैक्षणिक क्रिया—कलाप तो गद्य का ही प्रतिरूप है। कविता में ऐसी व्यापकता असंभव है। गद्य ने ही साहित्य को समाज का दर्पण बनाया है।
- ◆ ज्ञानोपार्जन का सशक्त साधन—गद्य ज्ञानोपार्जन का सशक्त साधन है। विषय सामग्री की जितनी व्यापकता व विविधता गद्य साहित्य में पाई जाती है उतनी पद्य साहित्य में नहीं। यहाँ तक कि साहित्यिक विधाओं की विभिन्न शैलियों का परिचय गद्य शिक्षण द्वारा ही संभव है।
- ◆ भाव व विचार प्रधान साहित्य का प्रतिनिधि—गद्य शिक्षण भाव व विचार प्रधान साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है। कविता में भाव प्रधान होते हैं लेकिन गद्य साहित्य में भाव विचार दोनों की प्रधानता रहती है। कहानी, नाटक, उपन्यास आदि में तो रसात्मकता होती ही है, इनके अतिरिक्त जीवनी, निबन्ध, वर्णन आदि में भी सरसता पाई जाती है।
- ◆ भाषा का परिष्कृत रूप—कविता शिक्षण में भाषायी तत्वों अथवा भाषा के व्याकरण सम्मत रूप का उल्लंघन पाया जाता है जबकि गद्य में इसके विपरीत भाषा के शुद्ध व परिष्कृत रूप की प्रमुखता पाई जाती है। व्याकरण सम्मत भाषा की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। भाषा का शुद्ध उच्चारण व लेखन गद्य शिक्षण द्वारा ही सम्भव होता है।
- ◆ मनोरंजन का सहज प्राप्य साधन—गद्य मनोरंजन का सुलभ व सस्ता साधन है। वर्णन, उपन्यास, नाटक, कहानी आदि जहाँ ज्ञानवर्धन करते हैं वहाँ इनके द्वारा सहज रूप में मनोरंजन हो जाता है। लिखने पढ़ने का सामान्य ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी इसे पढ़कर प्रसन्नचित रहता है। पुस्तकालयों ने गद्य को और भी अधिक सहज प्राप्य बना दिया है रेडियो, दूरदर्शन आदि प्रसारण उपकरणों के कार्यक्रमों का आधार ही गद्य साहित्य है जिससे अनपढ़ व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं।
- ◆ भाषा शिक्षण गद्य की महत्ता—भाषा विचार—विनिमय का सशक्त साधन है जिसका ज्ञान गद्य द्वारा ही संभव है। पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना भाषा के इन चार मुख्य कौशलों का ज्ञान गद्य द्वारा ही दिया जा सकता है। भाषा जिससे ज्ञान प्राप्ति व्यापक रूप से हो सकती है, गद्य द्वारा ही सिखाई जा सकती है। गद्य—शिक्षण द्वारा भाषा का शब्द भण्डार विकसित होता है। अतः भाषा व गद्य—शिक्षण एक दूसरे के पर्यायी माने जा सकते हैं।
- ◆ नैतिक मूल्यों का विकास—गद्य की विभिन्न विधाओं के पठन से विद्यार्थियों में चारित्रिक गुण विकसित होते हैं। अच्छी शिक्षाप्रद कहानियाँ उनमें नैतिक मूल्यों को पैदा करती हैं। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को

पंचतन्त्र की कहानियाँ सुनाने का उद्देश्य भी उनमें सच्चाई, इमानदारी, सद्भाव आदि पढ़कर अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। कविता का क्षेत्र गद्य की भाँति इतना विस्तृत नहीं है।

इस प्रकार गद्य शिक्षण की महता सर्वमान्य है। गद्य और पद्य में अन्तर की और जानकारी 'कविता शिक्षण' के पाठ में दी गई है।

10.3.4 गद्य शिक्षण की विधियाँ

- ◆ **अर्थ बोध विधि**— अर्थ बोध विधि द्वारा गद्य शिक्षण में अध्यापक स्वयं ही पाठ को पुस्तक द्वारा पढ़ता है तथा उसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बताता जाता है। कभी-कभी पाठ पढ़ने का कार्य विद्यार्थियों द्वारा कराया जाता है तथा अध्यापक कठिन शब्दों के अर्थ करता जाता है। इस विधि द्वारा अधिकतर छात्र निष्क्रिय हो पाठ सुनते रहते हैं। उनके सक्रिय योगदान के अभाव के कारण यह विधि अमनोवैज्ञानिक मानी जाती है। कठिन शब्दों का अर्थ बताना तो आवश्यक है लेकिन ऐसा कार्य छात्रों के पूर्ण सहयोग से किया जाना चाहिए। यह विधि गद्य शिक्षण के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं है।
- ◆ **आख्यान विधि**— अर्थ बोध विधि का ही विकसित रूप है। आख्याता स्वयं अपने मुख से सब बातें कहता है। शिक्षण प्रक्रिया में आख्यान से अभिप्राय है शिक्षक द्वारा गद्य पाठ की व्याख्या। इसमें न सिर्फ शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं बल्कि पूरे पाठ की विविध रूप से व्याख्या की जाती है। पाठ में आए प्रसंगों, घटनाओं आदि के स्पष्टीकरण के लिए विस्तृत व्याख्या की जाती है। आख्यान विधि में भी छात्रों की निष्क्रिय भूमिका है। लेकिन गद्य शिक्षण में इस विधि की अपनी विशेषता है। जब तक मुख्य तथ्यों, घटनाओं, प्रसंगों आदि की समुचित व्याख्या नहीं की जाएगी तब तक विषय वस्तु का सही ज्ञान नहीं हो सकता। भाषायी तत्त्वों की व्याख्या से ही व्याकरण का ठीक परिचय मिल सकता है। विद्यार्थियों के सहयोग से यह विधि उपयोगी सिद्ध हो सकती है।
- ◆ **प्रश्नोत्तर विधि**— अर्थ बोध और आख्यान विधि में छात्रों के सहयोग का अभाव रहा लेकिन प्रश्नोत्तर विधि द्वारा इस कमी को पूरा किया जा सकता है। गद्य पाठ से सम्बन्धित प्रश्नों का विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से सह-सम्बन्ध स्थापित कर उनमें स्वतन्त्र विचार शक्ति को विकसित किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए यह उपयोगी विधि है। शिक्षक को प्रश्न पूछने के सिद्धान्तों का परिपालन करते हुए इस विधि को अपनाना चाहिए जैसे प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए तथा विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रवृत्ति विकसित करने वाले हों। शिक्षक को छात्रों द्वारा आए उत्तरों के प्रति भी विशेष सतर्क रहना चाहिए कि वह भाषा, भाव तथा विचार की दृष्टि से पूर्ण हो। अध्यापक का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार विधि को रोचक बना सकता है।
- ◆ **विश्लेषण विधि**— अन्य विधि द्वारा यदि शब्दों के अर्थ स्पष्ट न हो तो विश्लेषण विधि अपनाई जा सकती है। विश्लेषण से अभिप्राय किसी पदार्थ के संयोजक तत्त्वों को पृथक करना अतः शब्द में विश्लेषण से तात्पर्य उसकी व्युत्पत्ति, तुलना, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि तथा समाप्त द्वारा उसका स्पष्टीकरण करने से है। शब्दों की व्युत्पत्ति, तुलना, उपसर्ग, प्रत्यय, सन्धि तथा समाप्त द्वारा उसका स्पष्टीकरण करने से है। शब्दों की व्युत्पत्ति किस धर्तु से हुई, जैसे विद्या शब्द विद् धर्तु से बना है। इसी प्रकार शब्दों की तुलना करके पर्याय शब्दों द्वारा

अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। उपसर्गों के भेद बताते हुए उनका अर्थ समझाते हुए यह स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार इनके साथ शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आता है। इसी तरह से सन्धि तथा समास से बने शब्दों के अर्थ परिवर्तित होते हैं। सन्धिच्छेद अथवा विग्रह द्वारा संयुक्त शब्दों का विश्लेषण करना चाहिए। विद्यार्थियों के मानसिक व कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए इस विधि का कहाँ तक उपयोग उचित है, इस बात का अध्यापक को विशेष ध्यान देना चाहिए।

- ◆ **उद्बोधन विधि**— ‘उद्बोधन’ शब्द का अर्थ है ज्ञान कराना, चेतना, याद दिलाना व जगाना। ऐसी क्रिया में विद्यार्थियों का सक्रिय सहयोग स्वाभाविक होगा जिससे यह विधि मनोवैज्ञानिक है। अध्यापक उद्बोधक की भूमिका निभाता है। वह शब्दार्थों का स्पष्टीकरण स्वयं न करके छात्रों से विभिन्न साधनों द्वारा उद्बोधित करता है। श्यामपट का प्रयोग अथवा पाठ्य सहायक सामग्री इस विधि में विशेष सहायक होती है। छात्र इसमें रुचि भी लेते हैं। अध्यापक प्रत्यक्ष प्रदर्शन द्वारा भी यह विधि अपना सकता है। जैसे संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि कराते हुए वस्तुओं एवं क्रियाओं का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कर अर्थ समझाया जा सकता है। चित्र मॉडल आदि दर्शाते हुए छात्रों से पाठ को विकसित किया जा सकता है। उद्बोधित किया अर्थ शीघ्र स्मरण हो जाता है। प्राथमिक कक्षाओं में यह विधि अधिक उपयोगी है।
- ◆ **संयुक्त विधि**— गद्य शिक्षण की इन विधियों को अध्यापक अपनी एवं पाठ की आवश्यकतानुसार पृथक पृथक एवं संयुक्त रूप से अपना सकता है। संयुक्त रूप से प्रयोग करके शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। अर्थबोध विधि की उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता भले ही उसमें छात्र निष्क्रिय रहते हैं। इस विधि को आवश्यकतानुसार अपनाना उचित है। कई पाठों में आख्यान विधि प्रसंगों, घटनाओं आदि की विस्तृत व्याख्या कर सकती है। इसी तरह विद्यार्थियों के सक्रिय योगदान के लिए प्रश्नोत्तर विधि सार्थक सिद्ध होती है। विश्लेषण विधि भाषायी तत्वों का स्पष्टीकरण करती है तथा उद्बोधन विधि विद्यार्थियों की विचार, कल्पना शक्ति आदि को प्रेरित करती है जिससे उनकी पाठ में निरन्तर रुचि बनी रहती है। अतः इन विधियों का संयुक्त रूप से प्रयोग ही उपयोगी है।

10.4 पद्य शिक्षण

पद्य अथवा पद्य क्या है इस विषय पर संसार के बड़े-बड़े कवियों, विचारकों, आलोचकों और आचार्यों ने अपनी-अपनी धारणा के अनुसार अपने मत व्यक्त किये हैं। वे सभी इतने अधिक तथा इतने विविध रूपों में हैं कि उन सबका न यहा उल्लेख हो सकता है और न प्रकरण में उनकी विशेष आवश्यकता ही है। फिर भी कविता का परिचय देते हुए शिक्षक को कभी इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। इसलिए यहां एक दो पाश्चात्य तथा एक दो भारतीय आचार्यों के विचारों का उल्लेख कर देना अनुचित न होगा। आंग्ल भाषा के प्रसिद्ध कवि कॉलरिज का कहना है शब्दों का उत्तम क्रम विधन गद्य है तो उत्तम शब्दों का उत्तम पद्य क्रम विधान पद्य, इसी प्रकार हड्सन ने पद्य के शब्द सौन्दर्य से कुछ आगे जाकर उसे ‘कल्पना और मनोवेगों द्वारा जीवन की व्याख्या’ कहा है। वस्तुत हमें भी काव्य को ‘मनोवेगमय और संगीतमय भाषा में मानव अन्तः करण की मूर्ति और कलात्मक व्यंजना’ कहना अच्छा लगता है। पद्य को केवल ‘पद्यमय निबन्ध’ या ‘संगीतमय विचार’ ही कहना पर्याप्त नहीं, क्योंकि पद्य का प्रभाव-क्षेत्र

विशाल है, गहन है। यह मानव की सम्पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। उसकी बुद्धि को ही नहीं उसकी भावना को, कल्पना को भी प्रभावित करती है। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि कविता केवल मानव की भावनाओं और चेतन मन तक ही नहीं अपितु उसके अचेतन मन तक अपना प्रभाव डालती है।

10.4.1 पद्य शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा

कविता 'क', 'वि', 'ता' का योग है अर्थात् कल्पना, विचार एवं ताल जिस रचना में हैं वह कविता है। यह मन के भावों को व्यक्त करने का उत्तम साधन है जिसमें हम अपनी कल्पना शक्ति व रस छन्द व अलंकार युक्त भाषा का प्रयोग करते हैं। कविता वह संगीतमय विचार है जिसमें जीवन का प्रतिबिम्ब है। यह सर्वोत्तम शब्द योजना है जिसमें भाव, रस, अलंकार, छन्द, गुण आदि विविध परिचायक तत्व हैं। वस्तुतः कविता इन सभी तत्वों की समष्टि है। परन्तु आधुनिक कविता इन तत्वों से रहित है। आज की कविता हृदय के संवेगों व भावों से युक्त एक आत्मीय विचार है, भले ही इसमें छंद, अलंकार आदि की ओर ध्यान नहीं दिया जाता, तब भी वह कविता रहती है। काव्यत्व कविता के द्वारा प्रस्तुत भावानुभूति पर टिका होता है, उसे प्रस्तुत करने की शैली पर कम।

कविता की सृष्टि तभी होती है जब मानव हृदय में अनुभूति की तीव्रता होती है और भावों का ऐसा आवेग जो फूट पड़ने को आतुर हो। यह भाव या विचार हमारे मन को छू जाता है। कविता का अभिव्यक्ति कौशल, छंद, तुक, वर्ण –प्रयोग, शब्द चयन, अलंकार आदि हैं। कल्पना और वर्णन शैली की विशेषता से कविता में विलक्षणता आती है।

कविता शिक्षण – कविता के तात्पर्य को स्पष्ट करने के लिए भिन्न भिन्न आचार्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, जो निम्नलिखित हैं—

(1) भारतीय दृष्टिकोण

- (i) ऐसे शब्द और अर्थ को पद्य कहते हैं जिसमें दोष न हों, अंधकार हों और कभी अलंकार न हो
- (ii) रसात्मक वाक्य को पद्य कहते हैं। —मम्मट
- (iii) रमणीय अर्थ के प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य कहते हैं। —जगन्नाथ
- (iv) हृदय की मुकिति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे पद्य कहते हैं। —रामचन्द्र शुक्ल

- (v) जल कर चीख उठा वह कवि था। —पंत

- (vi) कलात्मक रीति से सजी हुई भाषा जिसमें भावों का व्यंजन होता है। —श्यामसुन्दर दास

(2) पाश्चात्य दृष्टिकोण

- (i) पद्य छन्दोमय रचना है। —जानसन
- (ii) पद्य को सरल, ऐन्ड्रिक एवं उत्तेजनापूर्ण माना है। —मिल्टन

- (iii) संगीतमय विचार को ही कविता माना है। —कालाईल
- (iv) कविता मूल में जीवन की आलोचना है। —मैथ्यू आर्नल्ड
- (v) कविता और शान्ति के समय स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों
का स्वच्छन्द प्रवाह माना है। — वर्ड्सवर्थ
- (vi) कविता उत्तमोत्तम शब्दों को उत्तमोत्तम क्रम विधान है। —कॉलरिज

10.4.2 पद्य शिक्षण के उद्देश्य

पद्य रागमय होती है, उसमें हमारे हृदय को स्पन्दित करने की शक्ति होती है। इसलिए उसके द्वारा बच्चों की बोध, कल्पना एवं अभिव्यक्ति शक्ति के विकास के साथ-साथ उन्हें भावानुभूति, आनन्दानुभूति करानी चाहिए। कविता के शिक्षण से बच्चों में कविता और साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है, उनकी चित्तवृत्तियों का परिमाजन होता है और वे उच्च आदर्शों को ग्रहण करते हैं। कविता शिक्षण के उद्देश्य को निम्नलिखित क्रम में अभिव्यक्त कर सकते हैं :—

1. सामान्य उद्देश्य—विभिन्न शिक्षा एवं भाषा शास्त्रियों ने इन उद्देश्यों को इस प्रकार स्पष्ट किया है :—
 - ◆ छात्रों को स्वर प्रवाह तथा भावों के अनुसार कविता-पाठ करने के योग्य बनाना।
 - ◆ काव्य सौन्दर्य से प्रभावित करके छात्रों को कविता के प्रति आकर्षित करना कविता के प्रति रुचि बढ़ाना।
 - ◆ छात्रों में सौन्दर्यानुभूति की भावना को जागृत करना और उस भावना की अन्तर वृद्धि करना।
 - ◆ छात्रों की सात्त्विक भावनाओं का उद्बोधन करना।
 - ◆ उनकी की रागात्मक प्रवृत्तियों का संशोधन करना।
 - ◆ छात्रों के उदात्त कार्यों का संवर्द्धन करना तथा उनके दृष्टिमनोभावों का परिष्कार करना।
 - ◆ छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करना।
 - ◆ छात्रों में काव्य सौन्दर्य को परखने की क्षमता का विकास करना।
 - ◆ उनको पूर्ण मनोयोग से सुनने और सुनकर अर्थ ग्रहण एवं भावानुभूति करने के योग्य बनाना।
 - ◆ छात्रों में भावानुसार उचित गति एवं आरोह-अवरोह से पठन करने एवं उसका भाव ग्रहण करते हुए रसानुभूति करने के योग्य बनाना।
 - ◆ छात्रों को कविता की सुन्दर समीक्षा करने और उसे अपनी भाषा में प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करने योग्य बनाना।

- ◆ उनको भिन्न-भिन्न काव्य शैलियों से परिचित कराना।
- ◆ छात्रों का चरित्रिक विकास करना।
- ◆ कवि के भावों एवं अनुभूतियों के साथ छात्रों का तादात्म्य स्थापित करना।
- ◆ छात्रों को शब्द योजना, शब्द शक्तियों, छन्दों, अलंकारों, विधनों और विभिन्न रसों की अनुभूति एवं शास्त्रीय ज्ञान कराना।
- ◆ उनकी सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना।
- ◆ छात्रों का काव्य रचना की प्रेरणा प्रदान करना।

2. विशिष्ट उद्देश्य

- ◆ छात्रों में कविता विशेष के भावों को समझने की क्षमता प्रदान करना।
- ◆ कवि के विशेष विचार या शैली का आनन्द प्राप्त करना।
- ◆ किसी कवि की काव्यगत विशेषता को समझने की योग्यता उत्पन्न करना।
- ◆ कवि के सन्देश को छात्रों तक पहुंचाना।
- ◆ छात्रों को काव्यगत विषय से परिचित कराकर उनमें सौन्दर्यनुभूति की भावना का विकास करना।
- ◆ कविता विशेष में जीवन सम्बन्धी की गई आलोचना से अवगत करना।
- ◆ छात्रों को कवि विशेष के साहित्य को पढ़ने के लिए प्रेरित करना।
- ◆ कविता की किसी विशेष शैली अथवा वाणी शैली से परिचित करना तथा गीतकाव्य की शैली, वर्णनात्मक शैली, स्वच्छन्द शैली, आदि।

मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि पद्य साहित्य का एक रूप है जो कि अनेक अंशों में गद्य से भिन्न होता है। पाठशालीय शिक्षा के प्रारम्भिक स्तर पर काव्य की रसपरक या भावपरक व्याख्या की अपेक्षा शब्दार्थपरक स्थूल व्याख्या ही उन्हें समझानी चाहिए। फिर जब उन्हें कविता का आस्वादन होने लगे वे कुछ आगे बढ़ जायें तो फिर उन्हें कुछ और व्याख्याएं भी प्रसंग और आवश्यकता के अनुसार बताई जा सकती हैं। किन्तु छात्रों के लिए आवश्यक न होते हुए भी शिक्षक के लिए कविता के स्वरूप, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण-विधान आदि का ज्ञान होना आवश्यक है।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. पद्य शिक्षण क्या है?
2. पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन-कौन से हैं।

10.4.3 पद्य शिक्षण की प्रणालियां

अन्य विषयों की शिक्षा के समान ही शिक्षा-शास्त्रियों ने पद्य-शिक्षण के लिए भी अनेक विधियों की सिफारिश की है। किस स्तर पर तथा किन परिस्थितियों में कौन सी प्रणाली उपयुक्त होगी, इस बात का प्रयोग करने से पूर्व उसे उन सभी विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है जोकि कविता शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी गई है। नीचे इन सभी विधियों पर हम संक्षेप में विचार कर रहे हैं। योग्य अध्यापक को स्वयं ही देख लेना चाहिए कि वहां किस विधि से अधिक लाभ हो सकता है। अनुभवी अध्यापक एक साथ ही एक से अधिक विधियों का भी सफलतापूर्वक उपयोग करके वांछित लाभ उठा सकता है। सामान्यता निम्नलिखित विधियां अधिक प्रचलित हैं :–

- ◆ **गीत प्रणाली**—बच्चे जन्म से ही संगीत प्रिय होते हैं। संगीत प्रधान बाल—गीत शिशुओं को बहुत प्रभावित करते हैं। गीत, खेल और मनोविनोद के साधन बनते हैं। ऐसे बाल गीतों को पढ़ने की सर्वोत्तम प्रणाली गीत प्रणाली है। इस प्रणाली में सर्वप्रथम अध्यापक पहले ताल के साथ गीत का सस्वर वाचन करता है। फिर कक्षा के बच्चों को खड़ा किया जाता है। अध्यापक और बच्चे हाथ से ताल देते हैं और ताल के साथ साथ गीत को सरल राग में गाते हैं।

यह प्रणाली केवल छोटी कक्षाओं में प्रयोग की जा सकती है। शिशु शिक्षा में इस विशेष स्थान प्राप्त है फरोबेल ने इस प्रणाली के आधार पर बच्चों के लिए अनेक गीतों की रचना की थी। इस प्रणाली का सबसे बड़ा गुण यह है कि गीत गाने से बच्चों के हृदय झंकृत होते हैं और वे गीतों को आसानी से याद कर लेते हैं। गीत सरल एवं आकर्षक होना चाहिए। ऐसे गीत को बच्चे खेल-खेल में ही याद कर लेते हैं। उदाहरणार्थ :–

लाठी लेकर भालू आया, छम छम छम, छम छम छम ।

ढोल बजाता मेंढ़क आया, ढम ढम ढम, ढम ढम ढम ।

- ◆ **अभिनय प्रणाली**—बाल गीतों में कुछ प्रधान होते हैं, उन्हें अभिनय प्रणाली से पढ़ाया जाना चाहिए। अभिनय सामूहिक भी हो सकता है और वैयक्तिक भी। वैयक्तिक अभिनय के लिए कविता को भिन्न भिन्न पंक्तियों को बच्चों में बांटा जाता है। एक बालक एक पंक्ति को अभिनय के साथ पढ़ता है और उसके उपरांत दूसरा बालक उसे प्रयुक्त अभिनय के साथ बोलता है।

- एक एक यदि पेड़ लगाओ तो तुम बाग बना दोगे।
(एक छात्र) (दूसरा छात्र)
- सामूहिक अभिनय –उदाहरणार्थ
मोर है मेरा नाम रे, जंगल है मेरा गांव रे।
वर्षा में खुश होकर नाचूँ मैं बादल की छांव रे।

मोर के वेश में अभिनय करते हुए बालक यह गीत गायेंगे। यह प्रणाली भी छोटी कक्षाओं के लिए बड़ी उपयोगी है। इस प्रणाली का सफल प्रयोग अध्यापक पर निर्भर करता है। इस प्रणाली का आगिक अभिनय तक ही सीमित रखा जाए तो उचित रहेगा।

- ◆ **अर्थ-बोध प्रणाली**—आजकल स्कूलों में प्रायः यही प्रणाली प्रचलित है। इस प्रणाली में अध्यापक या तो स्वयं ही काव्य पाठ करता है अथवा कुछ छात्रों द्वारा करवा लेता है और फिर उसका अर्थ बताता चलता है। कविता में शब्दार्थ और सरल भाषा में अनुवाद ही पर्याप्त समझा जाता है। इस प्रकार कविता शिक्षण गद्य जैसा नीरस एवं यंत्रावत् हो जाता है। इस प्रणाली में छात्र निष्क्रिय श्रोता के रूप में रहते हैं। वे कविता के अर्थ समझने में तो सफल होते हैं लेकिन भाव समझने का अवसर उन्हें नहीं मिलता। यह प्रणाली सर्वथा दोषपूर्ण है। इससे निश्चय ही कविता की आत्मा का हनन होता है। छात्र कविता का रसास्वादन नहीं कर पाते। पण्डित सीता राम चतुर्वेदी ने इस वृति को कविता का गला धोंट देना कहा है। इस प्रकार कविता शिक्षण का सारा उद्देश्य निष्फल हो जाता है। इस प्रणाली के अधिक प्रचलित होने के कारणों का पता लगाना चाहिए और पाठ्यक्रम में कविताओं का चयन काव्य सौन्दर्य और काव्य रखते हुए कविताओं का संकलन किया जाए।
 - ◆ **व्याख्या प्रणाली**—इस प्रणाली के अधिक प्रचलित होने के कारणों का पता लगाना चाहिए और पाठ्यक्रम में कविताओं का चयन काव्य सौन्दर्य और काव्य रखते हुए कविताओं का संकलन किया जाये। यह प्रणाली सर्वोत्तम प्रणाली मानी गई है। प्रारम्भिक कक्षाओं को छोड़कर माध्यमिक तथा उच्च कक्षाओं में इसी प्रणाली का अपनाना चाहिए। व्याख्या प्रणाली में अध्यापक अर्थ के साथ प्रासंगिक कक्षाओं की चर्चा करता चलता है। इसके अतिरिक्त छन्द, रस और अलंकारों का स्पष्टीकरण भी करता है। कविता के दार्शनिक पक्ष को भी स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है। कविता पढ़ाने में इस विधि का प्रयोग ऊँची कक्षाओं में ही करना चाहिए। व्याख्या करते समय शिक्षक को छात्रों की मानसिक अवस्था, कक्षा स्तर, रुचि और बौद्धिक विकास एवं ग्रहण करने की क्षमता को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। यहा इस बात की भी शंका रहती है कि छात्र प्रायः निष्क्रिय रहते हैं और अध्यापक ही अधिक काम करता है। इसलिए उचित होगा यदि अध्यापक यह व्याख्या स्वयं न करके छात्रों की सहायता से करे। कुछ विद्वानों ने व्याख्या प्रणाली के तीन उपभेद बताये हैं:—
- (i) **व्यास प्रणाली**—यह व्याख्या प्रणाली का ही विस्तृत रूप है। इसका नामकरण कथावाचक व्यासों को ध्यान में रखकर किया गया है। व्यास लोग अपनी कथा को रोचक बनाने के लिए तथा अर्थ एवं भाव को स्पष्ट करने के लिए भाषा और शैली का विशद विश्लेषण करते हैं। प्रसंगानुसार अनेक अन्तर्कथाओं का विवरण प्रस्तुत करते हैं। उदाहरण तथा दृष्टांत देकर कवि के दार्शनिक सिद्धान्तों का स्पष्टीकरण भी करते हैं। इस विधि के अनुरूप अध्यापक भी यदि इसी प्रकार एक एक पद की 'बाल की खाल उतारते हुए' कविता की विस्तृत व्याख्या करे तो कविता पाठ का उद्देश्य सफल हो जाता है परन्तु अध्यापक के पास इतना समय कहा। यह प्रणाली उच्च कक्षाओं में ही अपनानी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर भी इसका सीमित प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अध्यापक को इस ओर बहुत सतर्क रहना होगा, कहीं शिक्षण रोचक होने के स्थान पर कठिन न हो जाए।

(ii) **तुलना प्रणाली**— यह प्रणाली भी व्याख्या प्रणाली का ही रूप है। इसमें अध्यापक पाठ्य कविता की तुलना उसी भाव की अन्य कविताओं से करता है। तुलना में समानता और असमानता दोनों ही पक्षों पर प्रकाश डाला जाता है। इस प्रणाली का अनुसरण वही अध्यापक कर सकता है जिसने विस्तृत अध्ययन किया हो, जिसे समान भाषा, भाव एवं शैली की तत्सम्बन्धी अनेक पद्य रचनाएं कण्ठस्थ हों, और जिसका दृष्टिकोण निरपेक्ष हो। कविता में तुलना प्रणाली का प्रयोग चार विधियों से किया जा सकता है, यथा—

(a) समभाषा कवि तुलना प्रणाली— जहां अपनी ही हिन्दी भाषा के अन्य कवियों की रचनाओं की समानान्तर कविताओं को प्रस्तुत किया जाए, जैसे :—

- महादेवी जी की 'रश्मि' शीर्षक कविता – 'चुभते ही तेरा अरुण बान
- बहते निर्झर फूट-फूट मधु निर्झर के सजल गान' के लिए प्रसाद जी के—
उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई।

उधर पराजित काल रात्रि भी, जल में अन्तर्निहित हुई। — कामायनी

(b) भिन्न भाषा कवि तुलना प्रणाली— इस प्रणाली के अनुसार विभिन्न भाषाओं के कवियों की कविताएं समानान्तर रूप से प्रस्तुत की जा सकती हैं, जैसे—

- 'नारी तुम केवल श्रद्धा हो' —प्रसाद
- 'अबला जीवन हाय, तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी'—गुप्त
- 'मुक्त करो नारी को मानव' —पंत

(c) भाव तुलना प्रणाली— इसमें एक ही भाव को लेकर लिखी गई विभिन्न भाषाओं के कवियों की रचनाओं को प्रस्तुत किया जाता है।

(d) एक ही कविता की एक भाव वाली विभिन्न कविताओं की तुलना कभी कभी एक ही कवि एक ही प्रसंग को लेकर अपने काव्य में उसे विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत करता है। तुलसीदास जी ने केवट के प्रसंग को 'वरवै रामायण' 'कवितावलीद्व' तथा 'रामचरित मानस' में विभिन्न प्रकार से वर्णित किया है।

(iii) समीक्षा प्रणाली— इस प्रणाली में काव्य के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ को आंका जाता है। इसके अन्तर्गत अध्ययन का अधिक भार छात्रों पर रहता है। यह प्रणाली समीक्षा सिद्धान्तों का व्यावहारिक उपयोग करती है। उसमें पद्य रचना की भाषा, भाव, रस, अलंकार आदि पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है इन सब क्रियाओं में अध्यापक केवल सहायक का कार्य करता है। यह प्रणाली ऊँची कक्षाओं में ही प्रयोग की जा सकती है। जबकि छात्रों का मानसिक विकास हो चुका होता है और उन्हें समीक्षा के सिद्धान्त समझने और उस कसौटी पर काव्य रचनाओं को परखने की शक्ति आ जाती है। इस प्रणाली में मूलतः तीन बातों की समीक्षा की जाती है :—

- (a) भाषा की समीक्षा
- (b) काव्यगत भावों की समीक्षा तथा
- (c) कविता पर पढ़ने वाले प्रभावों की समीक्षा।

◆ प्रश्नोत्तर प्रणाली—इस विधि में सम्पूर्ण पाठ का प्रश्नोत्तर किया जाता है और उसे प्रश्नोत्तर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। यह प्रणाली वास्तव में गद्य पढ़ाने की प्रणाली है परन्तु पद्य शिक्षण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। पद्य को खण्डों में विभाजित करके उनका अर्थ स्पष्ट किया जाता है। यह प्रणाली वर्णनात्मक या कथात्मक प्रकार की कविताओं के लिए विशेष उपयोगी है। जैसे ऐतिहासिक काव्य, महाकाव्य आदि। अध्यापक भावपूर्ण शैली में पढ़ाता जाए और बीच-बीच में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछता जाए और आगे बढ़ता जाए। प्रश्नों द्वारा ही आवश्यक स्थलों की व्याख्या हो जायेगी। लम्बे-चौडे पद्यबद्ध वर्णन के लिए यही प्रणाली लाभदायक एवं उपयोगी है। एक बात ध्यान में अवश्य रखनी चाहिए और वह है— कविता की पूर्णता का सदैव ध्यान रखना। बीच बीच में सम्पूर्ण कविता का पठन इस ओर सहायक होगा। ऐसा करने से कक्षा में काव्यमय वातावरण भी बना रहता है।

उपर्युक्त सभी प्रणालियों का विवेचन हो चुका है। अध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों की मानसिक अवस्था और कविता के विषय के अनुकूल उपयोगी प्रणाली का अवलम्बन करें। प्रत्येक प्रणाली का अपना अपना विशेष स्थान है, जैसे प्रारम्भिक कक्षाओं में तीन नाट्य प्रणाली, पद्यात्मक वर्णन, खण्डात्मक प्रणाली, भाव प्रधान कविताओं में व्याख्या प्रणाली, कभी कभी तुलनात्मक जांच पैदा करने के लिए तुलनात्मक प्रणाली और महाविद्यालय की कक्षाओं के लिए व्यास प्रणाली ओर समीक्षा प्रणाली।

अभ्यास के लिए प्रश्न

1. पद्य शिक्षण की प्रणालियों की व्याख्या कीजिए

10.3.4 पद्य में अभिरुचि बढ़ाने के साधन

कविता मनोरंजन और मनोभावों का परिष्कार एक साथ करती है। इसलिए कविता के प्रति आजीवन प्रेम बना रहना चाहिए। एक भाषा विज्ञानी यदि कक्षा में कविता का अध्यापन ठीक ढंग से हुआ है तो विद्यार्थी अवश्य कविता में रुचि लेंगे। परन्तु फिर भी कुछ अन्य साधनों के द्वारा छात्रों में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है और कविता के प्रति उनके प्रेम को स्थायी बनाया जा सकता है। इनमें से कुछ प्रमुख साधन इस प्रकार हैं:-

- ◆ प्रभावशाली पठन—अध्यापक को कविता पठन की कला में पूर्ण निपुण होना चाहिए। उसका स्तर (कण्ठ) भी कविता पठन के उपयुक्त हो तो सोने में सुहागा है। सुन्दर वाचन से बच्चे काव्यमय वातावरण में विचरण करने लगते हैं और काव्य के प्रति उनमें अभिरुचि जागृत होती है।
- ◆ कविता को कण्ठस्थ करना—अध्यापकों को चाहिए कि वे छात्रों को कवितायें कण्ठस्थ करने के लिए प्रेरित करें। बचपन में कण्ठस्थ की गई सुन्दर कविताएं आजीवन याद रहती हैं और आनन्द वृद्धि का साधन होती है। छात्रों को आवश्यक प्रोत्साहन देना चाहिए।

- ◆ **कविता संग्रह** – बच्चों को अच्छी, उपयोगी एवं आकर्षक कविताओं के संग्रह के लिए प्रेरणा देनी चाहिए। कविता को कण्ठस्थ करने के साथ-साथ संग्रह की यह प्रवृत्ति की कविता के प्रति रुचि को बनाये रखती है।
- ◆ **अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता**–आजकल स्कूलों में अन्त्याक्षरी प्रतियोगिता बहुत प्रसिद्ध है। कण्ठस्थ की हुई कविताओं का इस खेल द्वारा सुन्दर प्रयोग किया जा सकता है। इस खेल में कक्षा को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहले दल का कोई सदस्य किसी कविता या पद का वाचन करता है। वाचन समाप्त हो जाने पर दूसरे दल का कोई सदस्य ऐसी कविता पढ़ता है। जिसका पहला अक्षर पूर्व पठित कविता का अन्तिम अक्षर होता है। इस प्रकार दोनों वर्गों के छात्र बराबर कविता पढ़ते चलते हैं। किसी समय यदि कोई दल किसी अक्षर विशेष से कविता सुनाने में अमर्सर्थ होता है तब दूसरे दल वाले उसी अक्षर से आरम्भ होने वाली कविता सुनाकर विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि छात्र बिना प्रयास के ही कविताएं याद करने में उत्साह प्रकट करते हैं। सभी छात्रों को इसमें भाग लेने के लिए अवसर मिलना चाहिए।
- ◆ **सुभाषित प्रतियोगिता**– यह अन्त्याक्षरी का ही सुगम परन्तु आवश्यक रूप है। इस प्रतियोगिता में छात्र प्रसिद्ध कवियों की सुन्दर कविताओं का अभिनय पूर्वक सुनाते हैं। सुभाषित प्रतियोगिता एक ही विद्यालय की भिन्न भिन्न विद्यालयों के छात्रों में करायी जा सकती है।
- ◆ **समस्या पूर्ति**–यह प्रतियोगिता बड़ी पुरानी है। समस्या पूर्ति में कवियों को अथवा छात्रों का एक समस्या दे दी जाती है। वे उस समस्या पर कविता बना कर प्रभावशाली ढंग से पढ़ते हैं। कभी कभी छात्रों को कविता की एक एक पंक्ति लिख कर दी जा सकती है और उन्हें दूसरी पंक्ति लिखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आज भी पाठशालाओं में समस्या –पूर्ति को फिर से स्थान देकर हम विद्यार्थियों में काव्य के प्रति प्रेम बढ़ा सकते हैं।
- ◆ **कवि सम्मेलन** –कवि सम्मेलनों के आयोजन भी कविता के प्रति अभिरुचि जागृत करने में सफल होते हैं। कविता सम्मेलन अनेक स्तरों पर किए जा सकते हैं। विद्यालय, नगर विशेष, जिला स्तर अथवा प्रांत स्तर पर प्रसिद्ध कवियों को आमंत्रित किया जा सकता है। छात्रों को कवियों का परिचय प्राप्त होता है और कवि के मुख से कविता सुनकर उन्हें अधिक आनन्द तथा प्रेरणा की प्राप्ति होती है।
- ◆ **कवि जयन्ति**–विद्यालयों में प्रमुख कवियों के जन्म दिवसों पर उत्सव मनाये जाने चाहिए। इन अवसरों पर उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके साहित्य से बच्चों को परिचय प्राप्त करना चाहिए।
- ◆ **कवि दरबार** – कवि दरबार के माध्यम से छात्र किसी युग विशेष के कवियों की वेश-भूषा में सुसज्जित होकर भावभंगिमा और अभिनय के साथ उनकी रचनाओं को पढ़कर सुनाते हैं। इस साधन से बच्चे उस युग विशेष के कवियों की रचनायें पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाते हैं।
- ◆ **कवि समादर**–समय–समय पर किसी विष्यात कवि को विद्यालय में बुलाकर उसका समादर किया जाना चाहिए। ऐसे अवसर पर उस कवि की रचनायें भी सुनी जा सकती हैं। कई बार आकाशवाणी द्वारा भी इसका आयोजन किया जाता है।

- ◆ कवि गोष्ठी— विद्यालय में साहित्य –परिषदों की स्थापना करनी चाहिए। इसके द्वारा समय— समय पर कवि—गोष्ठियों का आयोजन किया जा सकता है। इसमें छात्र कवियों की जीवनी एवं उनकी कविताओं की विशेषता का वर्णन करते हैं। छात्रों को स्वयं रचित कवितायें सुनाने के अवसर भी मिलते रहने चाहिए।
- ◆ अध्यापक का दायित्व—कविता शिक्षण में सब से बड़ा दायित्व अध्यापक का है। उसे प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना ही एक कला है। अध्यापक को इस कला में प्रवीण होना चाहिए। छात्रों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। और वे स्वयं ही इस ओर आकृष्ट होते चले जाते हैं।

10.5 निबन्ध लेखन

निबन्ध लेखन रचना शिक्षण की महत्वपूर्ण विधा है। निबन्ध ऐसी स्वतन्त्र रचना को कहते हैं जिसमें सीमित समय में हम अपने विचारों को सुसंबद्ध रीति से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करते हैं। यत्र तत्र उद्धरणों सूक्ष्मियों, काव्य पंक्तियों आदि का प्रयोग करने से निबन्ध लेखन में लालित्य आ जाता है। निबन्ध का अर्थ है बँधा हुआ। विचारों को बँध कर लिखने को निबंध कहते हैं।

निबंध के तीन अंग होते हैं :-

- क) आरम्भ
- ख) मध्य भाग
- ग) अंत

आरम्भ को भूमिका या प्रस्तावना कहते हैं। आरम्भ जितना प्रभावशाली और आकर्षक होगा, निबंध उतना ही अच्छा बन पड़ेगा।

मध्य भाग में विषयवस्तु का अनेक अनुच्छेदों में प्रतिपादन किया जाता है।

अंत को उपसंहार या निष्कर्ष कहते हैं। इसमें निबंध का समापन इस रूप में किया जाता है कि लेखक सारी वस्तु को समेटकर अपनी प्रस्तुति का पाठक पर गहरा प्रभाव छोड़ सके।

10.5.1 निबंध के प्रकार

सामान्यता निबन्ध के चार प्रकार होते हैं — विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक, भावात्मक। विवरणात्मक निबन्ध में घटनाओं, यात्राओं संस्मरणों आदि का विवरण होता है। दूसरी कोटि वर्णनात्मक निबंधों की है। इसमें नगर, दृश्यों, ऋतुओं पर्वों का वर्णन किया जाता है। विचारात्मक निबंधों में विचारों की प्रधानता होती है। ऐसे निबंधों में विषय प्रतिपादन के लिए तर्क देना पड़ता है। जैसे — दूरदर्शन के हानि-लाभ, चलचित्र का समाज पर प्रभाव विचारात्मक निबंध हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के 'क्रोध' 'करुणा' आदि भी इसी कोटि के निबंध हैं। चौथे प्रकार के निबंध भावात्मक निबंध होते हैं। इन निबंधों में विचार और तर्क की अपेक्षा तीव्र अनुभूति या आत्माभिव्यक्ति और

प्रतिक्रिया की प्रधानता होती है। इनकी भाषा अधिकाधिक, मर्मस्पर्शी, काव्यात्मक, लालित्यपूर्ण तथा प्रवाहमयी होती है। इन्हें ललित निबंध भी कहा जाता है।

10.5.2 निबंध शिक्षण की विधियाँ

प्रत्येक स्तर के छात्रों को निबंध की शिक्षा एक विधि से देनी संभव नहीं है। अतः निबंध की शिक्षा अनेक विधियों से दी जा सकती है :—

- क) देखो और रचो विधि
- ख) प्रश्नोत्तर विधि
- ग) सूत्र विधि
- घ) अनुकरण विधि
- ङ) तर्क या वाद—विवाद प्रणाली
- च) स्वाध्याय और मंत्रणा प्रणाली
- छ) प्रवचन प्रणाली
- ज) रूपरेखा प्रणाली
- झ) समीक्षा विधि

10.5.3 निबंध रचना शिक्षण की प्रक्रिया

निबंध रचना शिक्षण की प्रक्रिया का सर्वप्रथम सोपान है — विषय का चयन। विषय का चुनाव, यथासंभव शिक्षार्थियों की सहायता से किया जाना चाहिए। निबंध का विषय शिक्षार्थियों की ज्ञान—सीमा रुचि और उनके दैनिक जीवन के अनुभवों से संबंधित होना चाहिए। विषय के चयन के पश्चात् छात्रों को उस विषय पर विचार करने के लिए कुछ समय देना चाहिए। कक्षा में निबंध के संबंध में परिचर्चा कराएं। उसके बाद विषयवस्तु का विस्तार विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से किया जाए। विचार बिन्दु का विस्तार एक—एक अनुच्छेद में क्रमबद्ध रीति से करते हुए निबंध । का कलेवर विकसित करें। विषय का प्रतिपादन तर्कपूर्ण ढंग से शुद्ध और प्रांजल भाषा में हो। निबंध को रोचक सजीव और प्रामाणिक बनाने के लिए तथ्यों, उदाहरणों और विविध उद्धरणों का समावेश किया जाए।

शिक्षक छात्रों की सहायता के लिए श्यामपट्ट पर विषयवस्तु को रूपरेखा के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। रूपरेखा लेखन का मुख्य उद्देश्य विषय—सामग्री के विकास को क्रमबद्ध और सुसंबद्ध रूप में प्रस्तुत करने में छात्रों की सहायता करना है। रूपरेखा निर्माण के पश्चात् विद्यार्थियों को निबंध लेखन का निर्देश देना चाहिए। संशोधन कार्य अध्यापक द्वारा, छात्रों द्वारा, परस्पर विनिमय द्वारा तथा सामान्य त्रुटियों को श्यामपट्ट पर लिखकर सामूहिक रीति से कराया जा सकता है।

10.6 निष्कर्ष

इस पाठ में हमने सीखा कि विभिन्न स्तरों पर साहित्य की विभिन्न विधाओं के शिक्षण की विधियां अलग हैं। माध्यमिक स्तर पर छात्रों को गद्य व्याख्या विधि और प्रश्नोत्तर विधि से पढ़ाया जा सकता है वहीं उच्च स्तर पर छात्रों को गद्य पढ़ाने के लिए समीक्षा विधि उपयोगी विधि मानी जाती है।

प्राथमिक स्तर पर कविता को गीत प्रणाली और अभिनय प्रणाली द्वारा सफल ढंग से पढ़ाया जा सकता है। उच्च कक्षाओं के लिए कविता शिक्षण तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली और प्रश्नोत्तर प्रणाली से उचित रूप से कराया जा सकता है।

10.7 आत्मजाँच और परीक्षण

1. गद्य शिक्षण की विभिन्न विधियाँ हैं :-

अर्थकथन विधि

व्याख्या विधि

प्रश्नोत्तर विधि

समीक्षा विधि

संयुक्त विधि

2. प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के लिए गीत विधि और अभिनय विधि उचित विधियाँ हैं।

10.8 उपयोगी पुस्तकें

कादियान सुरिन्द्र सिंह : हिन्दी शिक्षण, विनोद पब्लिकेशन, लुधियाना।

भाटिया नारंग : हिन्दी शिक्षण विधि, पंजाब किताबघर, जालन्धर।

भाई योगेन्द्र जीत : हिन्दी भाषा शिक्षण, विनोद पुस्तक, मंदिर आगरा।



हिन्दी अध्यापक

- 11.0 संरचना
- 11.1 परिचय
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 परिभाषा
- 11.4 हिन्दी अध्यापक के गुण
- 11.5 हिन्दी अध्यापक के कर्तव्य
- 11.6 वर्तमान स्वरूप
- 11.7 निष्कर्ष
- 11.8 आत्मचांज और परीक्षण
- 11.9 अध्ययन हेतु पुस्तकें

11.1. परिचय

भारतीय संस्कृति शिक्षा को सर्वोच्च स्थान पर रखने की पक्षधर है। उसे देवताओं से भी अधिक पूज्य माना गया है। तभी तो कहा गया है-

गुरु गोविन्द दोऊ खड़े काके लागो पाएं

बलिहारी तिस गुरु के जिन गोविन्द दियो मिलाए

अध्यापक अर्थात् गुरु की महिमा हमारे सन्त, मुनियों, सूफियों, कवियों और विचारकों ने भी गाई है। गुरु के बिना कोई रास्ता नहीं दिखाता। कहा भी गया है-

“गुरु बिना गत नहीं”

अर्थात् गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। गुरु शिष्य को लक्ष्य की ओर प्रेरित करता है। गुरु शिक्षण-प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा की समूची प्रक्रिया इसके गिर्द घूमती है। अध्यापक पाठ्यक्रम को बनाने में अपनी योग्यता प्रदर्शित करते हैं। शिक्षण में उपयोगी विधियों व शिक्षण साधनों

के चयन में संलग्न रहते हैं। राधाकृष्णन ने अध्यापक के विषय में कहा है, “समाज में अध्यापक का स्थान सशक्त एवं महत्वपूर्ण है। वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बौद्धिक परम्परायें एवं तकनीकी कौशल संचारित करने में केन्द्रीय भूमिका निभाता है और सभ्यता की ज्योति को प्रज्वलित रखने में सहायता प्रदान करता है।”

11.2. उद्देश्य

प्रिय विद्यार्थियो, इस पाठ के अध्ययन उपरान्त आप जान पाएंगे कि :-

1. हिन्दी अध्यापक के गुण कौन-कौन से होते हैं ?
 2. हिन्दी अध्यापक के कर्तव्य क्या हैं ?
 3. हिन्दी अध्यापक का वर्तमान स्वरूप क्या है ?
-

11.3. परिभाषा

रवीन्द्रनाथ टैगोर

“एक अध्यापक सच्चे अर्थ में कभी भी पढ़ा नहीं सकता यदि वह स्वयं आज भी पढ़ न रहा हो। एक दीपक दूसरे दीपक को प्रकाशमान नहीं कर सकता यदि वह अपनी लौ को जलते हुए नहीं देखता।”

11.4. हिन्दी अध्यापक के गुण

हिन्दी अध्यापक के गुणों को हम दो भागों में बांट सकते हैं-

1. सामान्य गुण
2. विशिष्ट गुण

1. सामान्य गुण

हिन्दी अध्यापक में निम्नलिखित सामान्य गुण होने चाहिए-

व्यक्तित्व

एक अच्छे अध्यापक को बनने में समय लगता है क्योंकि प्रशिक्षण के उपरान्त इस व्यवसाय में आ जाने पर वह अपना व्यक्तित्व एक झटके से नहीं चमका सकता। एक अध्यापक के व्यक्तित्व में बहुत से कारक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे-

- (1) वह शारीरिक स्वस्थ व चाल ढाल में चुस्त होना चाहिए।
- (2) उसकी तीव्र बुद्धि, अध्ययन की ओर रुचि, निरीक्षण, शक्ति, धैर्य एवं प्रसन्नता से परिपूर्ण होना चाहिए।
- (3) उसके व्यक्तित्व में नैतिकता, शिष्ट व्यवहार, शुद्ध आचरण होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यताएं

एक हिन्दी अध्यापक को प्रशिक्षित अध्यापक होना चाहिए। उसके लिए उसे शिक्षा में स्नातक (हिन्दी शिक्षण विषय) होना चाहिए। उसने स्नातक स्तर तक हिन्दी अवश्य पढ़ी हो। उसके बाद वह हिन्दी में एम. ए. भी हो सकता है।

अनुभव

एक अच्छा अध्यापक अनुभव द्वारा ही बना जा सकता है। सफल अध्यापक वही है जो तत्परता और जिज्ञासा से जन-जीवन तथा अध्यापन की अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त करता रहे।

व्यवहार कुशलता

एक अध्यापक का व्यवहार उसे समाज में लोकप्रिय बना देता है। उसे विद्यार्थियों अपने सहकर्मियों, अधिकारियों तथा अभिभावकों से व्यवहार करना पड़ता है। उसके व्यवहार में विनम्रता, शिष्टता, विनोदप्रियता तथा क्रियात्मकता के गुण होना चाहिए।

प्रशिक्षण

देश भर में हजारों शिक्षण संस्थान हैं जो शिक्षक बनने का प्रशिक्षण दे रही हैं। कुशल अध्यापक को प्रशिक्षित होना चाहिए। प्रशिक्षण इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अध्यापक ने सजीव व्यक्तियों (बच्चों) के साथ व्यवहार करना होता है। बच्चे के प्रत्येक पक्ष को समझने व विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग के लिए प्रशिक्षण अति आवश्यक हो जाता है।

पाठ्यान्तर क्रियाएं

एक हिन्दी अध्यापक में स्काउटिंग, समाज सेवा, साहित्य-परिषद्, खेल कूद, नाटक मंचन, कवि सम्मेलन, वाद-विवाद, भाषण व गोष्ठियों को आयोजित करने की योग्यता भी होनी चाहिए। भाषा शिक्षक के लिए साहित्यिक गतिविधियों के संचालन एवं आयोजन में दक्ष होना चाहिए।

2. विशिष्ट गुण

सामान्य गुण प्रत्येक अध्यापक के लिए जरूरी है परन्तु विशिष्ट गुण एक हिन्दी शिक्षक में निम्नलिखित होने चाहिए-

भाषा पर अधिकार

हिन्दी अध्यापक को अपने विषय अर्थात् हिन्दी पर पूरा अधिकार होना चाहिए। हिन्दी के पूरे ज्ञान के बिना वह कक्षा में बहुत सी अशुद्धियां करेगा। बहुत से हिन्दी व्याकरण के प्रति उदासीन रहते हैं। उन्हें व्याकरण की अच्छी जानकारी नहीं होती जिसका परिणाम यह निकलता है कि वह व्याकरण सम्मत अशुद्धियों को नहीं देख पाते।

हिन्दी साहित्य का ज्ञान

हिन्दी साहित्य का क्षेत्र विशाल है। हिन्दी अध्यापक को हिन्दी साहित्य का पूरा ज्ञान होना चाहिए। हिन्दी साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी उसे होनी चाहिए। उसे स्वयं हिन्दी साहित्य में छप रही पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना चाहिए। साहित्य के विभिन्न अंगों का उसे ज्ञान होना चाहिए।

साहित्य में रूचि

अध्यापक की रूचि साहित्य पढ़ने में होनी चाहिए। उसे साहित्य बहुत मदद करेगा, जब वह उसे अपने पाठ में प्रयोग करेगा।

सरल अभिव्यक्ति

हिन्दी अध्यापक को कक्षा के स्तर के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे सरल भाषा को जल्दी समझते हैं। क्लिष्ट भाषा के प्रयोग पर वह कक्षा से भागने लगेंगे। अध्यापक को अपनी योग्यता दर्शाने के मोह से बचना चाहिए।

शिक्षण विधियों का ज्ञाता

एक हिन्दी शिक्षक को भाषा शिक्षण की विधियों की जानकारी होनी चाहिए। किस विधि को, कैसे प्रयोग करना है, इसका ज्ञान भी अध्यापक को होना चाहिए। गद्य व पद्य पाठों से लेकर व्याकरण तक सभी अंगों को पढ़ाने की विधियों में निपुण अध्यापक प्रभावशाली शिक्षण कर सकता है।

पेशे के प्रति आस्था

बहुत बार हिन्दी अध्यापक स्वयं को कोसने लगते हैं कि हमें तो कोई ट्यूशन का कार्य नहीं मिलता। कई बार वह विषय को कोसने लगते हैं कि काश के हिसाब या अंग्रेजी के अध्यापक होते। उन्हें ऐसी सोच से उबरना होगा। एक अच्छे हिन्दी अध्यापक को अपने व्यवसाय में आस्था रखनी चाहिए।

11.5. हिन्दी अध्यापक के कर्तव्य

हिन्दी अध्यापक के निम्नलिखित प्रमुख कर्तव्य हैं-

योजना बनाना

एक हिन्दी शिक्षक को योजना बनाने में निपुण होना चाहिए क्योंकि उसे कक्षा का पाठ्यक्रम एक निर्धारित समय में पूरा करना होता है। प्रत्येक कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य-क्रम को त्रैमासिक, मासिक, साप्ताहिक एवं दैनिक इकाईयों में विभाजित कर लिया जाना चाहिए। रोज

पाठ योजना तैयार की जानी चाहिए। पाठ में रूचि उत्पन्न करने के लिए दृश्य श्रव्य साधनों को बनाया जाना चाहिए। इसके लिए अध्यापक दृश्य श्रव्य साधनों की सूची भी बना सकता है।

पढ़ाना

पाठ योजना के उपरान्त अध्यापक को उस पाठ को पढ़ाना चाहिए। भिन्न-भिन्न शिक्षण विधियों जो पाठ योजना में प्रयोग की गई हो कक्षा में प्रदर्शित करनी चाहिए।

व्यवस्था

हिन्दी अध्यापक का कर्तव्य है कि वह कक्षा को कार्य दे, गृह कार्य दे, मूल्यांकन करें। इन सब कामों को व्यवस्थित करना उसे अच्छी तरह से आना चाहिए।

निरीक्षण

निरीक्षण अर्थात् छात्रों के गृह कार्य और रचना कार्य का निरीक्षण करना, प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना और उनकी कठिनाइयां दूर करना आदि अध्यापक के कर्तव्य में शामिल हैं।

निर्देशन

छात्रों में पाए गए दोषों जैसे वर्तनी, उच्चारण आदि के उपचार के लिए उपाय सुझाना।

रिकार्ड तैयार करना

छात्रों की उपस्थिति, गृह कार्य, अंकों आदि का रिकार्ड अध्यापक को तैयार करना होता है। कक्षा के बच्चों के प्रगति पत्रिका तैयार करनी चाहिए। अध्यापक का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बच्चे का विकास अभिलेख समय पर तैयार कर दें।

मूल्यांकन

अध्यापक का कर्तव्य है कि कक्षा में ली गई परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं को जाँचें, प्रश्न पत्र तैयार करें, परीक्षा की व्यवस्था में सहायता करें और प्राप्त अंकों का लेखा तैयार करें।

11.6. वर्तमान स्वरूप

हिन्दी अध्यापक की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए निम्नलिखित कारणों को जानना अति जरूरी है-

- (1) हिन्दी अध्यापक का वेतनमान अनुचित है। मंहगाई के दौर में उसका जीवन इस वेतन से अच्छा नहीं गुजर सकता।

- (2) बहुत से अध्यापक हिन्दी शिक्षण में आ गए हैं जो निर्धारित योग्यता पर खरे नहीं उतरते, जैसे प्रभाकर या बी. ए. भी न होना। वे तरकी के दम पर हिन्दी अध्यापक बन गए जबकि उनकी योग्यता दसवीं तक ही है।
- (3) हिन्दी शिक्षण का प्रशिक्षण उचित नहीं है। देश की बहुत कम शिक्षण संस्थाएं हैं, जहां योग्य अध्यापक हिन्दी अध्यापकों को तैयार करने में सक्षम हैं।
- (4) हिन्दी के लिए देश में बहुत कम संस्थान हैं जहां अध्यापकों के कोर्स आदि नवीनीकरण के लिए लगाये जाते हैं।
- (5) स्कूलों में अध्यापकों से अधिक कार्य करवाया जाता है। उन्हें अनाज बांटने से लेकर, कई बार पंचायत रिकार्ड तक बनाने को कह दिया जाता है।
- (6) हिन्दी शिक्षकों के पद कई-कई वर्ष नहीं भरे जाते जिससे भाषा शिक्षण का बंटाधार हो रहा है।

11.7. निष्कर्ष

भाषा शिक्षक की स्थिति सुधारने के लिए कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं-

- (1) हिन्दी अध्यापकों का वेतन-मान बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।
- (2) हिन्दी अध्यापकों को अपनी शैक्षणिक योग्यताएं बढ़ाने के लिए अवसर व छुट्टियां प्रदान की जानी चाहिए।
- (3) इनके लिए केन्द्र व राज्य सरकारों को प्रशिक्षण के लिए विशेष कोर्सों का आयोजन करना चाहिए।
- (4) शिक्षक रखते समय योग्यताओं का पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए। वांछनीय योग्यता प्राप्त अध्यापकों की भर्ती की जानी चाहिए।

उपर्युक्त सुझावों से हिन्दी अध्यापक की स्थिति में सुधार लाए जा सकते हैं।

11.8 आत्मचांज और परीक्षण

1. हिन्दी भाषाध्यापक में कौन-कौन से गुणों का होना आवश्यक है ? उनकी वर्तमान स्थिति सुधार हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत कीजिए।
-
-

2. हिन्दी शिक्षकों के विविध कर्तव्यों की व्याख्या कीजिए।

3. हिन्दी अध्यापक के विशिष्ट गुणों की चर्चा करें।

11.9 अध्ययन हेतु पुस्तकें

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1. हिन्दी शिक्षण एवं उनकी विधियाँ | भाटिया एवं नारंग |
| 2. हिन्दी शिक्षण | सुरेन्द्र सिंह कादियान |

